

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A. No. 620/2022**

IN THE MATTER OF:**KAUSHAL KISHORE VISHWAKARMA****...APPLICANT(S)****VERSUS****STATE OF PUNJAB & ORS.****...RESPONDENT(S)**

S.No.	Particulars	Page No.
1.	REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.8, i.e., MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE	1-6
2.	ANNEXURE R1 COPY OF HAZARDOUS AND OTHER WASTES (MANAGEMENT AND TRANS BOUNDARY MOVEMENT) RULES, 2016 ALONGWITH AMENDMENTS	7-162
3.	ANNEXURE R2 COPY OF S.O.P. FOR UTILIZATION OF SPENT CARBON GENERATED FROM UREA FERTILIZER INDUSTRY ISSUED BY CPCB.	163-169

4. Authorisation Letter

1705. **proof of service****171****Filed by**

Dated: 19.02.2024**Nidhi Jaswal****Advocate****Mob:9990343004****email:nid.jaswal@gmail.com**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A. No. 620/2022**

IN THE MATTER OF:

KAUSHAL KISHORE VISHWAKARMA

...APPLICANT(S)

VERSUS

STATE OF PUNJAB & ORS.


...RESPONDENT(S)

**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Ved Prakash Mishra S/o Sh. Ram Sidh Mishra, aged about 50, currently working as Director in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), do solemnly affirm and declare as under:-

1. That I am, the above-named Deponent, authorized and well conversant with the facts and circumstances of the present case and thus competent to swear the present Affidavit.
2. It is submitted that a short affidavit is being filed by the answering Respondent at this stage and craves leave and liberty to file a detailed Counter Affidavit to the aforesaid Petition, as and when required.
3. That in exercise of the powers conferred by sections 6, 8, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986, the erstwhile Ministry of Environment and Forests, New Delhi vide G.S.R No. 395 (E) dated 04th April, 2016 notified, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. These rules were applicable to all persons who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose, or handle Hazardous waste in any form. According to these Rules every operator of a waste facility is required to obtain authorization in accordance to the procedures specified under the Rules. These rules were applicable to the management of hazardous and other wastes as specified in the Schedules to these rules but shall not apply to –



[Handwritten signature]

- (a) waste-water and exhaust gases as covered under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder and as amended from time to time;
- (b) wastes arising out of the operation from ships beyond five kilometers of the relevant baseline as covered under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder and as amended from time to time;
- (c) radio-active wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder and as amended from time to time;
- (d) bio-medical wastes covered under the Bio-Medical Wastes (Management and Handling) Rules, 1998 made under the Act and as amended from time to time; and
- (e) wastes covered under the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Act and as amended from time to time.

The copy of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 is annexed herein as **Annexure R1**.

4. That it is submitted that Rule 3 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 deals with the 'Definition' clause which *inter-alia* includes the following:

3.(1)17. 'Hazardous waste' means any waste which by reason of characteristics such as physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive, causes danger or is likely to cause danger to health or environment, whether alone or in contact with other wastes or substances, shall include-

(i) Waste specified under column (3) of Schedule I;

(ii) waste having equal to or more than the concentration limits specified for the constituents in class A and class B of Schedule II or any of the characteristics as specified in class C of Schedule II; and



J. Singh

(iii) wastes specified in Part A of Schedule III in respect of import or export of such wastes or the wastes not specified in Part A but exhibit hazardous characteristics specified in Part C of Schedule III

3.(1) 23. 'Other wastes' means wastes specified in Part B and Part D of Schedule III for the purpose of import and export and include such indigenously produced wastes as may be notified from time to time. (As amended vide Notification G.S.R. 798(E) dated 12th November, 2021).

5. That Rule 4 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016 titled as "Responsibilities of the occupier for management of hazardous and other wastes" specified that- "An occupier shall follow the following steps namely: -prevention, minimization, reuse, recycling, recovery, utilization including co-processing and safe disposal of hazardous and other wastes.
6. That Rule 5 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016 titled as "Responsibilities of State Government for environmentally sound management of hazardous and other wastes" reads as follows:-


(1) Department of Industry in the State or any other government agency authorized in this regard by the State Government, to ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for recycling, pre-processing and other utilization of hazardous or other waste in the existing and upcoming industrial park, estate and industrial clusters;

(2) Department of Labour in the State or any other government agency authorized in this regard by the State Government shall, -

(a) ensure recognition and registration of workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilization including co-processing and disposal of hazardous waste;

(b) assist formation of groups of such workers to facilitate setting up such facilities;

(c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilization including co-processing and disposal of hazardous waste;



[Handwritten signature]

(d) undertake annual monitoring and to ensure safety and health of workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilization including co-processing and disposal of hazardous waste;

(3) Every State Government may prepare integrated plan for effective implementation of these provisions and to submit annual report to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in the Central Government.

7. It is submitted that Rule 10 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 titled Standard Operating Procedure or guidelines for actual users defines that "The Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the Central Pollution Control Board may issue guidelines or standard operating procedures for environmentally sound management of hazardous and other wastes from time to time".
8. It is submitted that as per Schedule VII of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, it is inter-alia duty of Central Pollution Control Board to prepare and update guidelines to prevent or minimize the generation and handling of hazardous and other wastes & prepare and update guidelines/ Standard Operating Procedures (SoPs) for recycling, utilization, pre-processing, co-processing of hazardous and other wastes.
9. It is submitted that the Spent Carbon (Carbon Residue) in production of nitrogenous and complex fertilizers was categorized as hazardous waste at S.No. 18.2 of Schedule I is listed under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. That Standard Operating Procedure (SOP) and checklist for Minimal Requisite for utilization of Spent Carbon (Carbon Residue) generated from Urea Fertilizer industry have been issued by the Central Pollution Control Board. The Copy of Standard Operating Procedure (SOP) issued by CPCB is attached herein as **Annexure R2**.
10. It is submitted that Rule 16 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 titled as Treatment, storage and disposal facility for hazardous and other wastes specifies that "



Handwritten signature in blue ink.

1) The State Government, occupier, operator of a facility or any association of occupiers shall individually or jointly or severally be responsible for identification of sites for establishing the facility for treatment, storage and disposal of the hazardous and other waste in the State.

(2) The operator of common facility or occupier of a captive facility, shall design and set up the treatment, storage and disposal facility as per technical guidelines issued by the Central Pollution

Control Board in this regard from time to time and shall obtain approval from the State Pollution Control Board for design and layout in this regard.

(3) The State Pollution Control Board shall monitor the setting up and operation of the common or captive treatment, storage and disposal facility, regularly.

(4) The operator of common facility or occupier of a captive facility shall be responsible for safe and environmentally sound operation of the facility and its closure and post closure phase, as per guidelines or standard operating procedures issued by the Central Pollution Control Board from time to time.

(5) The operator of common facility or occupier of a captive facility shall maintain records of hazardous and other wastes handled by him in Form 3.

(6) The operator of common facility or occupier of a captive facility shall file an annual return in Form 4 to the State Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates."


11. It is submitted that as per Schedule VII of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, it is inter-alia duty of State Pollution Control Board or Pollution Control Committees to:-

i. Inventorisation of hazardous and other wastes

ii. Grant and renewal of authorisation

iii. Monitoring of compliance of various provisions and conditions of permission including conditions of permission for issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for exports and imports

iv. Examining the applications for imports submitted by the importers and forwarding the same to Ministry of Environment, Forest and Climate Change



Unish

- v. Implementation of programmes to prevent or reduce or minimise the generation of hazardous and other wastes.
- vi. Action against violations of these rules.
- vii. Any other function under these Rules assigned by Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time

12. It is submitted that SPCBs and the State Governments are the nodal agencies to ensure the monitoring storage and disposal of Hazardous waste and enforcement & implementation of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 on ground, which include handling, generation, collection, storage, packaging, transportation, use, treatment, processing, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilization, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous other wastes.

13. That in view of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to pass such other order and further order(s) as this Hon'ble Court may deem fit and necessary in the interest of justice.



[Handwritten Signature]

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at _____ on this 2 FEB 2024 day of _____ 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and as per official records maintained in the routine course of business. No part of the above affidavit is false and nothing material has been concealed there from.



solemnly affirmed before me, read over & explained to the deponent

Notary Public. DELHI

DEPONENT

- 2 FEB 2024

Identify the deponent who has signed in my presence



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2016/चैत्र 15, 1938

No. 244]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2016/ CHAITRA 15, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2016

सा. का.नि. 395(अ).—भारत सरकार द्वारा प्रारूप नियम अर्थात्, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम 2015 का और संशोधन करने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.582 (अ) तारीख 24 जुलाई, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

और जनता को उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां 24 जुलाई, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक्तः विचार कर लिया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रहस्तन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 को सिवाय उन बातों के अधिकांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

अध्याय ।

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन को लागू होंगे किन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे –

- (क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1985 (1985 का 14) और इसके अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के उपबंधों के अधीन आने वाले अपशिष्ट जल या निशेषित गैस;
- (ख) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) और इसके अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के उपबंधों के अधीन आने वाले सुसंगत बेस रेखा के पांच किलोमीटर से परे पोतों के प्रचालन से निकलने वाला अपशिष्ट;
- (ग) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और इसके अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के उपबंधों के अधीन आने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट;
- (घ) अधिनियम के अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन), नियम, 1998 के अधीन आने वाले जैव चिकित्सीय अपशिष्ट; और
- (ज) अधिनियम के अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अधीन आने वाले अपशिष्ट।

3. **परिभाषाएं**— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

1. "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है ;
2. "वास्तविक प्रयोक्ता" से ऐसा अधिभोगी अभिप्रेत है जो पुनः उपयोग, पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग हेतु परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट को अधिप्रापित और प्रसंस्कृत करता है;
3. "प्राधिकार" से नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन मंजूर परिसंकटमय अपशिष्टों के सृजन, प्रहस्तन, संग्रहण, ग्रहण, शोधन, परिवहन, भंडारण, पुनःउपयोग पुनर्चक्रीकरण, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान के लिए अनुज्ञा अभिप्रेत है।
4. "बेसिल अभिसमय" से परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापार संचलन और उनके निपटान के नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अभिसमय अभिप्रेत है ;
5. "अबाध शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा" से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जिसका विकास परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और विनिर्माण प्रसंस्करण, शोधन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, नष्ट करने, परिवर्तन, बिक्री हेतु देने, हस्तांतरण के दौरान उत्पन्न अपशिष्टों के निपटान के लिए किसी अधिभोगी के परिसर के अंदर किया गया हो;
6. "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;
7. "साझा शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा" से ऐसी साझा सुविधा अभिप्रेत है जिसे व्यक्तिगत रूप से या राज्य सरकार या किसी सुविधा के अधिभोगी प्रचालक द्वारा संयुक्त रूप से या अधिभोगियों के सहयोग से अभिनिर्धारण किया गया हो जिसका उपयोग परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान के लिए अनेक अधिभोगियों या वास्तविक उपयोक्तारों द्वारा साझा सुविधा के रूप में उपयोग किया जाएगा;
8. "पुनः प्रसंस्करण" से अभिप्रेत ऊर्जा या संसाधन या दोनों की पुनः प्राप्ति और प्रतिस्थान के माध्यक से पारंपरिक इंधनों या कच्ची सामग्रियों या दोनों के प्रयोग में परिणामी कमी के उद्देश्य से विनिर्माण प्रक्रियाओं में अपशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग है;
9. "गहन देखभाल उपकरण" से जीवन रक्षक उपकरण अभिप्रेत है और इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट उपकरण शामिल है;
10. "निपटान" से ऐसा कोई प्रचालन अभिप्रेत है जो पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रीकरण, पुनः प्राप्ति या पुनःउपयोग सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग की ओर नहीं ले जाता है और इसके अन्तर्गत अर्जित कचरे में भौतिक रसायन, जैविक उपचार, भस्मीकरण सुरक्षित खत्ता-स्थल में और निपटान सम्मिलित हैं;

11. "निर्यात" से इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सहजातीय पदों में भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाना अभिप्रेत है ;
12. "निर्यातक" से परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का निर्यात करने वाले देश सहित ऐसे निर्यातक देश की अधिकारिता के अधीन कोई व्यक्ति या अधिभोगी अभिप्रेत है जो परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का निर्यात करता है;
13. "परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रबंध" से यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी उपाय करना अभिप्रेत है कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का प्रबंध ऐसी रीति से हो जो ऐसे अपशिष्ट के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित करेगा;
14. "पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियां" से केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित कोई प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है;
15. "सुविधा" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जिसमें परिसंकटमय और/या अन्य अपशिष्टों के उत्पादन, प्रहस्तन, संग्रहण, प्रवेश, शोधन, भंडारण, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रीकरण, पुनः प्राप्ति , पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग और निपटान के आनुषंगिक प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं;
16. "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;
17. "परिसंकटमय अपशिष्ट" से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो अपने भौतिक, रासायनिक, जैविक, प्रतिक्रियात्मक, विषाक्त, ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षयकारी जैसे लक्षणों के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण को चाहे अकेले या अन्य अपशिष्टों या पदार्थों के सम्पर्क से खतरा कारित करता है या खतरा कारित करने की संभावना है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा-
 - (i) अनुसूची 1 के स्तंभ 3 के अधीन विनिर्दिष्ट अपशिष्ट;
 - (ii) अनुसूची 2 के वर्ग क और वर्ग ख में या अनुसूची-II के वर्ग ग में यथाविनिर्दिष्ट किन्हीं लक्षणों के अपशिष्ट संघटकों के लिए विनिर्दिष्ट संकेन्द्रण सीमाओं के समान या उससे अधिक रखने वाले अपशिष्ट; और
 - (iii) ऐसे अपशिष्टों के आयात या निर्यात की बाबत अनुसूची-III के भाग क में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट या भाग ग में विनिर्दिष्ट के सिवाए अपशिष्ट यदि उसमें अनुसूची-III के भाग ग में विनिर्दिष्ट कोई परिसंकटमय लक्षण है;
18. "आयात" से इसके व्याकरणीय रूपभेदों और सहजातीय पदों के अनुसार भारत में भारत के बाहर के स्थान से लाया जाना अभिप्रेत है;
19. "आयातक" से कोई व्यक्ति या अधिभोगी अभिप्रेत है जो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का आयात करता है;
20. "माल सूची" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार भेजने वाले द्वारा तैयार किया गया और हस्ताक्षरित परिवहन दस्तावेज अभिप्रेत है;
21. किसी कारखाना या परिसर के संबंध में "अधिभोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाना या परिसर के क्रियाकलाप पर नियंत्रण है और इसके अन्तर्गत परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के कब्जे में कोई परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट है;
22. "व्ययन सुविधा का प्रचालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के संग्रहण, ग्रहण, शोधन, भंडारण और व्ययन की सुविधा पर स्वामित्व रखता है या प्रचालित करता है ;
23. "अन्य अपशिष्ट" से आयात या निर्यात के लिए अनुसूची 3 के भाग ख और भाग ग में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसमें देश में स्वदेशी रूप से उत्पादित ऐसे सभी अपशिष्ट शामिल हैं;
24. "पूर्व-प्रसंस्करण" से अपशिष्ट को सह-प्रसंस्करण या पुनः चक्रीकरण या आगे किसी अन्य प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त बनाने हेतु अपशिष्ट का शोधन करना अभिप्रेत है;
25. "पुनःचक्रीकरण" से मूल प्रयोजन या अन्य प्रयोजनों के लिए पर्यावरणीय अनुकूल रीति से परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का पुनः उद्धार और पुनः प्रसंस्करण अभिप्रेत है;
26. "पुनःउपयोग" से इसके मूल उपयोग या अन्य उपयोग के प्रयोजन के लिए परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है;

27. "पुनःप्राप्ति" से पुनःचक्रीकरण से कोई ऐसा परिचालन या कार्यकलाप अभिप्रेत है जिसमें विनिर्दिष्ट सामग्रियों की पुनः प्राप्ति की जाती है;
28. "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
29. संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;
30. "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधीन गठित भी है ;
31. "भंडारण" से अस्थायी अवधि के लिए किसी परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का भंडारण अभिप्रेत है जिसके अन्त में ऐसे अपशिष्ट का प्रसंस्करण या निपटान किया जाता है;
32. "सीमापार संचलन" से एक देश की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से या दूसरे देश की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के माध्यम से या किसी देश की अधिकारिता के अधीन न आने वाले क्षेत्र के माध्यम से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का कोई संचलन अभिप्रेत है, परन्तु यह कि संचलन में कम से कम कोई दो देश अन्तर्वलित हों;
33. "परिवहन" से वायु, रेल, सड़क या जल द्वारा परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का अपतट संचलन अभिप्रेत है;
34. "परिवाहक" से वायु, रेल, सड़क या जल द्वारा परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का अपतट परिवहन में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है;
35. "शोधन" से किसी परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या संरचना को परिवर्तित करने के लिए ढंग, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे कि नुकसान कारित करने की इसकी क्षमता को कम किया जा सके;
36. "प्रयुक्त तेल" से निम्नलिखित कोई तेल अभिप्रेत है-
- (i) प्रयुक्त इंजन तेल, गियर तेल, हाइड्रोलिक तेल, टरबाइन तेल, कम्प्रेसर तेल, औद्योगिक गियर तेल, ताप अन्तरण तेल, ट्रांसफार्मर तेल और उनके टैंक के तल के मलबे सहित कच्चा तेल या स्पेन्ट तेल सहित सिन्थेटिक मिश्रित तेल से व्युत्पन्न; और
- (ii) पुनःसंस्करण के लिए उपयुक्त यदि यह अनुसूची V के भाग क में निर्धारित विनिर्देश को पूरा करता है किन्तु इसमें अपशिष्ट तेल सम्मिलित नहीं है;
37. "उपयोग" से एक संसाधन के रूप में परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है;
38. "अपशिष्ट" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो उत्पाद या उपोत्पाद नहीं है जिनका उत्पादन, परिवर्तन या उपभोग के प्रयोजन के लिए सृजनकर्ता के लिए आगे कोई उपयोग नहीं है।
- स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए –
- (i) अपशिष्ट में ऐसी सामग्री सम्मिलित है जिसका सृजन कच्ची सामग्री के उत्कर्षण के दौरान, कच्ची सामग्री से मध्यवर्ती और अन्तिम उत्पाद के प्रसंस्करण, अंतिम उत्पाद के उपभोग और अन्य मानवीय क्रियाकलापों के माध्यम से किया जा सकेगा और प्रक्रिया के भाग के रूप में सृजन के स्थान पर पुनःचक्रीत या पुनःउपयोगी अवशिष्टों को अपवर्जित करता है।
- (ii) उपोत्पाद से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो उत्पादन प्रक्रिया द्वारा एकमात्र या पृथकतः उत्पादित नहीं किया गया है किन्तु प्रक्रिया में उत्पादित किया गया है और इस प्रकार उपयोग किया गया है।
39. "अपशिष्ट तेल" से ऐसा कोई तेल अभिप्रेत है जिसमें कच्चा तेल, मिश्रण, टैंक सतह कचरा और पेट्रोलियम परिष्करणी संस्थापनों या पोतों से सृजित तरल तेल और ऊर्जा पुनः प्राप्ति के लिए भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है यदि यह इस प्रकार या प्रसंस्करण के पश्चात् अनुसूची 5 के भाग ख में अधिकथित विनिर्देशों को पूरा करता है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

अध्याय II

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रक्रिया

4. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अधिभोगी के दायित्व -

- (1) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अधिभोगी निम्नलिखित कदमों का पालन करेंगे, अर्थात् :
- (क) निवारण;
- (ख) न्यूनीकरण;
- (ग) पुनः प्रयोग;
- (घ) पुनः चक्रीकरण;
- (ङ.) सह-प्रसंस्करण सहित पुनःप्राप्ति, उपयोग;
- (च) सुरक्षित निपटान;
- (2) अधिभोगी परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा |
- (3) किसी अधिभोगी के स्थापन में सृजित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट को किसी अधिकृत वास्तविक प्रयोगकर्ता को भेजा या बेचा जाएगा या किसी अधिकृत निपटान सुविधा में इसका निपटान किया जाएगा।
- (4) किसी अधिभोगी के स्थापन से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता या प्राधिकृत निपटान सुविधा तक परिवहन किया जाएगा।
- (5) ऐसा अधिभोगी जो अपने परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का शोधन या निपटान, शोधन के प्रचालक द्वारा कराना चाहता है वहां भंडारण और निपटान सुविधा उस सुविधा के प्रचालक और ऐसी जानकारी जो सुरक्षित भंडारण और निपटान के लिए आवश्यक हो, दी जाएगी।
- (6) अधिभोगी परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के समय सभी पर्याप्त उपाय करेगा-
- (क) संप्रदूषकों को नियंत्रित करेगा और दुर्घटनाओं को रोकेगा तथा मानव और पर्यावरण पर उनके परिणामों को सीमित करेगा; और
- (ख) स्थल पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण, उपकरण और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा |
- (5) **परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंध के लिए राज्य सरकार के दायित्व -** (1) राज्य में उद्योग विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण, विद्यमान और भावी आद्योगिक पार्क, संपदा और औद्योगिक समूहों में परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के पुनःचक्रीकरण, पूर्व-प्रसंस्करण और अन्य उपयोग के लिए औद्योगिक स्थान या शेड का निर्धारण या आवंटन सुनिश्चित करना;
- (2) राज्य में श्रम विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी सरकारी अभिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे, -
- (क) पुनःचक्रीकरण, पूर्व-प्रसंस्करण और अन्य उपयोग संबंधी कार्यकलापों में लगे कार्मिकों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करना;
- (ख) ऐसी सुविधाओं की स्थापना में सुगमता प्रदान करने के लिए ऐसे कार्मिकों के समूहों को बनाने में सहायता प्रदान करना;
- (ग) पुनःचक्रीकरण, पुनःप्रसंस्करण और अन्य उपयोग में लगे कार्मिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास संबंधी कार्यकलाप करना;
- (घ) वार्षिक निगरानी करना और पुनःचक्रीकरण, पुनःप्रसंस्करण और अन्य उपयोग में लगे कार्मिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना।
- (3) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इन उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एकीकृत योजना बनाई जा सकती है और केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।
- (6) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए प्राधिकार का मंजूर किया जाना.- (1) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रहस्तन, उत्पादन संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, प्रयोग, शोधन, प्रसंस्करण, पुनःचक्रीकरण, पुनः प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, बिक्री, अंतरण या निपटान में लगी सुविधा के प्रत्येक अधिभोगी द्वारा प्ररूप 1 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

आवेदन किया जाना और इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के अंदर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना अपेक्षित होगा। प्राधिकार के लिए ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति होगी, अर्थात् :

- (क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और / वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1985 (1985 का 21) के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन की सहमति।
- (ख) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और / वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981 (1981 का 21) के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंजूर स्थापना की सहमति।
- (ग) प्राधिकार के नवीकरण के मामले में, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के लिए प्राधिकार में विनिर्दिष्ट बहिःस्राव, उत्सर्जन मानकों और शर्तों के संबंध में स्व-प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट।

परन्तु यह कि प्राधिकार के लिए नवीकरण का आवेदन ऐसे प्राधिकार की समाप्ति के तीन मास पूर्व किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि-

- (i) परन्तु यह और कि इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध, प्रहस्तन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से ऐसे प्राधिकार की अवधि की समाप्ति तक प्राधिकार का आवेदन करने की अपेक्षा नहीं होगी।
- (ii) अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण या पुनर्संस्करण में लगा कोई व्यक्ति जिसके पास परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रहस्तन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकरण है, को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के अवसान की अवधि तक प्राधिकार के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं है।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्राधिकार के लिए सभी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और समाधान होने पर कि आवेदक परिसंकटमय अपशिष्ट या उसके समान किसी वस्तु के लिए यथा स्थिति, संग्रहण, भंडारण, पैकिंग परिवहन, शोधन, प्रसंस्करण, उपयोग, विध्वंस, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, विक्रय का प्रस्ताव, हस्तांतरण या निपटान, के लिए समुचित सुविधाएं रखता है और तकनीकी क्षमताओं तथा उपस्कर जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा समय समय पर और स्थल निरीक्षण के माध्यम से विनिर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया और अन्य दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं, एक सौ बीस दिन की अवधि में आवेदक को प्ररूप 2 में प्राधिकार जो पांच वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होगा और उसमें अधिकथित ऐसी दशाओं के अध्यक्षीन होगा, देगा। अनुसूची IV में दिए गए अनुसार सामान्य रूप से पुनर्चक्रणयोग्य परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहले से ही तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए जाएंगे :

परन्तु यह कि प्राधिकार के नवीकरण के दशा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे प्राधिकार प्रदान करने से पहले अपना समाधान करेगा कि यह पूर्व से प्रदान किए गए किसी प्राधिकार में विनिर्दिष्ट दशाओं के उल्लंघन में नहीं है और इसे निरीक्षण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाएगा।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त प्राधिकार के साथ उस बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति जिसके परिसंकटमय या उसके समान किसी वस्तु में और अन्य अपशिष्टों संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपचार प्रसंस्करण, उपयोग, विध्वंस, पुनर्चक्रण, प्रति प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग और विक्रय का प्रस्ताव, अंतरण या निपटान के लिए पर्याप्त सुविधाओं की सूचना होगी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट मानक प्रसंस्करण प्रचालन के मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक की उसमें कारणों को अभिलिखित करते हुए और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकार को प्रदान करने से इंकार कर सकेगा।

(5) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक अधिभोगी उसके द्वारा प्रबंधित प्ररूप 3 में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के अभिलेख रखेगा और तैयार करेगा तथा प्ररूप 4 में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के सहित वार्षिक रूप से 30 जून या उससे पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो उस विवरणी से संबंधित है, को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए इन नियमों के अधीन अधिरोपित दशाओं की विशिष्टियां सहित एक रजिस्टर रखेगा और यह कार्यालय समय के दौरान किसी भी हितबद्ध या प्रभावित व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(7) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता खरीदे गए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के अभिलेखों के प्राधिकार के साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई पासबुक में रखेगा।

(8) प्राधिकृत वास्तविक उपयोगकर्ता को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों को केवल वास्तविक प्रयोगकर्ता की पासबुक में प्रविष्टि करने के बाद ही सौंपा जाएगा।

7. प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने की शक्ति.- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि उसके विचार में प्राधिकार का धारक प्राधिकार में दशाओं या अधिनियम के किसी उपबंध में या इन नियमों में से किसी को भी अनुपालन करने में असफल रहा है तो उसको सुनवाई का अवसर देगा और उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन ऐसी अवधि जो वह लोक हित में आवश्यक समझे जारी प्राधिकार को रद्द या निलंबित कर सकेगा।

(2) प्राधिकार में निलंबित या रद्द होने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्यक्ति जिसका प्राधिकार निलंबित या रद्द किया गया है, को परिसंकटमय अपशिष्ट को सुरक्षित भंडारण और प्रबंध के लिए निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसा निर्देशों का अनुपालन करेगा।

8. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का भंडारण.- (1) प्रसुविधाओं के अधिभोगी, नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों को भंडार कर सकेगा और ऐसे अपशिष्टों में विक्रय अंतरण, भंडार, पुनर्चक्रण, पुनःप्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण और उपयोग का अभिलेख रखेगा और इन अभिलेखों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखेगा।

परंतु यह कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित मामलों के नब्बे दिन की अवधि को विस्तारित कर सकेगा, अर्थात् :-

- (i) प्रतिवर्ष दस टन तक छोटे सृजनकर्ता उनकी वार्षिक क्षमता के एक सौ अस्सी दिनों तक;
- (ii) वास्तविक प्रयोक्ता और निपटान सुविधा के प्रचालक उनकी वार्षिक क्षमता के एक सौ अस्सी दिन तक।
- (iii) अधिभोगी जो संबद्ध राज्य में शोधन, भंडारण, निपटान प्रसुविधा नहीं रखते हैं;
- (iv) अपशिष्ट जिन्हें इनके पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण या उपयोग के लिए प्रक्रिया के विकास हेतु विशिष्ट रूप से भंडारित किए जाने की आवश्यकता हो;
- (v) किसी अन्य मामले में, औचित्यपूर्ण आधार पर एक सौ अस्सी दिनों तक।

9. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का उपयोग.- (1) उत्पादक के परिसर सहित (यदि यह प्रक्रिया का भाग नहीं है) एक संसाधन के रूप में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों उपयोग या सह-प्रसंस्करण या किसी अन्य प्रयोग के लिए पूर्व-प्रसंस्करण, केवल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों या मानक के आधार पर अपशिष्ट के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

(2) जहां विशिष्ट उपयोग के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां या मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध न हों, वहां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन की वांछा की जाएगी जो परीक्षणों के आधार पर अनुमोदन प्रदान करेगा और इसके बाद केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रियाएं या दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

परंतु यह कि यदि परीक्षण विशिष्ट उपयोग के संबंध में विशेष अपशिष्ट के लिए किया गया है तथा पर्यावरण मानकों का अनुपालन उपदर्शित किया गया है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसी अपशिष्ट तथा उपयोग के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अलग से परीक्षण की अपेक्षा के बिना प्राधिकार मंजूर किया जा सकता है और ऐसे सफल परीक्षण के मामलों के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित करेगा।

(3) सीमेंट संयंत्रों में अपशिष्ट के सह-प्रसंस्करण के लिए परीक्षणों की आवश्यकता नहीं होगी जिसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं; तथापि वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा अपशिष्ट के सह-प्रसंस्करण के संबंध में सीमेंट संयंत्र के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत अधिसूचित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:

परंतु यह कि मानकों के अधिसूचित होने तक परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के अन्य उपयोग हेतु यथा प्रयोज्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है।

10. वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए मानक प्रचालन पद्धति या मार्गदर्शक सिद्धांत.- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा।

अध्याय III

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का आयात और निर्यात

11. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयात और निर्यात (सीमापार संचलन).- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के सीमापार संचलन के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

12. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के आयात और निर्यात के लिए कार्यनीति.- (1) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का किसी अन्य देश से भारत में निस्तारण करने के लिए कोई आयात अनुज्ञेय नहीं होगा।

(2) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का आयात केवल पुनर्चक्रण, पुनःप्राप्ति, पुनःउपयोग और सह-प्रसंस्करण सहित, उपयोग के लिए ही अनुज्ञेय होगा।

(3) अनुसूची III के भाग क में परिसंकटमय अपशिष्ट का आयात निर्यातक देश की पूर्व सूचित सहमति के साथ वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए अनुज्ञेय होगा और इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति अपेक्षित होगी।

(4) अनुसूची III के भाग ख में अन्य अपशिष्टों का आयात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति से अनुज्ञेय होगा।

(5) अनुसूची III के भाग घ में अन्य अपशिष्टों का नियम 13 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार और उपर्युक्त अनुसूची के नीचे की टिप्पणी के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(6) अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयात अनुज्ञेय नहीं होगा।

(7) भारत से अनुसूची III और अनुसूची VI के भाग क और भाग ख में सूचीबद्ध परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति से होगा। अनुसूची III और अनुसूची VI के भाग क में सूचीबद्ध परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के आयात के लिए आवेदनों के मामले में, उन पर आयातक देश की पूर्व सूचित सहमति के आधार पर विचार किया जाएगा।

(8) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों, जो अनुसूची III में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, किंतु अनुसूची III के भाग ग में उल्लिखित परिसंकटमय लक्षण दर्शाते हैं, के आयात तथा निर्यात के लिए इन्हें यथा स्थिति, भारत से आयात या निर्यात, किए जाने से पूर्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी।

13. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के निर्यात की प्रक्रिया - (1) अनुसूची III के भाग क और भाग ख में निर्दिष्ट परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के आयात या सीमापारीय संचलन हेतु वहन के इच्छुक वास्तविक प्रयोक्ता प्ररूप 5 के साथ इसमें सूचीबद्ध दस्तावेज सहित अनुसूची III के भाग क के संबंध में निर्यातक देश के पूर्व सूचित सहमति सहित प्रस्तावित आयात के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवेदन करेंगे और इसके साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सूचनार्थ आवेदन की एक प्रति भेजेंगे और इस संबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड से पावती आवेदन सहित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) अनुसूची III के भाग घ में सूचीबद्ध अन्य अपशिष्टों के आयात के लिए आयातक के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति अपेक्षित नहीं होगी। तथापि, आयातक द्वारा अनुसूची VIII में सूचीबद्ध दस्तावेजों के अतिरिक्त यथास्थिति, निम्नलिखित दस्तावेजों, जैसा भी मामला हो, के साथ सीमा शुल्क प्राधिकरणों को प्ररूप 6 के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की जाएगी। अनुसूची VIII (बेसेल सं. बी 1110) के क्रमांक 4 (ड.) से 4 (झ) में सूचीबद्ध प्रयुक्त वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिकी संयोजनों के लिए इन नियमों के अंतर्गत प्रलेखन की कोई विशेष अपेक्षा नहीं है :

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति, यदि लागू हो;

(ख) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 21) और समय-समय पर यथा संशोधित इन नियमों के साथ-साथ ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011, जो भी प्रयोज्य हो, के अंतर्गत प्राधिकार के अंतर्गत विधि मान्य सहमतियां;

(ग) ऐसा आयातक जो व्यापारी है, वास्तविक प्रयोक्ताओं की ओर से अपशिष्ट का आयात करता है, द्वारा प्ररूप 7 में एक बार का प्राधिकार प्राप्त करेगा और इस प्राधिकार की एक प्रति प्ररूप 6 के साथ संलग्न की जाएगी।

(3) अनुसूची 3 के भाग ख के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 की अनुसूची I के अंतर्गत यथा सूचीबद्ध किसी प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी संयोजनों या अतिरिक्त पूर्ण या संघटक के भाग या उपभोग्य वस्तुओं के आयात के मामले में, आयातक को उक्त (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के अंतर्गत उत्पादक के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व-प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(4) अनुसूची III के भाग घ में सूचीबद्ध अपशिष्टों के प्रेषण की स्वीकृति से पूर्व, सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा अनुसूची VIII के कॉलम (3) में दिए गए अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

(5) अनुसूची III के भाग क और भाग ख के संबंध में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रेक्षणों, यदि कोई हों, पर विचार करते हुए आवेदन की जांच की जाएगी और आयातक के पास निम्नलिखित के होने की शर्त के अध्येक्षित साठ दिनों की अवधि के अंदर आयात के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है -

- (i) पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल सुविधाएं;
- (ii) उत्पन्न अपशिष्टों के शोधन तथा निपटान के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं;
- (iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधि मान्य प्राधिकार और अनुमति;
- (iv) अनुसूची III के भाग क के अपशिष्टों के मामले में निर्यातक देश से पूर्व सूचित सहमति।
- (6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संबंधित पत्तन तथा सीमा शुल्क प्राधिकरणों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमति की प्रति प्रेषित की जाएगी ताकि अनुसूची VIII में दिए गए उनके संबंधित कार्यों के बारे में अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- (7) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयातक अपने द्वारा आयातित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के अभिलेखों का रख-रखाव प्ररूप 3 में करेगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
- (8) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयातक वित्त वर्ष जिसका संबंध विवरणी से हो, के 30 जून को या उससे पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 4 में वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा।
- (9) परीक्षण या अनुसंधान और विकास उद्देश्यों के लिए आयात किए जा रहे परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के 1000 ग्राम या 1000 मि.ली. तक के नमूनों को इन नियमों के अंतर्गत आयात हेतु अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट होगी।
- (10) पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि नौभार के साथ प्ररूप 6 में दिए गए अनुसार संचलन दस्तावेज हो और संदेह के मामले में निर्यातक देश द्वारा प्रत्यायोजित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से अपशिष्ट नौभार के विश्लेषण की परीक्षण रिपोर्ट का सीमा शुल्क द्वारा सत्यापन किया जाए।

14. भारत से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के निर्यात की प्रक्रिया.- (1) अनुसूची III के भाग क, अनुसूची III के भाग ख और अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट का निर्यात करने का इच्छुक कोई अधिभोगी अनुसूची III के भाग क और अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट अपशिष्टों के संबंध में निर्यात करने वाले देश से लिखित में पूर्व सूचित सहमति के साथ परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रस्तावित सीमापरीय संचलन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बीमा कवर के साथ प्ररूप 5 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से साठ दिन की अवधि में प्रस्तावित निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है और ऐसी दशाएं अधिरोपित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

(3) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उप-नियम (2) के अधीन प्रदत्त अनुमति की प्रति राज्य के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जहां अपशिष्ट उत्पन्न हुआ हो और उस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जहां निर्यात का पत्तन अवस्थित है तथा संबंधित पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकरणों को, निर्यात अनुमति की दशाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(4) निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि आयात करने वाले देश से पूर्व सूचित सहमति, जहां कहीं लागू हो, प्राप्त होने से पूर्व नौभार को नहीं भेजा जाएगा।

(5) निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि नौभार के साथ प्ररूप 6 में संचलन दस्तावेज होंगे।

(6) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का निर्यातक प्ररूप 3 में उसके द्वारा निर्यात किए गए परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का अभिलेख रखेगा और ऐसे रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

15. अवैध यातायात.- (1) भारत के बाहर और भीतर परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का निर्यात और आयात अवैध समझा जाएगा यदि, -

- (i) यह इन नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना है, या
- (ii) अनुज्ञा झुठे और मिथ्या विवरण देकर या कपट से प्राप्त की गई है;
- (iii) यह संचलन दस्तावेज में उपबंधित शिपिंग ब्यौरों के अनुसार नहीं है; या
- (iv) इसका परिणाम जानबूझकर परिसंकटमय अपशिष्टों और अन्य अपशिष्टों के बेसल अभिसमय और अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय विधि के सामान्य सिद्धांतों के अतिक्रमण में किए गए व्ययन (अर्थात् नष्ट करना) में निकलता है।

(2) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के अवैध आयात की दशा में, आयातकर्ता अपशिष्ट के भारत में पहुंचने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपनी लागत पर प्रश्नगत अपशिष्ट का पुनः निर्यात करेगा और इसका क्रियान्वयन संबंधित पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा ऐसे अपशिष्ट के निपटान की दशा में, वे यह कार्य उस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जहां पत्तन विद्यमान है, की अनुमति से इन नियमों के अनुसार करेंगे।

(3) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के अवैध आयात की दशा में, जहाँ आयातक का पता लगाना संभव न हो, तो अपशिष्ट को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसे प्रयोक्ता को बेचा जा सकता है जिसके पास संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार हो या प्राधिकृत शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा को भेजा जा सकता है।

अध्याय - IV

परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान के लिए सुविधा

16. परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान के लिए सुविधा.- (1) राज्य सरकार, अधिभोगी, किसी सुविधा का प्रचालन या अधिभोगियों का संगम व्यष्टिक रूप से या संयुक्त रूप से या पृथक रूप से राज्य में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान की सुविधा स्थापित करने के लिए स्थलों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(2) सामान्य सुविधा का प्रचालन या आबाध सुविधा का अधिभोगी, इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तकनीकी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उपचार, भंडारण और व्ययन सुविधा डिजाइन और स्थापित करेगा और इस संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से डिजाइन और ले-आउट का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से साझा या आबाध शोधन, भंडारण और निपटान सुविधाओं के स्थापन तथा प्रचालन को मानीटर करेगा।

(4) साझा सुविधा का प्रचालक या आबाध सुविधा का अधिभोगी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग-दर्शक सिद्धांतों या मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार सुविधा के सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रचालन तथा इसके समापन और समापन पश्चात की अवस्था के लिए जिम्मेदार होगा।

(5) साझा सुविधा प्रचालक या आबाध सुविधा के अधिभोगी द्वारा प्रहस्तित किए गए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का प्ररूप-3 में अभिलेख रखा जाएगा।

(6) साझा सुविधा का प्रचालक या आबाध सुविधा का अधिभोगी वित्त वर्ष जिसका संबंध विवरणी से हो, के 30 जून को या उससे पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 4 में वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा।

अध्याय V

परिसंकटमय अपशिष्ट की पैकेजिंग, लेबलीकरण और परिवहन

17. पैकेजिंग और लेबलीकरण.- (1) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का प्रहस्तन करने वाले किसी अधिभोगी और शोधन, भंडारण तथा निपटान सुविधा के प्रचालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की पैकेजिंग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित प्रहस्तन, भंडारण और परिवहन के लिए उपयुक्त तरीके से की जाए। लेबलिंग का कार्य प्ररूप 8 के अनुसार किया जाएगा।

(2) लेबल ऐसी सामग्री का बना होगा जो धोने योग्य न हो, दृश्यमान हो और जलवायु कारकों को सहन करने में समर्थ हो।

18. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का परिवहन.- (1) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का परिवहन इन नियमों और मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(2) अधिभोगी परिवहनकर्ता को अपशिष्ट की परिसंकटमय प्रकृति के संबंध में प्ररूप 9 में सुसंगत सूचना और आपात स्थिति की दशा में किए जाने वाले उपायों को उपलब्ध कराएगा और परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट आधानों को प्ररूप 8 के अनुसार चिन्हित करेगा।

(3) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिए ऐसी सुविधा तक परिवहन, जो अपशिष्ट उत्पन्न होने वाले राज्य से अलग राज्य में मौजूद हो, तक परिवहन के मामले में प्रेषणकर्ता द्वारा दोनों राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया जाएगा।

(4) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के पुनर्चक्रण या सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग के लिए परिवहन के मामले में, प्रेषक द्वारा परिवहनकर्ता को अपशिष्ट सौंपे जाने से पूर्व दोनों राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित किया जाएगा।

(5) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग या निपटान के लिए मूल राज्य और गंतव्य से अलग राज्य के माध्यम से पारगमन के मामले में, प्रेषणकर्ता परिवहनकर्ता को अपशिष्ट सौंपे जाने से पूर्व पारगमन राज्यों के संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पूर्व सूचना देगा।

(6) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के परिवहन के मामले में, सुरक्षित परिवहन का दायित्व प्रेषणकर्ता या प्राप्तकर्ता, जो भी परिवहन की व्यवस्था करता हो और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिवहन के लिए आवश्यक प्राधिकार रखता हो, की होगी। यह दायित्व मालसूची में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

(7) परिवहन के लिए प्राधिकार की प्राप्ति प्रेषणकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा की जाएगी जिसकी ओर से परिवहन की व्यवस्था की जा रही है।

19. केवल देश के भीतर ही प्रयोग किए जाने वाले परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के लिए मालसूची प्रणाली (संचालन दस्तावेज).-

(1) अपशिष्ट का प्रेषणकर्ता नीचे दिए गए रंजक कूट को मिलाकर प्ररूप 10 में मालसूची की सात प्रतियां तैयार करेगा और प्रेषणकर्ता द्वारा सभी सात प्रतियों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

रंजक कूट सहित प्रति संख्या	प्रयोजन
(1)	(2)
प्रति 1 (श्वेत)	प्रेषणकर्ता द्वारा सभी सात प्रतियों को हस्ताक्षर करने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित की जाएगी।
प्रति 2 (पीला)	प्रेषणकर्ता द्वारा परिवहनकर्ता के उस पर हस्ताक्षर लेने के पश्चात् अपने पास रखी जाएगी और शेष 5 प्रतियों को परिवहनकर्ता द्वारा ले जाया जाएगा।
प्रति 3 (गुलाबी)	अपशिष्ट प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्तकर्ता (वास्तविक प्रयोक्ता या शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा प्रचालक) द्वारा अपने पास रखी जाएगी और शेष 4 प्रतियों पर प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे।
प्रति 4 (संतरी)	अपशिष्ट को स्वीकार किए जाने के पश्चात् प्राप्तकर्ता द्वारा परिवहनकर्ता को सौंपी जाएगी।
प्रति 5 (हरा)	प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी।
प्रति 6 (नीला)	प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषणकर्ता को भेजी जाएगी।
प्रति 7 (भूरा)	यदि प्रेषणकर्ता अन्य राज्य में है तो प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषणकर्ता के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी।

(2) प्रेषणकर्ता प्रति 1 (श्वेत) को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित करेगा और परिसंकटमय अपशिष्ट या अन्य अपशिष्ट के किसी वहन राज्य से परिवहन करने की दशा में प्रेषणकर्ता अपशिष्ट के संचालन के बारे में वहन राज्यों के राज्य प्रदूषण बोर्डों को सूचित करेगा।

(3) कोई परिवहनकर्ता परिवहन के लिए प्रेषणकर्ता से अपशिष्ट को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसके साथ प्रकट करने के लिए हस्ताक्षरित 3 से 7 प्रतियां संलग्न न हों।

(4) परिवहनकर्ता प्रकट करने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा तारीख सहित सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रति 3 से 7 को अपशिष्ट कन्साइनमेंट के साथ प्रस्तुत करेगा।

(5) अपशिष्ट को स्वीकार करने के पश्चात् प्राप्तकर्ता द्वारा परिवहनकर्ता को प्रति 4 (संतरा) सौंपी जाएगी और प्रति 5 (हरा) अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और प्रति 6 (नीला) प्रेषणकर्ता को तथा प्रति 3 (गुलाबी) प्राप्तकर्ता के पास रहेगी।

(6) यदि प्रेषणकर्ता अन्य राज्य में हो तो प्रति 7 (भूरा) केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही भेजी जाएगी।

अध्याय VI**विविध**

20. अभिलेख और विवरणी.- (1) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का प्रहस्तन करने वाले अधिभोगी और निपटान सुविधा के प्रचालक द्वारा ऐसे प्रचालनों का प्ररूप 3 में अभिलेख रखा जाएगा।

(2) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का प्रहस्तन करने वाले अधिभोगी और निपटान सुविधा के प्रचालक द्वारा प्ररूप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 4 में वार्षिक विवरणी भेजी जाएगी।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के निपटान हेतु सुविधाओं के अधिभोगियों और प्रचालकों से प्राप्त वार्षिक विवरणी के आधार पर उत्पन्न, पुनर्चक्रित प्रतिप्राप्त, सह-प्रसंस्करणकृत सहित उपयोग में लाए गए अपशिष्ट; पुनःआयातित तथा निपटान किए गए अपशिष्ट की वार्षिक सूची बनाएगा और प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं, वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा और साझा तथा अबाध निपटान सुविधाओं की सूची भी तैयार की जाएगी और प्रत्येक दो वर्ष में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन संबंधन की समेकित समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा और वर्ष में एक बार 30 दिसम्बर से पहले अपने सिफारिशों के साथ इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगा।

21. प्राधिकारियों का दायित्व - अनुसूची VII के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों को करेगा।

22. दुर्घटना की रिपोर्ट करना. - जब किसी परिसंकटमय या अपशिष्ट का प्रहस्तन करने वाले अधिभोगी और निपटान सुविधा के प्रचालक की सुविधा में परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो अधिभोगी या प्रचालक या परिवहनकर्ता द्वारा तत्काल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दुर्घटना के विषय में टेलीफोन, ई-मेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी और इसके बाद प्ररूप 11 में एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।

23 निपटान सुविधा के अधिभोगी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता और प्रचालक का दायित्व.-

(1) निपटान सुविधा के अधिभोगी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता और प्रचालक पर्यावरण या तृतीय पक्ष को परिसंकटमय अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट के अनुचित प्रहस्तन और प्रबंधन के कारण कारित सभी क्षतियों के लिए दायी होंगे।

(2) निपटान सुविधा का अधिभोगी और प्रचालक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्वानुमति से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी उल्लंघन के लिए उद्ग्रहण के रूप में वित्तीय शास्तियों का संदाय करने के लिए दायी होंगे

24. अपील.- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उसके प्राधिकार को रद्द करने, निरस्त करने या उसके नवीकरण से इनकार करने के लिए व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जिसको उसे आदेश संसूचित किया गया था प्ररूप 12 में अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् राज्य के पर्यावरण सचिव को अपील कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकार तीस दिन की उक्त अवधि के समापन के पश्चात् अपील पर विचार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय के भीतर अपील फाइल करने से निवारित था।

(3) इस नियम के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील का निपटारा इसके फाइल किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

अनुसूची।

[नियम 3(1)(17)(i) देखें]

परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं की सूची

क्र.सं.	प्रक्रिया	परिसंकटमय अपशिष्ट *
(1)	(2)	(3)
1.	पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाएं और पाइरोलिटिक संक्रियाएं	1.1 फरनेस या रिएक्टर अवशेष और कचरा 1.2 टैरी अवशेष और आसवन प्रक्रिया से स्टिल बौटम 1.3 ऑयली स्लज पायस 1.4 कार्बनिक अवशेष 1.5 ईंधनों को क्षार से धोने पर बचा अवशेष 1.6 स्पेन्ट केटालिस्ट और मॉलीक्यूलर सीव्स 1.7 अपशिष्ट जल के शोधन से ऑयल
2.	कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन	2.1 जल युक्त कीचड़ को छोड़कर ड्रिल कटिंग्स 2.2 तेल युक्त स्लज 2.3 तेल युक्त ड्रिलिंग मड
3.	पोत वाहनों सहित पेट्रोलियम तेल भंडारण की टंकियों की सफाई, उन्हें खाली करना और उनका रख-रखाव	3.1 तेल युक्त कार्गो अवशेष, वाशिंग वॉटर और स्लज 3.2 केमिकल युक्त कार्गो अवशेष और स्लज 3.3 स्लज और तेल से संदूषित फिल्टर्स 3.4 पोत वाहनों से तेल युक्त बैलास्ट वॉटर
4.	प्रयुक्त तेल का पेट्रोलियम परिष्करण या पुनः प्रसंस्करण या अपशिष्ट तेल का पुनः चक्रण	4.1 तैलीय स्लज या पायस 4.2 स्पैट कैटालिस्ट 4.3 स्लॉप तेल 4.4 प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बनिक अवशेष 4.5 तेल युक्त स्पेन्ट क्ले
5.	हाइड्रोलिक सिस्टम या अन्य अनुप्रयोगों में लुब्रीकेन्ट के रूप में मिनरल या सिन्थेटिक तेल का उपयोग करते हुए औद्योगिक प्रचालन	5.1 प्रयुक्त या स्पेन्ट ऑयल 5.2 तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष 5.3 अपशिष्ट कटिंग तेल
6.	जिंक का गौण उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	6.1 जिंक सल्फेट और अन्य जिंक संघटकों के उत्पादन के बाद उत्पन्न स्लज और फिल्टर प्रैस केक 6.2 विक्षेपी रूप में जिंक फाईन्स या धूल कण या स्कीमिंग 6.3 जिंक भस्म या स्कीमिंग के प्रसंस्करण से उत्पन्न अन्य अवशेष 6.4 फ्लू गैस धूल कण और अन्य विविक्त कण

7.	अल्युमिनियम को छोड़कर जिंक या लेड या कॉपर और अन्य नॉन-फेरस धातुओं का प्रारंभिक उत्पादन	7.1 रोस्टिंग से उत्पन्न फ्लू धूलकण 7.2 प्रोसेस अवशेष 7.3 आर्सेनिक युक्त स्लज 7.4 स्लज और अवशेष सहित नॉन फेरस धातु 7.5 मार्जक से स्लज
8.	कॉपर का गौण उत्पादन	8.1 स्पैन्ट इलेक्ट्रोलिटिक घोल 8.2 स्लज और फिल्टर केक्स 8.3 फले गैस धूलकण और अन्य विविक्त कण
9.	लेड का गौण उत्पादन	9.1 लेड युक्त अवशेष 9.2 लेड एथ या फ्लू गैस से विविक्त कण 9.3 प्रयुक्त बैट्रियों से एसिड
10.	कैडमियम और आर्सेनिक और उनके संघटकों का उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	10.1 कैडमियम और आर्सेनिक युक्त अवशेष
11.	प्रारंभिक और गौण एल्युमिनियम का उत्पादन	11.1 ऑफ गैस अभिक्रिया से स्लज 11.2 पॉट लाईनिंग अपशिष्ट सहित कैथोड अवशिष्ट 11.3 अपशिष्ट युक्त तार 11.4 फ्लू गैस धूल कण और अन्य विविक्त कण 11.5 ड्रॉस और साल्ट स्लज शोधन से उत्पन्न अपशिष्ट 11.6 प्रयुक्त एनोड बट्स 11.7 एल्युमिना परिष्करणी से वेनेडियम स्लज
12.	धातु सतह शोधन जैसे कि इचिंग, स्टेनिंग, पॉलिश करना, गेल्वा नाईजिंग, सफाई करना, ग्रीस हटाना, प्लेटिंग आदि	12.1 अम्ल और क्षार अवशेष 12.2 स्पेंट अम्ल और क्षार 12.3 सल्फाइड, सायनाइड और विषैले धातुओं से युक्त स्पैन्ट बाथ या स्लज 12.4 कार्बनिक विलायकों से युक्त बाथ से उत्पन्न स्लज 12.5 फास्फेट स्लज 12.6 स्टेनिंग बाथ से स्लज 12.7 ताम्बा निक्षारण अवशेष 12.8 प्लेटिंग मेटल स्लज
13.	अन्य लौह एलोय सहित आयन और इस्पात का उत्पादन (इलेक्ट्रिक फरनेस, स्टील रोलिंग और फिनिशिंग मिल्स, कोक ओवन और उपोत्पाद संयंत्र)	13.1 स्पेंट पिकलिंग लिकर 13.2 अम्ल रिकवरी इकाई से स्लज 13.3 बेनजोल अम्ल स्लज 13.4 डिसेन्टर टंकी टार स्लज 13.5 टार भंडारण की टंकी का अवशेष 13.6 कोक ओवन उपोत्पाद संयंत्र से अवशेष
14.	हार्डनिंग ऑफ स्टील	14.1 सायनाइड - नाइट्रेट या नाइट्राईट युक्त स्लज 14.2 स्पेन्ट हार्डनिंग साल्ट
15.	एस्वेस्टस या एस्वेस्टस युक्त पदार्थों का उत्पादन	15.1 एस्वेस्टस युक्त अवशेष 15.2 डिस्कार्डेड एस्वेस्टस 15.3 गैस निकासी शोधन से उत्पन्न धूल कण या विविक्त कण
16.	कास्टिक सोडा और क्लोरीन का उत्पादन	16.1 मर्करी सेल प्रक्रिया से उत्पन्न मर्करीधारक स्लज 16.2 अवशेष या स्लज और फिल्टर केक्स 16.3 ब्राईन स्लज
17.	खनिज अम्लों का उत्पादन	17.1 प्रक्रिया अम्लीय अवशेष, फिल्टर केक, धूल कण 17.2 स्पेंट कैटालिस्ट
18.	नाइट्रोजनस और काम्प्लैक्स उर्वरकों का उत्पादन	18.1 स्पेंट उत्प्रेरक 18.2 कार्बन अवशेष 18.3 आर्सेनिक युक्त स्लज या अवशेष 18.4 वॉटर कूलिंग टावर से क्रोमियम स्लज
19.	फीनोल का उत्पादन	19.1 फीनोल युक्त अवशेष या स्लज 19.2 स्पेंट उत्प्रेरक

20.	विलायकों का उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	20.1 संदूषित एरोमेटिक, एलिफेटिक या नेफटेनिक विलायकों से युक्त विलायक जो पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो या न हो 20.2 स्पेंट विलायक 20.3 आसवन अवशेष 20.4 प्रक्रिया स्लज
21.	पेंट, रंजक, लेकर्स, वार्निश, प्लास्टिकों और स्याही का उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	21.1 प्रक्रिया अपशिष्ट, अवशेष और स्लज 21.2 स्पेंट विलायक
22.	प्लास्टिक का उत्पादन	22.1 स्पेंट उत्प्रेरक 22.2 प्रक्रिया अवशेष
23.	गोंद, कार्बनिक सीमेंट, आसंजक और रेजिन का उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	23.1 अपशिष्ट या अवशेष (जो वनस्पति या जीव जन्तु सामग्री से न बना हो) 23.2 स्पेंट विलायक
24.	केनवस और कपड़े का उत्पादन	24.1 रासायनिक अवशेष
25.	काष्ठ परिरक्षियों का औद्योगिक उत्पादन और निरूपण	25.1 रासायनिक अवशेष 25.2 काष्ठ धार बाथ से अवशेष
26.	कृत्रिम रंजकों, मध्यवर्ती रंजकों और रंगों का उत्पादन या औद्योगिक उपयोग	26.1 प्रक्रिया अपशिष्ट स्लज/अम्ल, विषाक्त धातुओं, कार्बनिक यौगिकों से युक्त अवशेष 26.2 वायु फिलट्रेशन तंत्र से धूल कण 26.3 स्पेंट अम्ल 26.4 स्पेंट विलायक 26.5 स्पेंट उत्प्रेरक
27.	कार्बनिक - सिलिकॉन यौगिक का उत्पादन	27.1 प्रक्रिया अवशेष
28.	औषधी/फार्मस्यूटिकल्स और स्वास्थ्य परिचर्या का उत्पादन/निरूपण	28.1 प्रक्रिया अवशेष और अपशिष्ट 28.2 स्पेंट उत्प्रेरक 28.3 स्पेंट कार्बन 28.4 ऑफ स्पेसीफिकेशन उत्पाद 28.5 वे उत्पाद जिनकी तिथि बीत चुकी है 28.6 स्पेन्ट विलायक
29.	स्टाक - पार्डल्स सहित कीटनाशकों का उत्पादन और निरूपण	29.1 प्रक्रिया अपशिष्ट/अवशेष 29.2 अवशेष कीटनाशकों से युक्त स्लज 29.3 जिनकी तिथि बीत चुकी है और ऑफ-स्पेसीफिकेशन कीटनाशक 29.4 स्पेंट विलायक 29.5 स्पेंट उत्प्रेरक 29.6 स्पेंट अम्ल
30.	चर्मशोधन	30.1 अवशेष और स्लज युक्त क्रोमियम
31.	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	31.1 प्रक्रिया अवशेष और अपशिष्ट 31.2 स्पेंट एचिंग रसायन और विलायक
32.	लुगदी और कागज उद्योग	32.1 स्पेंट रसायन 32.2 तेज अम्ल और धार के उपयोग से उत्पन्न संक्षारक अपशिष्ट 32.3 घुलनशील कार्बनिक हेलाइट्स (एओएक्स) युक्त प्रक्रिया स्लज
33.	परिसंकटमय अपशिष्टों/ रसायनों के प्रहस्तन के लिए प्रयुक्त बैरेलों/कन्टेनरों का विसंदूषण	33.1 परिसंकटमय रसायनों/अपशिष्टों से संदूषित खाली बैरल/कन्टेनर/लाईनर 33.2 संदूषित कॉटन रैग या अन्य सफाई सामग्री
34.	परिसंकटमय अपशिष्टों/ रसायनों के प्रहस्तन के लिए प्रयुक्त बैरेलों/कन्टेनरों का विसंदूषण	34.1 विसंदूषण से उत्पन्न रसायन युक्त अवशेष 34.2 बैरेलों/कन्टेनरों की सफाई/निपटान से उत्पन्न अपशिष्ट जल के शोधन से स्लज
35.	इस अनुसूची में प्रक्रियाओं से निकास हुए वायु/गैसों, जल और अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण और शोधन और साझा औद्योगिक बहिःस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)	35.1 निकास वायु या गैस सफाई अवशेष 35.2 विषाक्त धातु युक्त स्पेंट आयन एक्सचेंज रेसिन 35.3 अपशिष्ट जल के शोधन से उत्पन्न रासायनिक स्लज 35.4 ऑयल और ग्रीस स्किमिंग 35.5 कूलिंग जल से क्रोमियम स्लज

36.	कार्बनिक संघटकों/विलायकों के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया	36.1 किसी भी प्रक्रिया या आसवन के अवशेष 36.2 स्पेंट कार्बन या फिल्टर मीडियम
37.	परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थों की शोधन प्रक्रियाएं, उदाहरणार्थ पूर्व प्रसंस्करण, भष्मीकरण और सांद्रण	37.1 वेट स्क्रबर्स से स्लज 37.2 भष्मीकरण से उत्पन्न राख और गलू गैस क्लीनिंग अवशेष 37.3 सांद्रण या वाष्पीकरण अवशेष
38.	क्रोमिनियम, मैंगनीज, निकेल, कैडमियम इत्यादि जैसी भारी धातुओं से युक्त अयस्कों का रासायनिक का प्रसंस्करण	38.1 प्रक्रिया अवशेष 38.2 स्पेंट अम्ल

* इस अनुसूची में अन्तर्विष्ट अपशिष्ट पदार्थों को शामिल करना, अनुसूची II के उपयोग को यह दर्शाने के लिए प्रवारित नहीं करता है कि अपशिष्ट पदार्थ परिसंकटमय नहीं है। विवाद के मामले में, यह मामला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित की गई तकनीकी समीक्षा समिति को भेजा जाएगा।

टिप्पण: उच्च मात्रा कम प्रभाव वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे फ्लाई ऐश, फॉसफोजिप्सम, रेड मड, जेरोसाइट, पायरोमेटलर्जिकल प्रचालनों से स्लैग्स, माईन टेलिंग्स और अयस्क बेनिफिसियेशन रिजेक्ट्स को परिसंकटमय अपशिष्टों की श्रेणी से हटाया गया है। इन अपशिष्टों के प्रबंधन के संबंध में पृथक मार्गदर्शक सिद्धांत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे।

अनुसूची II

[नियम 3(1)(17)(ii) देखें]

सांद्रता सीमाओं सहित अपशिष्ट घटकों की सूची

वर्ग क : निश्चालन सांद्रता सीमाओं पर आधारित [विषाक्तता लक्षण निश्चालन प्रक्रिया (टीसीएलपी) या घुलनशील प्रारंभिक सीमा सांद्रता (एसटीएलसी)]

वर्ग	संघटक	सांद्रता मि.ग्रा/ली.में
(1)	(2)	(3)
क1	आर्सेनिक	5.0
क2	बेरियम	100.0
क3	कैडमियम	1.0
क4	क्रोमियम और/या क्रोमियम (III) यौगिक	5.0
क5	लेड	5.0
क6	मैंगनीज	10.0
क7	पारा	0.2
क8	सेलेनियम	1.0
क9	चांदी	5.0
क10	अमोनिया	50*
क11	साइनाइड	20*
क12	नाइट्रेट (नाइट्रेट-नाइट्रोजन के रूप में)	1000.0
क13	सल्फाइड (एच ₂ एस के रूप में)	5.0
क14	1,1 - डायक्लोरोइथिलीन	0.7
क15	1,2 - डायक्लोरोइथेन	0.5
क16	1,4 - डायक्लोरोबेंजीन	7.5
क17	2,4,5 - ट्राइक्लोरोफिनाॅल	400.0
क18	2,4,6 - ट्राइक्लोरोफिनाॅल	2.0
क19	2,4 - डायनाइट्रोटॉलुइन	0.13
क20	बेंजीन	0.5

वर्ग (1)	संघटक (2)	सांद्रता मि.ग्रा/ली.में (3)
क21	बेंजो (क) पायरिन	0.001
क22	ब्रोमोडाइक्लोरोमिथेन	6.0
क23	ब्रोमोफॉर्म	10.0
क24	कार्बनटेट्राक्लोराइड	0.5
क25	क्लोरोबेंजीन	100.0
क26	क्लोरोफॉर्म	6.0
क27	क्रिसोल (ऑर्थो + मीटा + पारा)	200.0
क28	डाईब्रोमोक्लोरोमिथेन	10.0
क29	हेक्साक्लोरोबेंजिन	0.13
क30	हेक्साक्लोरोब्यूटाडिन	0.5
क31	हेक्साक्लोराइथेन	3.0
क32	मिथाइलइथाइल किटोन	200.0
क33	नेपथलिन	5.0
क34	नाइट्रोबेंजिन	2.0
क35	पेंटाक्लोरोफेनोल	100.0
क36	पाइरीडिन	5.0
क37	टेट्राक्लोरोइथिलीन	0.7
क38	ट्राईक्लोरोइथिलीन	0.5
क39	विनाइलक्लोरोइड	0.2
क40	2,4,5 - टी.पी. (सिलवेक्स)	1.0
क41	2,4 - डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसेटिक एसिड	10.0
क42	अलाक्लोर	2.0
क43	अल्फा एचसीएच	0.001
क44	एट्राजाइन	0.2
क45	बीटा एचसीएच	0.004
क46	ब्यूटाक्लोर	12.5
क47	क्लोरडेन	0.03
क48	क्लोरपाइरीफॉस	9.0
क49	डेल्टा एचसीएच	0.004
क50	एंडोसल्फान (अल्फा + बीटा + सल्फेट)	0.04
क51	एंड्रिन	0.02
क52	इथियॉन	0.3
क53	हेप्टाक्लोर (और इसके इपॉक साइड)	0.008
क54	आइसोप्रोटूरॉन	0.9
क55	लिंडेन	0.4
क56	मालाथियॉन	19
क57	मिथाँक्सीक्लोर	10
क58	मिथाईलपाराथिअन	0.7
क59	मोनोक्रोटोफॉस	0.1
क60	फोरेट	0.2

वर्ग	संघटक	सांद्रता मि.ग्रा./ली.में
(1)	(2)	(3)
क61	टॉक्साफिन	0.5
क62	एन्टीमोनी	15
क63	बेरिलियम	0.75
क64	क्रोमियम (vi)	5.0
क65	कोबाल्ट	80.0
क66	तांबा	25.0
क67	मोलिब्डेनम	350
क68	निकेल	20.0
क69	थैलियम	7.0
क70	वानाडियम	24.0
क71	जिंक	250
क72	फ्लोराइड	180.0
क73	अल्ड्रिन	0.14
क74	डाईकलोरीडाईफिनाइलट्राईक्लोरीइथेन (डीडीटी), डाईक्लोरीडाईफिनाइलडाईक्लोरीइथिलिन (डीडीई), डाईक्लोरीडाईफिनाइलडाईक्लोरीइथेन (डीडीडी)	0.1
क75	डाईएल्ड्रिन	0.8
क76	किपोन	2.1
क77	माइरेक्स	2.1
क78	पोलीक्लोरोनिटेड बाईफिनाइल	5.0
क79	डॉईऑक्सिन 2,3,7,8-टीसीडीडी	0.001

वर्ग ख : कुल प्रारंभिक सीमा सांद्रता (टीटीएलसी) पर आधारित

वर्ग	संघटक	सांद्रता मि.ग्रा./कि.ग्रा.
(1)	(2)	(3)
ख1	एस्बेस्टस	10000
ख2	टोटल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन (टीपीएच) (सी5 - सी 36)	5000

टिप्पणी :

- वर्ग क के क1 से क61 में संघटकों की सूची के लिए परीक्षण पद्धति विषाक्तता लक्षण निश्चालन प्रक्रिया (टीसीएलपी) पर आधारित होगा और निश्चालन योग्य संघटकों के निष्कर्षण हेतु यूएसईपीए परीक्षण पद्धति 1311 का प्रयोग किया जाएगा।
- वर्ग क के क62 से क79 के घटकों की सूची के लिए परीक्षण पद्धति घुलनशील प्रारंभिक सीमा सांद्रता (एसटीएलसी) पर आधारित होगी और कैलिफोर्निया कोड विनियमन (सीसीआर) के शीर्षक 22 की धारा 66261 के परिशिष्ट II में दी गई अपशिष्ट निष्कर्षण परीक्षण (डब्ल्यूएटी) प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा।
- अमोनिया (क10), साइनाइड (क11) और क्रोमियम VI क64 के मामले में, निष्कर्षण टीसीएलपी/एसटीएलसी प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट निश्चालन माध्यम की बजाय डिस्टिल्ड पानी का प्रयोग करके किया जाएगा।
- इन निश्चालन पद्धतियों का उपर्युक्त विशिष्ट लीचिंग/एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया सार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित परिसंकटमय अपशिष्ट के लक्षण वर्णन तथा विश्लेषण के मैनुअल में शामिल है और यदि यह पद्धति उक्त मैनुअल में शामिल न हो तो मापन के लिए उपर्युक्त संदर्भ पद्धति अपनाई जा सकती है।
- एस्बेस्टस के मामले में, निर्दिष्ट सांद्रता सीमाएं केवल तभी लागू होंगी यदि सामग्री भुरभुरी, पाउडरीकृत या महीन टुकड़े की अवस्था में हो।
- अपशिष्ट में विश्लेषित किए जाने वाले परिसंकटमय घटक उद्योग की प्रकृति और प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्रियों के प्रासंगिक होंगे।
- ऐसे अपशिष्ट जिसमें नीचे सूचीबद्ध घटकों में से कोई एक पाया जाए तो उन्हें परिसंकटमय समझा जाएगा परंतु यह कि वे इस अनुसूची के वर्ग ग में सूचीबद्ध विशेषताओं को प्रदर्शित करें :

1.	एसिड एमाइड
----	------------

2.	एसिड हाइड्राइड
3.	एमाइन
4.	एंथ्रासिन
5.	श्रेणी क में सूचीबद्ध को छोड़कर अन्य ऐरोमेटिक कंपाउंड
6.	ब्रोमेट, (हाइपो-ब्रोमाइट)
7.	क्लोरेट (हाइपो-क्लोराइट्स)
8.	कार्बोनील
9.	फेरो-सिलिकेट और एलाय
10.	हैलोजेन - ऐसे यौगिक वाली सामग्री जो आर्द्र वायु या जल के साथ संपर्क में आने पर एसिडिक वाष्प उत्पन्न करते हैं अर्थात् सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड
11.	हैलोजेन - साइलेनेस
12.	हैलोजिनेटेड एलिफेटिक कंपाउंड
13.	हाइड्राजाइन
14.	हाइड्राइड
15.	अकार्बनिक एसिड
16.	अकार्बनिक पेरॉक्साइड
17.	अकार्बनिक टिन कंपाउंड
18.	लोडेट
19.	(आइसो और थायो-) साइनेट
20.	मैंगनीज-सिलिकेट
21.	मर्कैप्टन
22.	मेटल कार्बोनील
23.	मेटल हाइड्रोजन सल्फेट
24.	नाइट्राइड
25.	नाइट्राइल
26.	कार्बनिक ऐजो और एजोक्सी कंपाउंड
27.	कार्बनिक पेरॉक्साइड
28.	कार्बनिक ऑक्सीजन कंपाउंड
29.	कार्बनिक सल्फर कंपाउंड
30.	कार्बनिक-टिन कंपाउंड
31.	कार्बनिक नाइट्रो-और नाइट्रोसो कंपाउंड
32.	हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, मैंगनीशियम, कैल्शियम के ऑक्साइडों और हाइड्रॉक्साइडों को छोड़कर ऑक्साइड और हाइड्रॉऑक्साइड
33.	फिनैथ्रिनिन
34.	फिनॉलिक कंपाउंड
35.	एल्युमिनियम कैल्शियम और आयरन के फॉस्फेटों को छोड़कर फॉस्फेट कंपाउंड
36.	प्री-एसिड के साल्ट
37.	कुल सल्फर
38.	टंगस्टन कंपाउंड
39.	टेल्युरियम और टेल्युरियम कंपाउंड
40.	सफेद और लाल फॉस्फेरस

41.	2-एसिटाइलएमिनोफ्लोरिन
42.	4-एमिनोडाइफिनाइल
43.	बेंजीडाइन और इसके साल्ट
44.	बिस (क्लोरोमिथाइल) इथर
45.	मिथाइल क्लोरोमिथाइल इथर
46.	1,2 - डाइब्रोमो-3-क्लोरोप्रोपेन
47.	3,3- डाइक्लोरोबेंजिडाइन और इसके साल्ट
48.	4-डाइमिथाइलएमिनोएजोबेंजिन
49.	4-नाइट्रोडाइफिनाइल
50.	बीटा-प्रोपायोलैक्टोन

वर्ग ग : परिसंकटमय विशेषताओं के आधार पर

ऊपर दिए गए सांद्रता सीमा के अलावा, पदार्थ या अपशिष्ट को परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कोड परिसंकटमय भी संघटक की उपस्थिति प्रदर्शित होती हो:

वर्ग ग1: ज्वलनशील- अपशिष्ट जिसे नमूने में ज्वलनशील या आग पकड़ने वाला निम्नलिखित में से कोई भी गुण प्रदर्शित हो, नामत :-

- (i) ज्वलनशील द्रव, या द्रवों का मिश्रण, या द्रव जिसके घोल में ठोस या आस्थगन (उदाहरणार्थ, पेंट, वार्निश, रोगन आदि, परंतु वैसे सत्व या अपशिष्ट शामिल न हों जिन्हें उनकी परिसंकटमय विशिष्ट के कारण अन्यथा वर्गीकृत किया गया हो), जिनसे 60⁰ सेल्सियस के कम तापमान पर ज्वलनशील वाष्प उत्सर्जित होती हो। इस दीप्ति बिंदु का मापन एएसटीएमडी 93-79 के अनुरूप क्लोज्ड कप टेस्ट प्रणाली द्वारा या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक समतुल्य परीक्षण पद्धति द्वारा यथा निर्धारित तरीके से किया जाएगा;
- (ii) जो द्रव न होते हुए भी मानक तापमान और दबाव पर घर्षण, नमी के अपशोषण या स्वतः प्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों और सुलगाने पर प्रबलता से निरंतर जलते हुए परिसंकट उत्पन्न करने में सक्षम हों ;
- (iii) जो दहनीय संपीडित गैस हो;
- (iv) जो ऑक्सीकारक हो और विशिष्टिकरण के उद्देश्य से वैसा पदार्थ जैसे क्लोरेट, परमैंगनेट, अकार्बनिक पेरोक्साइड, या नाइट्रेट हैं, जो कार्बनिक पदार्थ के दहन को तीव्र करने के लिए तत्परता से ऑक्सीजन नसर्जित करते हैं।

वर्ग ग2: संक्षारकता- अपशिष्ट जिसके प्रतिनिधिक नमूने में निम्नलिखित में से संक्षारकता की कोई भी विशिष्टि प्रदर्शित होती हो, नामत :-

- (i) जो जल युक्त हो और जिसका पीएच 2 के समतुल्य या उससे न्यून या 12.5 के समतुल्य या अधिक हो;
- (ii) जो द्रव हो और इस्पात (एसआई1020) का परीक्ष्यमान 55⁰ सेल्सियस के तापमान पर 6.35 मिमी प्रतिवर्ष की दर से संक्षरण करें;
- (iii) जो जलयुक्त न हो और, समभार जल के साथ मिश्रित किए जाने पर ऐसा कोल बनाता हो, जिसका पीएच2 से न्यून या 12.5 से अधिक या समतुल्य हो;
- (iv) जो द्रव न हो और, समतुल्य भार जल के साथ मिश्रित किए जाने पर ऐसा द्रव उत्पन्न करता हो जो इस्पात (एसआई1020) को परीक्ष्यमान 55⁰ सेल्सियस के तापमान पर 6.35 मिमी प्रतिवर्ष से अधिक की दर संक्षरित करता हो।

टिप्पणी :

संक्षारकता निर्धारित करने के उद्देश्य से, पीएच निर्धारण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो 9040 ग पद्धति, संक्षारकता विशेषताओं को स्थापित करने के लिए स्टील (एसआई1020) की दिशा में संक्षारकता के लिए एनएसीई टीएम 01 69 : धातुओं के प्रयोगशाला संक्षारण परीक्षण और ईपीए 1110क पद्धति को अपनाया जाएगा।

वर्ग ग3: प्रतिक्रियात्मकता विस्फोटक- ठोस अपशिष्ट प्रतिक्रियात्मक विशिष्ट युक्त माना जाएगा यदि अपशिष्ट का प्रतिनिधिक नमूना निम्नलिखित प्रदर्शित करें, नामत :-

- (i) जो सामान्य या अस्थिर हो बिना डिटोनेटिंग के आसानी से उग्र परिवर्तन उत्पन्न करता हो;
- (ii) जो जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करे या जल के साथ प्रदूषक विस्फोटक मिश्रण बनाता हो;

- (iii) जो जल के साथ मिश्रित किए जाने पर मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक मात्रा में विषैली गैस, वाष्प या धूम्र उत्पन्न करें;
- (iv) जो सायनाइड या सल्फाइड हो, जिसे 2 और 12.5 पीएच अवस्थिति में एक्सपोज किए जाने पर मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक मात्रा में विषैली गैस, वाष्प या धूम्र उत्पन्न होता हो;
- (v) जो डिटोनेशन या विस्फोटक प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, यदि इसे प्रबल अनभयस्त स्रोत के सामीप्य या परिरुद्ध तापित किया जाए;
- (vi) जो डिटोनेशन या विस्फोटक अपघटन या मानक तापमान और दबाव पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो;
- (vii) जो प्रतिबंधित विस्फोटक हो।

वर्ग ग4: विषाक्त - अपशिष्ट विषाक्तता का लक्षण प्रदर्शित करता है, यदि

- (i) अपशिष्ट के संघटकों की सांद्रता इस अनुसूची के वर्ग क और ख में सूचीबद्ध सीमा के समतुल्य या उसमें अनुज्ञेय निर्धारित सीमा से अधिक हो;
- (ii) यह प्रति किलोग्राम 2500 मि.ग्रा. से कम तीक्ष्ण मौखिक एलडी50 रहा हो;
- (iii) इसमें प्रति किलोग्राम 4300 मि.ग्रा. से कम तीक्ष्ण त्वचीय एलडी50 रहा हो;
- (iv) गैस या वाष्प के रूप में प्रति मिलियन 10000 भाग से कम तीक्ष्ण अंतःश्वसन एलसी50 रहा हो;
- (v) विलियन जल में प्रति लीटर 500 मि.ग्रा. के सांद्रण और बीआईएस परीक्षण पद्धति 6582-2001 में यथानिर्दिष्ट परीक्षण परिस्थितियों में जेब्राफिश (ब्रेकिडेनियो रेरियो) के लिए 96 घंटे के अंदर 50 प्रतिशत मृत्यु दर के साथ तीक्ष्ण जलीय विषाक्तता रखता हो;
- (vi) अनुभव या मानक संदर्भ परीक्षण पद्धति के आधार पर जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को अपनी कैसरकारी, म्यूटाजेनेसिटी, इंडोक्राइन भंगुरता, अचिर विषाक्तता, चिर विषाक्तता, जैव संग्राही गुणों या पर्यावरण में उपस्थिति के कारण खतरा उत्पन्न करे।

वर्ग ग5 : पदार्थ या अपशिष्ट जो स्वतः ज्वलनशील हो - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जिनके परिवहन में सामान्य स्थितियों के अंतर्गत स्वतः गर्म होने या वायु के संपर्क में आने पर गर्म होने और तत्पश्चात इसमें आग पकड़ लेने की प्रवृत्ति हो।

वर्ग ग6 : पदार्थ या अपशिष्ट जो जल से मिश्रित होने पर ज्वलनशील गैस उत्सर्जित करते हैं - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो जल से संपर्क में आने पर स्वतः ज्वलनशील हों या खतरनाक मात्रा में ज्वलनशील गैस उत्पन्न करते हों।

वर्ग ग7 : ऑक्सीकारक - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो स्वयं अनिवार्य रूप से दहनशील न हों, किन्तु सामान्यतया ऑक्सीजन उत्पन्न करके अन्य सामग्री में आग लगने के कारक या सहायक हो सकते हैं।

वर्ग ग8 : कार्बनिक पेराऑक्साइड : ऐसे कार्बनिक पदार्थ या अपशिष्ट जिनमें वाइवेलेंट ओ-ओ संरचना हो, जिनमें एकजोथर्मिक स्वतः त्वरित विघटन हो सकता हो।

वर्ग ग9 : विष (तीव्र) : ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जिन्हें यदि निगल या सूँघ लिया जाए या त्वचा से संपर्क में आ जाए तो मृत्यु का कारण बन सकते हों, गंभीर क्षति पहुंचा सकते हों या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हों।

वर्ग ग10 : संक्रामक पदार्थ - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जिनमें व्यवहार्य सूक्ष्म जीव या उनके विष हों जो पशुओं या मनुष्यों में बीमारी फैलाते हों।

वर्ग ग11 : वायु या जल से संपर्क में आने पर विषाक्त गैसों का उत्सर्जन - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो वायु या जल से संपर्क में आने पर खतरनाक मात्रा में विषाक्त गैसें उत्सर्जित करें।

वर्ग ग12 : पारि-विषाक्त - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि उत्सर्जित हो जाएं तो पर्यावरण पर तात्कालिक या विलंबित रूप से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हों या विषैले प्रभाव छोड़ सकते हों।

वर्ग ग13 : जो किसी उपाय से निस्तारण के पश्चात अन्य सामग्री विसर्जित कर सकते हों अर्थात् लीचेट जिसमें ऊपर सूचीबद्ध विशेषताओं में से कोई एक विशेषता हो सकती है।

(नियम 3 (1) (17)(iii), (3)(23), 12, 13 और 14 देखें)

(भाग क)**भाग क : पूर्व सूचित स्वीकृति सहित आयात और निर्यात के लिए अनुप्रयुक्त परिसंकटमय अपशिष्टों पदार्थों की सूची बेसल कन्वेंशन का उपाबंध VIII*)**

बेसल सं.	परिसंकटमय अपशिष्ट का वर्णन
(1)	(2)
क 1	धातु और धातु युक्त अपशिष्ट
क 1010	धातु अपशिष्ट और वे अपशिष्ट जिसमें निम्नलिखित किसी भी धातु के एलाय हों किन्तु भाग ख और भाग घ में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर - एंटीमनी - कैडमियम - सीसा - टेल्यूरियम
क 1020	अपशिष्ट जिनमें संघटक या संदूषक हैं, स्थूल रूप में धातु अपशिष्टों को छोड़कर, कोई या निम्नलिखित : - एंटीमनी, एंटीमनी यौगिक - कैडमियम, कैडमियम यौगिक - सीसा, सीसा यौगिक - टेल्यूरियम, टेल्यूरियम यौगिक
क 1040	अपशिष्ट जिनमें धातु कार्बोनाईल संघटक हो
क 1050	गैल्वेनिक गाद
क 1070	जस्ता प्रसंस्करण, धूल और आपंक से निष्कालित अवशेष अर्थात् जेरोसाइट, हेमेटाईट आदि
क 1080	सांद्रणों में सीसा और कैडमियम वाली सूची ख में सम्मिलित न किए गए अपशिष्ट जिंक अवशेष के भाग ग में उपदर्शित परिसंकटमय लक्षण संप्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है।
क 1090	विद्युत्प्ररोधी तांबे की तारों के भष्मीकरण से प्राप्त भष्म
क 1100	तांबा प्रगालक की गैस शोधन प्रणाली से प्राप्त धूल और अवशेष
क 1120	तांबा विद्युत परिष्करण और विद्युत प्रापण की संक्रियाओं में से विद्युत अपघटनी शोधन प्रणाली के एनोड अवपंक को छोड़कर अपशिष्ट स्लज
क 1140	अपशिष्ट क्यूपरिक क्लोराइड और कॉपर साइनाइड उत्प्रेरक जो तरल स्वरूप में न हों, अनुसूची VI में संबंधित इंदराज नोट करें
क 1150	मुद्रित परिपथों के भष्मीकरण से उत्पन्न मूल्यवान धातु भष्म जो भाग ख के अंतर्गत न हो
क 1160	अपशिष्ट लेड एसिड बैटरियां या संपूर्ण या कुचली हुई
क 1170	बिन छठी पुरानी बैटरियों का सम्मिश्रण जो भाग ख बैटरियों में शामिल नहीं हैं। अपशिष्ट बैटरियां जो अनुसूची II में उल्लिखित भाग ख निहित संघटकों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, परिसंकटमय हैं।
क 2	मुख्यतः अकार्बनिक संघटकों वाले अपशिष्ट जिसमें धातु और कार्बनिक पदार्थ अंतर्विष्ट हों
क 2010	कैथोड किरण नालिकाएं और अन्य सक्रियकृत कांच से सक्रियकृत कांच के अपशिष्ट
क 2030	कैटालिस्ट अपशिष्ट किन्तु सूची ख में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर
क 3	मुख्यतः कार्बनिक संघटकों वाले अपशिष्ट, जिसमें धातु और अकार्बनिक सामग्री हों
क 3010	पेट्रोलियम कोक और बिटुमेन के उत्पादन या प्रसंस्करण से उत्पन्न अपशिष्ट
क 3020	अपशिष्ट खनिज तेल जो उनके मूल रूप में आशयित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हों
क 3050	रेसिन लेटेक्स, प्लास्टिडाइजर, सरेश या आसजकों के उत्पादन, संरूपण एवं उपयोग से उत्पन्न ऐसे अपशिष्ट, सूची ख में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर (ख 4020)

क 3120	श्रेडिंग से फ्लफ-लाइट फ्रैक्शन
क 3130	अपशिष्ट कार्बनिक फास्फोरस यौगिक
क 4	ऐसे अपशिष्ट जिनमें या तो अकार्बनिक या कार्बनिक संघटक हों।
क 4010	भेषज उत्पादों के उत्पादन और निर्मित तथा उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट किन्तु उन अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ख में विनिर्दिष्ट हैं।
क 4040	काष्ठ संरक्षी रसायन के विनिर्माण संरूपण और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट (इसमें काष्ठ संरक्षण रसायनों से उपचारित काष्ठ शामिल नहीं है)
क 4070	स्याही, रंजक, वणक, आसव, प्रलाक्षा वार्निश के उत्पादन, संरूपण और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट सूची ख में विनिर्दिष्ट को छोड़कर (4010)
क 4100	औद्योगिक बहिर्गैस के शोधन के लिए औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से प्राप्त अपशिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ख में विनिर्दिष्ट हैं
क 4120	अपशिष्ट जिसमें पेरोऑक्साइड हो सकता है, मिश्रित हो सकता है या संदूषित हो सकता है
क 4130	ऐसे अपशिष्ट पैकेज और आद्यान, जिनमें अनुसूची 3 के भाग ग की खतरनाक विशेषताओं को परिलक्षित करने के लिए पर्याप्त सांद्रण में अनुसूची II के घटक शामिल हों
क 4140	अनुसूची II में उल्लिखित और अनुसूची III के भाग ग की खतरनाक विशेषताओं का प्रदर्शित करने वाले घटक के तदनुसूची विशिष्टी या पुराने रसायनों (विनिर्माता द्वारा संस्तुत अवधि के अंदर प्रयोग न किया गया) से युक्त या मिश्रित अपशिष्ट
क 4160	मुक्तशेष सक्रियत कार्बन जो सूची ख में शामिल नहीं है (ख 2060)

*यह सूची परिसंकटमय अपशिष्ट के सीमा पार संचलन पर बेसल कन्वेंशन के उपाबंध VIII पर आधारित है तथा इसमें कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, पैरा 1 (क) के अधीन परिसंकटमय के रूप में माने गए अपशिष्ट समाविष्ट हैं। इस सूची में अपशिष्टों का समावेशन परिसंकटमय के शब्द को अलग नहीं करता है।

बेसल कन्वेंशन के उपाबंध VIII में (इस अनुसूची के भाग ग) में दिए गए परिसंकटमय लक्षणों के उपयोग से प्रदर्शित होता है कि अपशिष्ट परिसंकटमय नहीं है। **भाग-क में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रतिबंधित हैं तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के लाइसेंस, यदि लागू हो, के बिना उनका आयात किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।**

भाग ख

आयात और निर्यात के लिए लागू होने वाले अन्य अपशिष्टों की सूची, जिनके लिए पूर्व सूचित सहमति अपेक्षित नहीं है। (बेसल कन्वेंशन का उपाबंध IX*)

बेसल सं.	अपशिष्टों का वर्णन
ख 1	धातु और धातुयुक्त अपशिष्ट
ख1010	धात्विक, गैर-परिक्षेपण रूप में धातु और धातु एलॉय अपशिष्ट : -थोरियम स्क्रेप -रेयर अर्थ स्क्रेप
ख 1020	निम्नलिखित (शीट, प्लेट, बीम, छड़ इत्यादि) के रूप में निर्मित एलॉय सहित स्वच्छ, असंदूषित धातु स्क्रेप : - एंटीमनी स्क्रेप -बेरिलियम स्क्रेप - कैडमियम स्क्रेप - सीसा स्क्रेप (सीसा अम्ल बैटरियों को छोड़कर) -सिलिनियम स्क्रेप - टेल्युरियम स्क्रेप
ख 1030	अपशिष्ट निहित अपवर्तक धातुएं

ख 1031	धात्विक परिक्षेपण रूप (धातु चूर्ण) में मोल्ब्डेनम, अंगस्टन, टिटैनियम, टैंटालम, नियोबियम एवं रूथेनियम धातु और मिश्र धातु अपशिष्ट, सूची क के अंतर्गत प्रविष्टि क 1050 में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर, गाल्वनिक स्क्रैप
ख 1040	विद्युतशक्ति उत्पादन के समंजक स्क्रैप जो स्नेहक तेल, पीसीबी या पीसीटी द्वारा परिसंकटमय तय करने की सीमा तक प्रदूषित न हो।
ख 1050	भाग ग विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सांद्रता में अनुसूची II में वर्णित कैडमियम, एंटीमनी, शीशा और टेल्यूरियम निहित मिश्रित अलौह धातु हैवी फ्रैक्शन स्क्रैप
ख 1060	पाउडर सहित धात्विक एलिमेंटल रूप में अपशिष्ट सिलिनियम और टेल्यूरियम
ख 1070	ताम्र और ताम्र मिश्र धातुओं का अपशिष्ट विक्षेपित रूप में जब तक कि उनमें अनुसूची II में उल्लिखित कोई संघटक जो भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने की सीमाओं तक विनिर्दिष्ट सांद्रण सीमाओं तक अंतर्विष्ट न हो।
ख 1080	जिंक भस्म और अपशिष्ट जिसमें मिश्र अपशिष्ट विक्षेपित रूप में हो जब तक कि उनमें अनुसूची II में उल्लिखित कोई संघटक जो भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने की सीमाओं तक विनिर्दिष्ट सांद्रण सीमाओं तक अंतर्विष्ट न हो।
ख 1090	मानक बैटरी विनिर्देश के अनुरूप अपशिष्ट बैटरियां, सीसा, कैडमियम या पारे से बनी बैटरियों को छोड़कर।
ख 1100	धातुओं को गलाने, प्रगलन और परिष्करण से उत्पन्न अपशिष्ट युक्त धातु : - आर्सेनिक, शीशा या कैडमियम निहित स्लैग जो प्रसंस्करण या परिष्करण के लिए ताम्र प्रसंस्करण से प्राप्त होता हो। - पुनः परिष्करण हेतु बहुमूल्य धातुओं के प्रसंस्करण से प्राप्त स्लैग ताम्र गलन से उत्पन्न क्रुसिबल सहित रिफ्रैक्ट्री संस्तर के अपशिष्ट 0.5% से कम टिन सहित टैंटेलम युक्त टिन स्लैग
ख 1110	अनुसूची III के भाग ग में सूचीबद्ध एसेम्बलीज को छोड़कर प्रयुक्त विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसेम्बलीज - वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसेम्बलीज जिनमें केवल धातुएं या मिश्र धातुएं हों -इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक पुर्जों के ऐसे स्क्रैप अपशिष्ट (छपाईयुक्त सर्किट बोर्ड सहित) जिनमें अनुसूची III के भाग क में शामिल एक्यूमुलेटर्स तथा अन्य बैटरियां, मरकरी स्विच, कैथोड रे ट्यूबों के कांच व अन्य क्रियाशील कांच पीसीबी कैपीसिटर्स इत्यादि न हो या कैडमियम, मरकरी, सीसा पॉलीक्लोरीनेटेड बाई फिनाइल जैसे अवयवों से संदूषित न हो या उन चीजों से जिनमें इन्हें निकाला गया हो और उनमें अनुसूची III के भाग ग में निहित विशेषता, उसमें विनिर्दिष्ट सांद्रण की सीमा तक न हों।
ख 1120	प्रयुक्त कैटलिस्ट सिवाए ऐसे तरल पदार्थों के जिसका उपयोग कैटालिस्ट के रूप में किया गया हो, जिनमें निम्न में से कोई भी शामिल हो : ट्रांजीशन धातुएं, भाग क और अनुसूची VI में शामिल अपशिष्ट कैटालिस्ट को छोड़कर (प्रयुक्त कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के रूप में उपयोग किए गए तरल पदार्थ या अन्य कैटालिस्ट) : स्कैन्डियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज लौह कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक यट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम हैफनियम टैंटालम टंगस्टन रेनियम लैन्थेनाइड (दुर्लभ-भू धातुएं) : लैन्थेनम सीरियम प्रासियोडायमियम नियोडाईमियम समेरियम यूरोपियम गेडोलिनियम टरबियम डिसप्रोसियम होलमियम इर्बियम थुलियम येटरबियम लुटेटियम

ख 1130	कैटालिस्टयुक्त क्लीन्ड स्पैट बहुमूल्य धातु
ख 1140	ठोस रूप में बहुमूल्य धातु, जिसके अंतर्विष्ट अपशिष्ट जिसके अंतर्विष्ट अनुरेख अकार्बनिक साइनाइड हो
ख 1150	समुचित पैकेजिंग तथा लेबलिंग के साथ प्रक्षिण स्वरूप में मूल्यवान धातु, और मिश्र धातु अपशिष्ट (सोना, चांदी, प्लेटिनम वर्ग के किन्तु पारा को छोड़कर)
ख 1160	मुद्रित सर्कट बोर्ड के भस्मीकरण बहुमूल्य धातु भस्म, (सूची क क 1150 से संबंधित प्रविष्टि नोट करें)
ख 1170	फोटोग्राफिक फिल्म के भस्मीकरण से बहुमूल्य धातु भस्म
ख 1180	चांदी हैलाइड और धात्विक चांदी वाली अपशिष्ट फोटोग्राफिक फिल्म
ख 1190	चांदी हैलाइड और धात्विक चांदी वाला अपशिष्ट फोटोग्राफिक कागज
ख 1200	आयरन और स्टील के विनिर्माण से उत्पन्न ग्रेनुलेटेड स्लैग
ख 1210	आयरन और स्टील के उत्पादन से उत्पन्न स्लैग जिसमें टिटैनियम डाइ-ऑक्साइड और वेनेडियम के स्रोत के रूप में स्लैग शामिल हैं
ख 1220	जिंक उत्पादन के स्लैग, कैमिकली स्टैबलाइज्ड, जिसमें आयरन अंश अधिक है (20% से अधिक) और जिसे औद्योगिक विनिर्देशों के अनुसार मुख्यतः निर्माण के लिए प्रसंस्कृत किया गया है
ख 1230	आयरन और स्टील के विनिर्माण से उत्पन्न मिल स्केलिंग**
ख 1240	कापर-ऑक्साइड मिल स्केल
ख 2	मुख्यतः अकार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट धातु जिनमें धातु और कार्बनिक तत्व हो सकते हैं।
ख 2010	गैर-विक्षेपित रूप में खनन सक्रियाओं से अपशिष्ट :
	- प्राकृतिक ग्रेफाइट अपशिष्ट
	- स्लेट अपशिष्ट
	- अन्नक अपशिष्ट
	- ल्यूसाइट, नेफलाइन और नेफलाइन साइनाइट अपशिष्ट
	- फेल्डस्पार अपशिष्ट
	- फ्लोरस्फार अपशिष्ट
	- फाउंड्री सक्रियाओं में प्रयुक्त सिलिका को छोड़कर ठोस रूप में सिलिका अपशिष्ट
ख 2020	गैर-विक्षेपित रूप में कांच अपशिष्ट :
	- कांच क्यूलेट और अन्य अपशिष्ट कैथोड रे ट्यूबों अन्य और एक्टिवेटेड कांच से एक्टिवेटेड क्यूलेट के अलावा कांच स्क्रेप
ख 2030	गैर-विक्षेपित रूप में सेरामिक अपशिष्ट :
	सेरामिक अपशिष्ट और स्क्रेप (धातु सेरामिक लवण) - सेरामिक आधारित रेशें
ख 2040	मुख्यतया अकार्बनिक घटक वाले अन्य अपशिष्ट :
	- फ्लू गैस डीसलफरीजेशन से उत्पन्न आंशिक परिष्कृत कैल्शियम सल्फेट (एफजीडी) - भवन गिराने से उत्पन्न अपशिष्ट जिप्सम वालबोर्ड या प्लास्टर बोर्ड - मुख्य रूप से निर्माण और अपघर्षी अनुप्रयोगों के लिए औद्योगिक विशिष्टियों के अनुसार प्रसंस्कृत और उच्च लौह तत्व (20% से अधिक) वाले रासायनिक रूप से स्थिर, ताम्र उत्पादन से स्लैग - ठोस रूप में सल्फर - कैल्शियम सायनामाइड के उत्पादन से लाइमस्टोन (पीएच < 9) - सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड - कारबोरन्डम (सिलिकॉन कारबाइड) - खंडित कंक्रीट

	- लिथियम टेन्टालम और कांच स्क्रेप वाला निहित लिथियम-नियोबियम
ख 2060	अनुसूची II के किसी घटक के भाग ग के लक्षणों के प्रदर्शन की सीमा तक युक्त स्पैन्ट एक्टिवेटेड कार्बन, उदाहरणार्थ पेयजल की अभिक्रिया और खाद्य उद्योग की प्रक्रियाओं और विटामिन उत्पादन के कारण होने वाले स्पैन्ट एक्टिवेटेड कार्बन (भाग क (क 4160) पर सम्बद्ध प्रविष्टि नोट करें)
ख 2070	कैल्शियम फ्लोराइड स्लज
ख 2080	अनुसूची VI में शामिल नहीं रसायन उद्योग प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जिप्सम (क 2040 में संबंधित प्रविष्टि नोट करें)।
ख 2090	पेट्रोलियम कोक या बिटुमिन से बने स्टील या एल्युमिनियम उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट एनोड बट्स, जो कि सामान्य औद्योगिक विनिर्देशों के अनुसार साफ किए गए हैं (क्लोर एल्कली इलैक्ट्रोलाइसिस में एनोड बट्स और मैटालर्जिकल उद्योग को छोड़कर)
ख 2100	एल्युमिनियम के अपशिष्ट हाइड्रेट्स तथा अपशिष्ट अल्युमिना तथा गैस सफाई, फ्लोक्कुलेशन या फिल्टर प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त ऐसी सामग्रियों को छोड़कर
ख 2130	सड़क निर्माण और रख-रखाव से बिटुमिनस सामग्री (एस्फाल्ट अपशिष्ट) जिसमें टार शामिल न हो (अनुसूची VI, क 3200 में संबंधित प्रविष्टि नोट करें)
ख 3	मुख्यतया कार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट, जिनमें धातु और अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं
ख 3027	लेबल सामग्री उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों से युक्त स्व-आसंजक लेबल लैमिनेट अपशिष्ट
ख 3030	टेक्सटाइल अपशिष्ट निम्नलिखित सामग्रियां बशर्ते कि वे अन्य अपशिष्टों से मिश्रित न हों और निम्नलिखित विशिष्टियों से तैयार किए गए हों : <ul style="list-style-type: none"> - रेशम अपशिष्ट (रिलिंग, धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक के लिए अनुपयुक्त कॉकून सहित) <ul style="list-style-type: none"> • कार्डेड या कॉम्ब्ड नहीं • अन्य - धागा अपशिष्ट सहित किन्तु गार्नेटेड स्टॉक को छोड़कर ऊन या पशु के महीन या खुरदरे बाल का अपशिष्ट <ul style="list-style-type: none"> • ऊन या पशु के पतले बाल के नवॉयल • ऊन या पशु के पतले बाल के अन्य अपशिष्ट • पशु के खुरदरे बाल के अपशिष्ट - सूती अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) <ul style="list-style-type: none"> • धागा अपशिष्ट (सूत अपशिष्ट सहित) • गार्नेटेड स्टॉक • अन्य - पटसन की रस्सी और अपशिष्ट - रस्सी और शुद्ध पटुआ के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) (कनाविस स्टीवा एल.) - रस्सी और जूट और अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर (पटसन, शुद्ध पटुआ और रामी को छोड़कर) के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी और सिसाल तथा जेनस वनकुमारी के अन्य टेक्सटाइल रेशों के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी, नवॉयल तथा नारियल के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी, नवॉयल तथा अबाका के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) (मनीला पटुआ या मुसा टेक्सटाइल वर्ग) - रस्सी, नवॉयल तथा नारियल और अन्य वनस्पति टेक्सटाइल रेशों, जिन्हें अन्यत्र कहीं अधिसूचित या सम्मिलित नहीं किया गया है, के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - मानव निर्मित रेशों के अपशिष्ट (नवॉयल, धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) <ul style="list-style-type: none"> • सिंथेटिक रेशों के • कृत्रिम रेशों के - फटे पुराने वस्त्र और अन्य फटे पुराने टेक्सटाइल पदार्थ - प्रयुक्त रैग, स्क्रेप सुतली, कॉर्डेज, रस्सी तथा केबल और सुतली, कॉर्डेज, रस्सी की फटी पुरानी सामग्रियां या टेक्सटाइल सामग्रियों के केबल

	<ul style="list-style-type: none"> • छंटनी किए हुए • अन्य
ख3035	अपशिष्ट टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, कार्पेट
ख3040	<p>रबर अपशिष्ट</p> <p>निम्नलिखित सामग्रियां, बशर्ते कि उन्हें अन्य अपशिष्टों के साथ मिश्रित न किया जाए :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> हार्ड रबर (जैसे इबोनाइट) का अपशिष्ट तथा स्कैप <input type="checkbox"/> अन्य रबर अपशिष्ट (अन्यत्र निर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर)
ख3050	<p>अशोधित कॉर्क तथा काष्ठ अपशिष्ट :</p> <ul style="list-style-type: none"> - काष्ठ अपशिष्ट तथा स्कैप, चाहे उन्हें लट्टों, ब्रिकेटों, पेलेटों या समान स्वरूप में संकुचित किया गया हो या नहीं - कॉर्क अपशिष्ट : कुचले गए, दानेदार या ग्राउंड कॉर्क
ख3060	<p>कृषि-खाद्य उद्योगों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, बशर्ते कि वे संक्रामक न हों :</p> <ul style="list-style-type: none"> - वाइन ली - शुष्क तथा स्टेराइल किए गए सब्जी के अपशिष्ट, अवशिष्ट और उपोत्पाद, चाहे पशुओं के खिलाने में प्रयुक्त पेलेट के रूप में हों या न हों, जिन्हें अन्यत्र अधिसूचित या सम्मिलित नहीं किया गया हो - डेगरा : वसायुक्त पदार्थों या पशु या वनस्पति वैक्स के शोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त अवशिष्ट - हड्डियों तथा सिंग के अपशिष्ट, निष्काम, वसामुक्त, समान्य रूप से तैयार (किन्तु आकार में काटे गए नहीं), एसिड से शोधित या जिलेटिन मुक्त - मत्स्य अपशिष्ट - कोकोआ के छिलके, भूसी, चमड़े और अन्य कोकोआ अपशिष्ट - उपोत्पादों को छोड़कर कृषि-खाद्य उद्योग से उत्पन्न अन्य अपशिष्ट जो मानव या पशु उपभोग के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं और मानकों का अनुपालन करते हों।
ख3070	<p>निम्नलिखित अपशिष्ट :</p> <ul style="list-style-type: none"> - मानव केश का अपशिष्ट - अपशिष्ट पुआल - पशु चारे के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए पेंसिलिन के उत्पादन से प्राप्त डीएक्टिवेटेड फंगस माइसेलियम
ख3080	रबर के छंटनी अपशिष्ट और स्कैप
ख3090	चमड़े के गादों को छोड़कर चमड़े के छंटनी तथा अन्य अपशिष्ट या चमड़े की सामग्रियों के उत्पादन के लिए अनुपयुक्त चमड़े के घटक जिनमें हेक्सावैलेंट क्रोमियम मिश्रण और बायोसाइड सम्मिलित न हो (अनुसूची VI, क3100 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख3100	चमड़े की धूल, राख, गाद या मैदा जिनमें हेक्सावैलेंट क्रोमियम मिश्रण और बायोसाइड सम्मिलित न हो (अनुसूची VI, क3090 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख3110	फेलमोंगरी अपशिष्ट जिसमें जिनमें हेक्सावैलेंट क्रोमियम मिश्रण या बायोसाइड या संक्रामक पदार्थ सम्मिलित न हो (अनुसूची VI, क3110 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख3120	खाद्य रंजकों से मिश्रित अपशिष्ट
ख 3130	अपशिष्ट पॉलीमर ईथर और अपशिष्ट गैर-परिसंकटमय मोनोमर ईथर पेटाक्साइड फोरमिंग में अक्षम
ख 3140	न्यूमैटिक और अन्य टायर अपशिष्ट, संसाधन पुनःप्राप्ति, पुनःचक्रण, पुनःसुधार किन्तु प्रत्यक्ष पुनःउपयोग न किए जाने वालों को छोड़कर
ख 4	ऐसे अपशिष्ट, जिनमें अकार्बनिक और कार्बनिक घटक हो सकते हैं :
ख 4010	मुख्यतया जल आधारित या लेटैक्स पेंट, स्याही और हार्डेंड वार्निश वाले अपशिष्ट, जिनमें कार्बनिक, साल्वेट, भारी धातु या बायोसाइड उस सीमा तक नहीं है कि उन्हें परिसंकटमय कहा जा सके (भाग क 4070 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख 4020	रेसिन, लेटैक्स, प्लास्टिसाइजर ग्लूस या एडहेसिव के उत्पादन, निर्माण और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट जो भाग क में सूचीबद्ध नहीं हैं, साल्वेटमुक्त हैं और उस सीमा तक अन्य संदूषक जो भाग ग की विशेषताओं को नहीं दर्शाते हैं (भाग क, क3050 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख 4030	बैटरी सहित प्रयुक्त एकल प्रयोग कैमरा, जो भाग क में शामिल नहीं है।
ख 4030	बैटरी सहित प्रयुक्त एकल प्रयोग कैमरा, जो भाग क में शामिल नहीं है।

* यह सूची परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापार संचलन संबंधी बेसल कन्वेंशन के उपाबंध-IX पर आधारित है और इसमें वे अपशिष्ट सम्मिलित हैं, जो बेसल कन्वेंशन के अनुच्छेद-1 में परिसंकटमय के रूप में वर्णित नहीं किए गए हैं। **भाग ख में अपशिष्ट प्रतिबंधित हैं और** इनका निर्यात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश व्यापार लाइसेंस महानिदेशालय, यदि लागू हो, की अनुमति के बिना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

नोट :

- (1) कॉपर धातुमल, जिसमें तांबा 65% से अधिक और सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% तक या इससे कम, स्पैट क्लींड मेटल कैटालिस्ट तांबा हो; और तांबा रिवर्ट्स, केक और विशिष्ट, जिसमें सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% या इससे कम हो, को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत इकाईयों (वास्तविक प्रयोक्ताओं) को विदेश व्यापार महानिदेशालय के लाइसेंस के बिना और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति से अनुमति है। तांबा रिवर्ट्स, केक और अपशिष्ट जिनमें सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% से अधिक है, या उस प्रतिबंधित संवर्ग में है जिसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वास्तविक प्रयोक्ता) से अनुमति प्राप्त इकाईयों द्वारा प्रसंस्करण या पुनःउपयोग के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के लाइसेंस के विरुद्ध आयात की अनुमति है।
- (2) जिंक राख या वियोजन में स्कीमिंग, जिसमें जिंक 65% से अधिक और सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% या इससे कम है और स्पैट क्लींड मेटल कैटालिस्ट, जिसमें जिंक है, विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुज्ञप्ति के बिना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वास्तविक उपभोक्ता) के साथ रजिस्ट्रीकृत यूनियों को रजिस्ट्रीकरण पत्र में उपदर्शित वार्षिक मात्रा सीमा तक आयात की अनुमति है। जिंक राख और स्कीमिंग, जिसमें जिंक 65% से कम है और सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% या इससे अधिक है और हार्ड जिंक स्पैल्टर और ताम्र धातुमल, जिसमें सीसा 1.25% से अधिक है, उस निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन है जिसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वास्तविक उपभोक्ता) से रजिस्ट्रीकृत इकाईयों द्वारा प्रसंस्करण या पुनःउपयोग के प्रयोजन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय अनुज्ञप्ति पर आयात की अनुमति दी गई है।

भाग ग

परिसंकटमय विशेषताओं की सूची

कोड विशेषता

एच 1 विस्फोटक

कोई विस्फोटक पदार्थ या अपशिष्ट ठोस या तरल पदार्थ या अपशिष्ट (या पदार्थों या अपशिष्टों का मिश्रण) है, जो स्वयं में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ऐसे तापमान और दाब और ऐसी गति पर गैस उत्पादन में समर्थ है, जो आस-पास की वस्तुओं को हानि पहुंचाता है।

एच 3 ज्वलनशील द्रव

"ज्वलनीय" शब्द का वही अर्थ है जो ज्वलनशील का है। ज्वलनशील द्रव्य ऐसे द्रव्य सा द्रव्यों का मिश्रण है या विलयन या निलंबन से ठोसयुक्त द्रव्य है "(उदाहरणार्थ पेंट, वार्निश, रोगन इत्यादि, किन्तु इनमें ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट सम्मिलित नहीं है, जिन्हें उनके खतरनाक विशेषताओं के कारण अन्य रूप में वर्गीकृत किया गया है) जो क्लोज्ड-कप टेस्ट में 60.5 डिग्री सेल्सियस से अनाधिक के तापमान पर या ओपन-कप टेस्ट में 60.5 डिग्री सेल्सियस से अनाधिक के तापमान पर ज्वलनीय वाष्प छोड़ते हैं। (चूंकि ओपन-कप टेस्ट और क्लोज्ड-कप टेस्ट के परिणाम सर्वथा तुलनीय नहीं हैं और समान जांच के पृथक परिणाम भी परिवर्तनशील हैं, अतः ऐसे अंतरों को अनुज्ञात करने के लिए उपरोक्त अंकों से विनियमनों में फेरबदल करना इस परिभाषा के अभिप्राय के अनुरूप होगा)।

एच 4.1 ज्वलनीय ठोस

विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत से भिन्न ठोस अपशिष्ट ठोस जो परिवहन के दौरान झेली गई परिस्थितियों के अधीन आसानी से आग पकड़ लेते हैं या घर्षण, स्वप्रतिक्रिया से आग लगा सकते हैं।

एच 4.2 ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो स्वतः ज्वलनशील है

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जिनके परिवहन में सामान्य परिस्थितियों के अधीन स्वतः गर्म होने की संभावना होती है या जो वायु के संपर्क में आने पर गर्म हो जाते हैं और फिर आग पकड़ सकते हैं।

एच 4.3 जल से संपर्क होने पर ज्वलनीय गैसों उत्सर्जित करने वाले पदार्थ या अपशिष्ट

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो जल से परस्पर क्रिया द्वारा स्वतः ज्वलनीय बनने के या खतरनाक मात्रा में ज्वलनीय गैस छोड़ सकते हैं।

एच 5.1 ऑक्सीकरण

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो स्वयं आवश्यक रूप से दहनशील नहीं हैं, किन्तु साधारणतया ऑक्सीजन छोड़कर अन्य सामग्री में आग लगा सकते हैं, आग लगाने में सहायक हो सकते हैं।

एच 5.2 कार्बनिक पैरोक्साइड्स

ऐसे कार्बनिक पदार्थ या अपशिष्ट, जिनमें वाइवेलंट ओ-ओ संरचना है व ऊष्मीय अस्थिर पदार्थ है, जिनमें स्वतः त्वरित ऊष्माक्षेपक विघटन हो सकता है।

एच 6.1 विष (तीव्र)

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि निगल या सूंघ लिए जाएं या त्वचा से संपर्क द्वारा या तो मृत्यु का कारण बनने, गंभीर क्षति पहुंचाने या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

एच 6.2 संक्रामक पदार्थ

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो ऐसे जीवनक्षम सूक्ष्म जीवों या उनके ऐसे जीव विष से मुक्त हैं, जो पशुओं या मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं या ऐसा संदेह है।

एच 8 संक्षारक

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो रासायनिक क्रिया द्वारा जीवित ऊतकों के संपर्क में आने पर गंभीर क्षति पहुंचाएंगे, या परिवहन के साधनों को काफी क्षति पहुंचाएंगे या नष्ट भी कर देंगे, ये अन्य परिसंकट उत्पन्न कर सकते हैं।

एच 10 वायु या जल के संपर्क में विषैली गैसों का उत्सर्जन

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो वायु या जल से परस्पर क्रिया द्वारा खतरनाक परिमाणों में विषैली गैसों छोड़ सकते हैं।

एच 11 विषैली (विलंबित या चिरकालिक)

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि सूंघ लिए जाएं या जिनका अंतग्रहण कर लिया जाए या यदि त्वचा में प्रवेश कर लें तो विलंबित या चिरकालिक प्रभाव दिखा सकते हैं, जिनमें कासिनेजेनसिटी शामिल हैं।

एच 12 पारि-विषाक्त

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि उत्सर्जित हो जाएं तो पर्यावरण पर बायोएकुमुलेशन के द्वारा तुरंत या विलंबित प्रतिकूल प्रभाव और/या बायोटिक प्रणाली पर विषैला प्रभाव छोड़ते हैं या छोड़ सकते हैं।

एच 13

जो किसी उपाय से निस्तारण के पश्चात अन्य सामग्री छोड़ने में समर्थ हैं, उदाहरणार्थ लीचेट, जिसमें ऊपर सूचीबद्ध कोई एक लक्षण भी है।

भाग घ

आयात और निर्यात के लिए लागू होने वाले अन्य अपशिष्टों की सूची, जिनके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति पूर्व सूचित सहमति अपेक्षित नहीं है। (बेसल कन्वेंशन का उपाबंध IX*)

बेसल सं.	अपशिष्टों का वर्णन
ख 1	धातु और धातुयुक्त अपशिष्ट
ख 1010	धात्विक, गैर-परिक्षेपण रूप में धातु और धातु एलाय अपशिष्ट : - बहुमूल्य धातु (सोना, चांदी, प्लेटिनम किंतु पारा नहीं)** - लोहा और स्टील स्क्रेप** - निकल स्क्रेप** - एल्यूमिनियम स्क्रेप** - जिंक स्क्रेप** - टिन स्क्रेप** - टंगस्टन स्क्रेप** - मॉलिब्डेनम स्क्रेप** - टैंटालम स्क्रेप** - कोबाल्ट स्क्रेप** - विस्मथ स्क्रेप** - टाईटेनियम स्क्रेप** - जरकोनियम स्क्रेप** - मैगनीज स्क्रेप** - जरमेनियम स्क्रेप** - वेनेडियम स्क्रेप** - हैफनियम स्क्रेप** - इंडियम स्क्रेप** - नियोबियम स्क्रेप** - रेनियम स्क्रेप** - गैलियम स्क्रेप** - मैग्नीशियम स्क्रेप** - तांबा स्क्रेप** - क्रोमियम स्क्रेप**
ख 1050	मिश्र अलौह धातु हैवी फ्रैक्शन स्क्रेप जिसमें भाग ख 1050 में निर्दिष्ट धातुओं से अलग धातु मिश्रित हों और भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त सांद्रण में अनुसूची II में संघटक शामिल न हों।
ख 1100	धातुओं को गलाने, प्रगलन और परिष्करण से उत्पन्न अपशिष्ट युक्त धातु - हार्ड जिंक स्पेलटर** - जिंक युक्त ड्रोस ** : ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक टॉपड्रोस (>90% जिंक) ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक बॉटम ड्रोस (>92% जिंक) ~ जिंक डाई कास्टिंग ड्रोस (>85% जिंक) ~ हाट डिप गैल्वेनाइजर्स स्लैब जिंक ड्रोस (बैच) (>92% जिंक)

	~ जिक स्किमिंग्स
	- एल्युमिनियम स्कीमिंग (या स्कीम) लवण स्लैग को छोड़कर
ख 1110	वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और तार सहित), जो प्रत्यक्ष पुनः प्रयोग के प्रयोजन हेतु और पुनचक्रण या अंतिम निपटान के लिए न हों
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका आयात मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो * * *
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका आयात किराए के लिए और आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो * * *
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका निर्यात मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद पुनः आयात के लिए किया गया हो
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका आयात परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास, परियोजना कार्य उद्देश्यों और आयात की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के अंदर वापस पुनः निर्यात करने के लिए किया गया हो * * *
	- वारंटी पुनःस्थापनों के लिए आयातित कलपुर्जे परंतु यह कि सामान संख्या में खराब या अकार्यशील पुर्जे आयात के एक वर्ष की अवधि के अंदर वापस निर्यात किए जा रहे हों * * *
	- रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आयात की गई प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज * * *
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज (भारी संख्या में नहीं; संख्या तीन या इससे कम) जिनका आयात व्यक्तियों के लिए अपने निजी प्रयोगों के लिए किया गया हो
	- प्रयुक्त लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाईल, टैबलेट प्रत्येक में से एक जिसका एक आयात संघटनों द्वारा एक वर्ष के अंदर किया जाता हो
	- एकल व्यक्तियों के स्वामित्व और आवास के स्थानांतरण पर आयातित प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज
	- प्रयुक्त मल्टी फंक्शन प्रिंट और कॉपी करने की मशीनें (एमएफडी) * * * *
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका आयात एअरलाइनों द्वारा एअर क्राफ्टों के अनुरक्षण के लिए किया गया हो और उन्हें जहाज पर या सीमा शुल्क बंधित क्षेत्रों के एअर साइड पर स्थित संबंधी एअर लाइन भंडारणों में रखा गया हो
ख 3	मुख्यतः कार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट, जिनमें धातु और अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं
ख 3020	पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट * * निम्नलिखित सामग्री, बशर्ते उन्हें खतरनाक अपशिष्टों में नहीं मिलाया गया है : निम्नलिखित के पेपर अपशिष्ट और पेपर या पेपर बोर्ड स्क्रेप: - अविंजित पेपर या पेपर बोर्ड या लहरदार पेपर या पेपर बोर्ड - अन्य पेपर या पेपर बोर्ड मुख्यतया रंजित रसायन लुगदी से बने, व्यापक रूप से रंगा न गया हो - मुख्यतया यांत्रिक लुगदी (उदाहरणार्थ समाचार पत्र, पत्रिका और ऐसे ही मुद्रित सामग्री) से बना पेपर या पेपर बोर्ड - अन्य, किंतु उन तक सीमित नहीं 1) लेमिनेटिड पेपर बोर्ड, 2) अवर्गीकृत स्क्रेप
ख 3140	- एअर क्राफ्टों के अनुरक्षण के लिए एअरलाइनों द्वारा रिट्रिडिंग के लिए आयात किए गए और रिट्रिडिंग के बाद पुनः निर्यात किए जाने के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं को निर्यात किए गए एअरक्राफ्ट टायर और उन्हें जहाज पर या सीमा शुल्क बंधित क्षेत्रों के एअर साइड पर स्थित संबंधी एअर लाइन भंडारणों में रखा गया हो

टिप्पणी :

* यह सूची परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापार संचलन संबंधी बेसल कन्वेंशन के उपाबंध-IX पर आधारित है और इसमें वे अपशिष्ट सम्मिलित हैं, जो बेसल कन्वेंशन के अनुच्छेद-1 में परिसंकटमय के रूप में वर्णित नहीं किए गए हैं।

* * देश में आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता या एक बारगी (आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता की ओर से व्यापारी को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची VIII में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यक्षीन है।

* * * देश में आयात की अनुमति केवल मूल उपकरण निर्माताओं से वास्तविक प्रयोक्ताओं को और सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची VIII में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यक्षीन है।

* * * * देश में आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता या इन नियमों की अनुसूची VIII के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित और सत्यापित दस्तावेजों के अनुरूप वास्तविक प्रयोक्ता की ओर से व्यापारी को है। एक बार एमएफडी के स्वदेशी रूप से विनिर्मित हो जाने पर मल्टीफ़क्शन प्रिंट और कॉपी करने की मशीन के लिए मुक्त व्यापार की नीति की समीक्षा की जाएगी।

अनुसूची III के भाग ग में बिना "तारे" वाले सूचीबद्ध अन्य सभी अपशिष्टों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण की शर्तों, यदि कोई हों, के अनुपालन के अध्यक्षीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से किसी भी दस्तावेज के बिना अनुमति है।

अनुसूची IV

[नियम 6 (1) (ii) और 6(2) देखें]

सामान्य रूप से पुनःचक्रण योग्य परिसंकटमय अपशिष्टों की सूची

क्र. सं.	अपशिष्ट
(1)	(2)
1	पीतल ड्रास
2	कॉपर ड्रास
3	कॉपर ऑक्साइड मिल स्केल
4	कॉपर प्रत्यावृत, केक और अवशिष्ट
5	विपेक्षित रूप में अपशिष्ट कॉपर और कॉपर मिश्र
6	और प्रसंस्करण या शोधन के लिए कॉपर प्रसंस्करण से धातुमल
7	आईएसआरआई कोड पदार्थ अर्थात् "ड्र्यूड" सहित विद्युतरोधी कॉपर तार स्कैब या पीवीसी सीटिंग के साथ कॉपर
8	जेली फिल्ड कॉपर तारें
9	कॉपर वाली स्पैंट क्लीयरड मैटल कैटलिस्ट
10	निकिल, कैडमियम, जिंक, कॉपर और आर्सेनिक वनेडियम और कोबाल्ट वाले स्पैंट कैटलिस्ट
11	जिंक ड्रास-हॉट डिप गैल्वनाइजर स्लैब
12	जिंक ड्रास-बाटम ड्रास
13	गैल्वानाईजिंग और ड्राई-कास्टिंग प्रचालनों से होने वाली जिंक राख/स्क्रीमिंग
14	स्मैलटिंग और धातुओं के शोधन से उत्पन्न जिंक राख/स्क्रीमिंग/अन्य जिंक वाले अपशिष्ट
15	बिखरने वाले जिंक अलाय अपशिष्टों सहित जिंक राख और अपशिष्ट
16	जिंक वाले स्पैंट क्लीयरड मैटल कैटलिस्ट
17	बैटरी (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2001 के अधीन न आने वाली ग्रिड प्लेट सहित प्रयुक्त लैड एसिड बैटरी प्लेट्स और अन्य लैड स्क्रेप/राख/अपशिष्ट। (*बैटरी स्क्रेप अर्थात् आईएसआरआई कोड में सम्मिलित लैड, बैटरी प्लेट्स, कोड वर्ड "रेल्स" बैटरी लग्स आईएसआरआई में सम्मिलित कोडवर्ड "रेक्स"; आईएसआरआई कोड में शामिल स्क्रेप ड्रेन/शुष्क, लैड बैटरीज) कोड वर्ड "रेन्स"
18	वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के अपशिष्ट घटक, जिसमें अनुसूची III भाग क में सूचीबद्ध एक्युमुलेटर्स और अन्य बैटरियों के संघटक, मरकरी स्विच, कैथोड-रे ट्यूबस से क्रियाशील ग्लास क्यूलेट्स और अन्य क्रियाशील ग्लास और पीसीबी - केपीसिटेर्स और अन्य अनुसूची II के संघटकों के साथ अन्य संदूषित घटक (यथा कैडमियम, मरकरी, लेड, पोलिक्लोरिनेटेड, बाइफिनाइल) उस सीमा तक शामिल है कि ये इस अनुसूची III के भाग ग में निर्देशित परिसंकट लक्षण प्रदर्शित करते हैं।

19	पेंट और इंक स्लज/अवशिष्ट
20	प्रयुक्त तेल और अपशिष्ट तेल

अनुसूची V

[नियम 3 (36) और 3(39) देखें]

भाग क

पुनःचक्रण के लिए उपयुक्त प्रयुक्त तेल के विनिर्देश

क्र.सं.	पैरामीटर	अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1	पोलीक्लोरीनेटिड वाईफिनाइल (पीसीबी)	<2 पीपीएम*
2	सीसा	100 पीपीएम
3	आर्सेनिक	5 पीपीएम
4	कैडमियम + क्रोमियम + निकल	500 पीपीएम
5	पोलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स (पीएएच)	6%

भाग ख

अपशिष्ट तेल से व्युत्पन्न ईंधन के विनिर्देश

क्र.सं.	पैरामीटर	अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1	सेडिमेंट	0.25%
2	सीसा	100 पीपीएम
3	आर्सेनिक	5 पीपीएम
4	कैडमियम + क्रोमियम + निकल	500 पीपीएम
5	पोलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स (पीएएच)	6%
6	कुल हेल्ोजन	4000 पीपीएम
7	पोलीक्लोरीनेटिड बाई-फिलाइल (पीसीबी)	<2 पीपीएम*
8	सल्फर	4.5%
9	जल तत्व	1%

* इलेक्ट्रॉन कैपचर डिटेक्टर (ईसीडी) का प्रयोग करते हुए गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी (जीएलसी) द्वारा संसूचन सीमा 2 पीपीएम है।

अनुसूची VI

[नियम 12 (6) , 12(7) और 14(1) देखें]

आयात के लिए प्रतिषिद्ध परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट

बेसल सं.*	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का वर्णन
(1)	(2)
क 1010	धातु अपशिष्ट निम्नलिखित में से किसी भी समिश्रण का अपशिष्ट किंतु अनुसूची III के भाग ख और भाग ग में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर - आर्सेनिक

	- बेरेलियम
	- मरकरी
	- सेलेनियम
	- थेलियम
क 1020	अपशिष्ट जिनमें संघटक या संदूषक हैं, स्थूल रूप में धातु अपशिष्टों को छोड़कर, निम्नलिखित में से कोई : - बेरेलियम; बेरेलियम यौगिक - सेलेनियम; सेलेनियम यौगिक
क 1030	वे अपशिष्ट, जिनमें निम्नलिखित से कोई संघटक संदूषक सम्मिलित हो : - आर्सेनिक; आर्सेनिक यौगिक - पारा; पारा यौगिक - थेलियम; थेलियम यौगिक
क 1040	संघटक के रूप में हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम यौगिक वाला अपशिष्ट
क 1140	तरल स्वरूप में अपशिष्ट की क्यूरपिक क्लोराइड और कॉपर सायनाइड केटालिस्ट (अनुसूची III के भाग क में संबंधित प्रविष्टि देखें)
क 1060	धातुओं के अम्लोपचार से उत्पन्न अपशिष्ट लीकर
क 1110	कॉपर विद्युत परिष्करण और विद्युत प्रापण सनक्रियाओं से उत्पन्न स्पेंट विद्युत अपघटनी विलयन
क 1130	स्पेंट उत्कीर्णन विलयन जिसमें घुलित कॉपर हो
क 1180	अपशिष्ट वैद्युत एवं इलैक्ट्रानिक एसम्बलीज या स्कैप (विद्युत उत्पादन से उत्पन्न स्कैप एसम्बलीज शामिल नहीं हैं) जिनमें एक्यूमुलेटर जैसे घटक और अनुसूची III भाग क में सम्मिलित अन्य बैटरियां, मर्करी स्वीच, कैथोड - किरन ट्यूब से उद्वलित ग्लास और कुछ सीमा तक अन्य उद्वलित ग्लास और पीसीबी - कैपेसिटर या अनुसूची II के घटकों (अर्थात् कैडमियम, मर्करी, सीसा, पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल) से संदूषित घटक जो अनुसूची III के भाग ग में इंगित जोखिम पूर्ण लक्षण प्रदर्शित करते हैं (भाग खख 1110 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
क 1190	वेस्ट मेटल केबल्स, प्लास्टिक कोटिड या इन्सुलेटेड या कोलतार के साथ संदूषित, पीसीबी, सीसा कैडमियम अन्य ओरगेनोहेलोजन संघटक या अन्य घटक जैसा कि अनुसूची II में उल्लिखित है, जिस सीमा तक वे अनुसूची III के भाग ग में इंगित परिसंकटमय विशेषताएं प्रदर्शित करें।
क 2	मुख्यतः अकार्बनिक संघटकों वाले अपशिष्ट जिसमें धातु और कार्बनिक पदार्थ अंतर्विष्ट हों
क 2020	अकार्बनिक फ्लोरीन संघटक के अपशिष्ट, जो द्रव या स्लज के रूप में है, किन्तु जिसमें भाग ख में निर्दिष्ट ऐसे अपशिष्ट शामिल नहीं हैं
क 2040	रासायनिक औद्योगिक प्रक्रिया से उद्भूत अपशिष्ट जिप्सम यदि वह अनुसूची II में उल्लिखित संघटक जो अनुसूची III के भाग ग में इंगित परिसंकटमय विशेषताएं इंगित करते हों (भाग खख 2080 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
क 2050	अपशिष्ट एस्बेस्टस (धूल और रेशा)
क2060	कोयला चालित विद्युत संयंत्र फ्लाइ-एश जिसमें भाग ग की विशेषताओं को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने की सीमा तक सांद्रण में अनुसूची II के संघटक शामिल हों
क 3	मुख्यतः कार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट जिनमें धातु और अकार्बनिक सामग्री हों
क 3030	ऐसे अपशिष्ट, जिनमें सीसा अपरकोटरोधी यौगिक स्लज या अंतर्विष्ट है या उनमें है या उनसे संदूषित है।
क 3040	अपशिष्ट तापीय (उष्मा स्थानांतरण) तरल
क 3060	अपशिष्ट नाइट्रोसेलुलोज
क 3070	द्रव या स्लज के रूप में क्लोरोफिनोल सहित अपशिष्ट फिनोल, फिनोल यौगिक
क 3080	अपशिष्ट ईथर जिसके अंतर्गत वह नहीं है जो सूची ख में विनिर्दिष्ट नहीं है
क 3090	अपशिष्ट चर्म धूल, भस्म, स्लज या विचूर्ण जब उसमें हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम यौगिक या बायोसाइड हो (भाग खख 3100 में संबंधित प्रविष्टि देखें)

क 3100	चर्म शोधन और अन्य चर्म अपशिष्ट या चर्मयौगिक अपशिष्ट जो कि चर्म वस्तुओं के निर्माण में उपयुक्त न हो। हेक्सावैलेंट क्रोमियम यौगिक और बायोसाइड हो (भाग खख 3090 में संबंधित प्रविष्टि देखें)।
क 3110	फेलमोंजरी अपशिष्ट, जिसमें हेक्सावैलेंट क्रोमियम यौगिक या बायोसाइड या संक्रामक पदार्थ भी है (भाग खख 3110 में संबंधित प्रविष्टि देखें)।
क3140	अपशिष्ट अहैलोजनीकृत कार्बनिक विलायक किंतु उन अपशिष्टों को छोड़कर जो भाग ख में विनिर्दिष्ट हैं
क 3150	अपशिष्ट हैलोजनीकृत कार्बनिक विलयन
क3160	अपशिष्ट हैलोजनीकृत या अहैलोजनीकृत निर्जला आसवन अवशेष जो कार्बनिक विलायक पुनः प्राप्ति की संक्रिया से उत्पन्न हो
क3170	ऐलीफैटिक हैलोजनीकृत हाइड्रोकार्बन के उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट (जैसे क्लोरोमेथेन, हाइक्लोरोईथेन, विनाइल क्लोराइड, विनिलीडीन क्लोराइड, एलिल क्लोराइड और एपिक्लोरहाइड्रिन)
क 3180	अपशिष्ट पदार्थ और वस्तुएं, जिनमें संदूषण के साथ पॉलीक्लोरीनेटिड बाईफिलाईल (पीसीबी), पॉली क्लोरेनेटिड टरफिनाइल (पीसीटी), पॉलीक्लोरीनेटिड नैफथलीन (पीसीएन) या पॉली ब्रोमिनेटिड बाइफिनाइल (पीबीबी) या इन यौगिकों का कोई अन्य पॉलीब्रोमिनेटिड एनेलॉग शामिल है।
क 3190	अपशिष्ट टैरी अवशिष्ट (एस्फाल्ट सीमेंट के सिवाय), जो कि शोधन, आसवन या किसी कार्बनिक सामग्री के पाइरोलिटिक शोधन से उद्भूत होते हैं।
क3200	सड़क निर्माण और अनुरक्षण कार्यों से उत्पन्न विटुमिनस सामग्री (एस्फाल्ट अपशिष्ट) (भाग ख, ख 2130 में संबंधित प्रविष्टि देखें)।
क 4	ऐसे अपशिष्ट जिनमें या तो अकार्बनिक या कार्बनिक संघटक हों।
क 4020	नैदानिक और संबंधित अपशिष्ट ; मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, वेटनरी या वैसे ही कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट तथा अस्पताल या रोगियों के अन्वेषण या निदान के दौरान या अनुसंधान परियोजनाओं के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट।
क 4030	बायोसाइड और फाइटो-फार्मास्युटिकल्स के उत्पादन, निर्माण और प्रयोग से प्राप्त अपशिष्ट, जिनमें कीटनाशी, शाकनाशी अपशिष्ट भी हैं जो विनिर्देश से पृथक कालातीत (विनिर्माता द्वारा संस्तुति अवधि के अंदर अप्रयुक्त) हैं या उसके अभिप्रेत मूल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं।
क 4050	वे अपशिष्ट, जो निम्नलिखित में से किसी से मिलकर बने हैं, सम्मिलित हैं या उनमें से किसी से संदूषित हैं : - मूल्यवान धातु को छोड़कर अकार्बनिक साइनाइड, अकार्बनिक सायनाइड के ठोस रूप में मिलकर बने हों - कार्बनिक साइनाइड
क 4060	अपशिष्ट तेल/जल, हाइड्रोकार्बन/जल मिश्रण, इमल्सन
क4080	विस्फोटक प्रकृति के अपशिष्ट (किंतु भाग ख में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर)
क4090	इस अनुसूची के ख 2120 में विनिर्दिष्ट से अलग अम्लीय या बेसिक विलयन
क 4110	वे अपशिष्ट, जो निम्नलिखित में से किसी से मिलकर बने हैं, सम्मिलित हैं या उनमें से किसी से संदूषित हैं : - कोई सजातीय पॉलीक्लोरीकृत डाइबेंजोफ्यूरान - कोई सजातीय पॉलीक्लोरीकृत डाइबेंजो-पी-डाइऑक्सीन
क4150	अनुसंधान और विकास या अध्यापन कार्यकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट रसायन पदार्थ जिनकी पहचान नहीं की गई है और/या नए हो और उनके मानव स्वास्थ्य और/या पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव ज्ञात न हो
ख 1	धातु और धातु मिश्रित अपशिष्ट
ख 1110	पुनः प्रयोग हेतु प्रयुक्त गहन देखरेख वाले चिकित्सा उपकरण
ख1115	प्लास्टिक से इंसुलेटिड या कोटिड अपशिष्ट सामग्री, जो इस अनुसूची के क1190 में शामिल नहीं हैं, किसी अवस्था में संसाधन पुनःप्राप्ति, पुनर्करण, पुनःरूद्धार, प्रत्यक्ष पुनःउपयोग या वैकल्पिक प्रयोगों या किसी अन्य निपटान संबंधी संक्रियाओं के लिए अभिप्रेत, अनियंत्रित तापीय प्रक्रियाओं जैसे खुले में जलाना को छोड़कर
ख1250	कार्यकाल पूरा कर चुके वाहनों के अपशिष्ट जिनमें तरल या अन्य परिसंकटमय संघटक शामिल न हों
ख 2	मुख्यतः अकार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट जिनमें धातु और कार्बनिक तत्व शामिल हो सकते हैं
ख2050	कोयला चालित विद्युत संयंत्र के फ्लाई-ऐश, इस अनुसूची के ख2060 में संबंधित प्रविष्टि देखें

ख2110	बॉक्साइट अवशिष्ट (लाल मिट्टी) (11.5 से कम तक पीएच हल्का किया गया)
ख2120	2 से अधिक और 11.5 से कम पीएच के साथ अपशिष्ट एसिड अथवा बेसिक घोल, जो क्षयकारी या अन्यथा परिसंकटमय नहीं है (इस अनुसूची के ख 4090 में प्रविष्टि देखें)
ख 3	मुख्यतः कार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट, जिनमें धातु और अकार्बनिक पदार्थ शामिल हो सकते हैं
ख3010	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट एक विशिष्ट तक तैयार निम्नलिखित प्लास्टिक या मिश्रित प्लास्टिक अपशिष्ट : - नॉन-हैलोजिनेटिड पॉलिमर और कोपॉलिमर के प्लास्टिक स्क्रेप जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो किंतु निम्नलिखित तक सीमित न हों : इथिलीन, स्टाइरीन, पॉलिप्रोपिलीन, पॉलिइथिलीन, टेरिफ थैलेट, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, पोलिएसिटल, पोलिएमाइड, पोलिब्यूटिलीन, टेरिफ थैलेट, पोलि कार्बोनेट, पोलिइथर, पोलिफिनिलिन, सल्फाइड, एक्रिलिक पोलिमर, अल्केन सी10 - सी13 (प्लास्टिसाइजर), पोलियूरिथेन (सीएफसी रहित), पोलिसिलोक्सेन, पोलिमिथाइल मिथाक्राइलेट, पोलि विनाइल अल्कोहल, पोलिविनाइल ब्यूटाइराल, पोलिविनाइल एसिटेट - निम्नलिखित सहित शोधित अपशिष्ट रेसिन या संघनन उत्पाद : यूरिया फॉर्मलिडहाइड रेसिन, फेनोल फॉर्मलिडहाइड रेसिन, मेलामाइन फॉर्मलिडहाइड रेसिन, इपोकिस रेसिन, अल्काइड रेसिन, पोलिएमाइड - निम्नलिखित फ्लोरिनेटेड पोलिमर अपशिष्ट (उपभोग पश्चात अपशिष्ट को छोड़कर) : परफ्लोरोइथिलिन/प्रोपिलिन, परफ्लोरो अल्कोक्सी अल्केन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन/परफ्लोरो विनाइल ईथर (पीएफए), टेट्राफ्लोरोइथिलीन/परफ्लोरो मिथाइल विनाइल ईथर (एमएफए), मेटाफ्लोरो अल्कोक्सी अल्केन, पोलिविनाइलफ्लोराइड, पोलिविनाइलडैनिफ्लोराइड
ख3026	तरल पदार्थों के लिए सुसंहत पैकेजिंग के पूर्व-शोधन से उत्पन्न निम्नलिखित अपशिष्ट, जिनमें अनुसूची II में उल्लिखित संघटक भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त सांद्रण में शामिल न हों : - गैर-पृथक्करण योग्य प्लास्टिक फ्रैक्शन - गैर-पृथक्करण योग्य प्लास्टिक-एलुमिनियम फ्रैक्शन
ख3065	पशु या वनस्पति मूलक अपशिष्ट खाद्य बसा और तेल - (यथा फ्राइंग तेल)
ख3140	अपशिष्ट न्यूमेटिक टायर प्रत्यक्ष पुनः उपयोग के लिए
भ46	घरेलू संग्रहित अपशिष्ट/नगरीय अपशिष्ट
भ47	घरेलू अपशिष्ट के भष्मीकरण से उत्पन्न अवशेष

अनुसूची-VII

[नियम 13(6) और 21 देखें]

प्राधिकरणों और तदनुरूपी कर्तव्यों की सूची

क्र.सं.	प्राधिकरण	तत्संबंधी कर्तव्य
(1)	(2)	(3)
1	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	i. परिसंकट अपशिष्टों की पहचान करना ii. परिसंकटमय अपशिष्टों के निर्यातकर्ताओं को अनुमति iii. परिसंकटमय अपशिष्टों के आयातकर्ताओं को अनुमति

		<p>iv. भारत से परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिवहन के लिए अनुमति</p> <p>v. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन को बढ़ावा देना</p> <p>vi. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यकलाप संबंधी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रायोजित करना।</p>
2	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	<p>i. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यकलापों का समन्वय।</p> <p>ii. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंध को संचालित करने वाले प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन।</p> <p>iii. अपशिष्ट और लीचेट की अभिक्रिया और व्ययन के लिए मानकों और विनिर्देशों की सिफारिश करना। परिसंकटमय अपशिष्टों के वर्गीकरण के लिए प्रक्रियाओं की सिफारिश करना।</p> <p>iv. परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रहस्तन की सुविधाओं का यथा आवश्यकता निरीक्षण करना</p> <p>v. इन नियमों में शामिल करने के लिए अपशिष्ट की पहचान करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रलेखन</p> <p>vi. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के निवारण या न्यूनीकरण और प्रहस्तन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और अद्यतन करना</p> <p>vii. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के पुनर्चर्कण, उपयोग पूर्व-प्रसंस्करण सह-प्रसंस्करण के लिए मार्गनिर्देशों/मानक प्रचालन पद्धतियों को तैयार और अद्यतन करना</p> <p>viii. परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रबंधन संबंधी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना</p> <p>ix. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य</p>
3	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन	<p>i. साझा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट शोधन भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) के लिए स्थल की पहचान करना</p> <p>ii. पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्टों का मूल्यांकन और स्थल के अनुमोदन के निर्णय की सूचना देना या स्थल अधिग्रहण करना या प्रसुविधा के प्रचालक या दखलदार या दखलदारों के संघ को स्थल के अधिग्रहण की सूचना देना</p> <p>iii. स्थलों की अधिसूचना</p> <p>iv. राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में सभी संभाव या विद्यमान निपटान स्थलों की सूची को समय-समय पर प्रकाशित करना</p>
4	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां	<p>i. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का सूचीकरण</p> <p>ii. प्राधिकार का दिया जाना और नवीकरण</p> <p>iii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्यात और आयात सहित प्राधिकार के विभिन्न उपबंधों और शर्तों के अनुपालन को मॉनीटर करना</p> <p>iv. आयातकर्ताओं द्वारा आयात के लिए दिए गए आवेदनों की जांच करना और उन आवेदनों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अग्रेषित करना</p> <p>v. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की उत्पत्ति को रोकने या कम करने या न्यून करने के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन</p> <p>vi. इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना</p> <p>vii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इन</p>

		नियमों के अंतर्गत सौंपा गया कोई अन्य कार्य
5	विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत गठित विदेश व्यापार महानिदेशालय	i. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति का अनुदान ii. आयात या निर्यात के लिए प्रतिषिद्ध परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के लिए अनुज्ञप्ति से इंकार करना।
6	भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन पत्तन प्राधिकरण और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकरण	i. दस्तावेजों का सत्यापन करना ii. किसी अवैध व्यापार के बारे में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करना iii. आयात और निर्यात के लिए अनुमति दिए गए अपशिष्टों का यथा आवश्यकता विश्लेषण करना iv. इन नियमों के उपबंधों और परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के विश्लेषण के संबंध में पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना v. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 या सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उल्लंघनों के लिए निर्यातकर्ता या आयातकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करना।

अनुसूची VIII

[नियम 13 (2) और 13(4) देखें]

अनुसूची III के भाग में विनिर्दिष्ट और अन्य अपशिष्टों के आयात के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के लिए दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	बेसल सं.	अन्य अपशिष्ट का विवरण	दस्तावेजों की सूची
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ख1010	धात्विक, गैर-परिक्षेपण रूप में धातु और धातु एलॉय अपशिष्ट : - बहुमूल्य धातु (सोना, चांदी, प्लेटिनम किंतु पारा नहीं) - लोहा और स्टील स्क्रेप - निकल स्क्रेप - एल्यूमिनियम स्क्रेप - जिंक स्क्रेप - टिन स्क्रेप - टंगस्टन स्क्रेप - मॉलिब्डेनम स्क्रेप - टैंटालम स्क्रेप - कोबाल्ट स्क्रेप - विस्मथ स्क्रेप - टाईटैनियम स्क्रेप - जरकोनियम स्क्रेप - मैगनीज स्क्रेप - जरमेनियम स्क्रेप - वेनेडियम स्क्रेप - हैफनियम स्क्रेप - इंडियम स्क्रेप	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) जहां कहीं लागू हो, विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति; (ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र; (घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु तथा जल अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए विधि मान्य सहमति पत्र और इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार । व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार का वैध प्राधिकार अपेक्षित है ; (ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट; (च) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति ।

		<ul style="list-style-type: none"> - नियोबियम स्क्रेप - रेनियम स्क्रेप - गैलियम स्क्रेप - मैग्नीशियम स्क्रेप - तांबा स्क्रेप - क्रोमियम स्क्रेप 	
2	ख1050	<p>मिश्र अलौह धातु, हैवी फ्रैक्शन स्क्रेप जिसमें भाग ख 1050 में निर्दिष्ट धातुओं से अलग धातु मिश्रित हों और भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त सांद्रण में अनुसूची II में उल्लिखित संघटक शामिल न हों।</p>	<p>(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) जहां कहीं लागू हो, विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति; (ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र; (घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु तथा जल अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए विधि मान्य सहमति पत्र और इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार । व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार का विधि मान्य प्राधिकार अपेक्षित है ; (ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट; (च) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति ।</p>
3	ख1100	<p>धातुओं को गलाने, प्रगलन और परिष्करण से उत्पन्न अपशिष्ट युक्त धातु</p> <ul style="list-style-type: none"> - हार्ड जिंक स्पेलटर - जिंक युक्त ड्रोस : <ul style="list-style-type: none"> ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक टॉप ड्रोस (>90% जिंक) ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक बॉटम ड्रोस (>92% जिंक) ~ जिंक ड्राई कास्टिंग ड्रोस (>85% जिंक) ~ हाट डिप गैल्वेनाइजर्स स्लैब जिंक ड्रोस (बैच) (>92% जिंक) ~ जिंक स्किमिंग्स - एल्युमिनियम स्कीमिंग (या स्कीम) लवण स्लैग को छोड़कर 	<p>(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) जहां कहीं लागू हो, विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति; (ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र; (घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु तथा जल अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए विधि मान्य सहमति पत्र और इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार । व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार का वैध प्राधिकार अपेक्षित है ; (ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट; (च) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरणी की पावती प्रति ।</p>
4	ख1110	<p>वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और तार सहित), जो प्रत्यक्ष पुनः प्रयोग के प्रयोजन हेतु और पुनःचक्रण या अंतिम निपटान के लिए न हों</p>	<p>(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) पुनः निर्यात के लिए वचन पत्र; (ग) पूर्ववर्ती आयात का विवरण, यदि उनके पुनः निर्यात के संबंध में कोई पुष्टि हो; (घ) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति; (ङ) पुनः निर्यात किए जा रहे मरम्मत किए गए और मरम्मत न किए जा सकने योग्य वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज और</p>
	(क)	<p>प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका आयात मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो</p>	

		कलपुर्जो या अंग या घटक या उपभोज्य वस्तुओं का ग्रहण करने के लिए निर्यात करने वाली कंपनी से प्रमाण पत्र ।
(ख)	प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका आयात किराए के लिए और आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) पुनः निर्यात के लिए वचन पत्र; (ग) पूर्ववर्ती आयात का विवरण, यदि उनके पुनः निर्यात के संबंध में कोई पुष्टि हो; (घ) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति ।
(ग)	प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका निर्यात मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद पुनः आयात के लिए किया गया हो	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) त्रुटिपूर्ण वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज के निर्यात का प्रमाण अर्थात् सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणित शिपिंग या वायु मार्ग संबंधी दस्तावेज ।
(घ)	प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका आयात परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास, परियोजना कार्य उद्देश्यों और आयात की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के अंदर वापस पुनः निर्यात करने के लिए किया गया हो	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) पुनः निर्यात के लिए वचन पत्र; (ग) पूर्ववर्ती आयात का विवरण, यदि उनके पुनः निर्यात के संबंध में कोई पुष्टि हो; (घ) निर्यात करने वाले देश की अधिकृत अभिकरण से चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र जिसमें कार्यशीलता, विनिर्माण की तारीख, अवशिष्ट काल और क्रम संख्या लिखी गई हो; (ङ) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति; (च) तीन वर्ष के अंत में पुनः निर्यात किए जा रहे पुराने कार्यशील या अकार्यशील वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज और/या कलपुर्जो या अंग या घटक या उपभोज्य वस्तुओं का ग्रहण करने के लिए निर्यात करने वाली कंपनी से प्रमाण पत्र ।
(ङ)	वारंटी पुनःस्थापनों के लिए आयातित कलपुर्जो परंतु यह कि सामान संख्या में खराब या अकार्यशील पुर्जो आयात के एक वर्ष की अवधि के अंदर वापस निर्यात किए जा रहे हों	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) यदि खराब संघटकों के स्थान पर प्रतिस्थापन के रूप में नवीकृत संघटकों आयात किया जा रहा हो तो समतुल्य संख्या के खराब संघटकों के आयात हेतु वचन पत्र; (ग) पूर्ववर्ती आयात का विवरण, यदि उनके पुनः निर्यात के संबंध में कोई पुष्टि हो; (घ) पुनः निर्यात किए जा रहे खराब या अकार्यशील और कलपुर्जो या अंग या घटक या उपभोज्य वस्तुओं का ग्रहण करने के लिए निर्यात करने वाली कंपनी से प्रमाण पत्र; (ङ) वारंटी अवधि के दौरान वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक की मरम्मत के लिए पुराने या नवीकृत कलपुर्जो के प्रयोग के संबंध में घोषित नीति संबंधी दस्तावेज ।
(च)	रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आयात की गई प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज	---
(छ)	प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज (भारी संख्या में नहीं; संख्या तीन या इससे कम) जिनका आयात व्यक्तियों के लिए अपने निजी प्रयोगों के लिए किया गया हो	---
(ज)	प्रयुक्त लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाईल, टैबलेट प्रत्येक में से तीन जिसका आयात संघटनों द्वारा एक वर्ष के अंदर किया जाता हो	---
(झ)	एकल व्यक्तियों के स्वामित्व और आवास के स्थानांतरण पर आयातित प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज	सीमा शुल्क प्राधिकरण के विद्यमान मार्ग निर्देशों के अनुसार

(ज)		प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज जिनका आयात एअरलाइनों द्वारा एअर क्राफ्टों के अनुरक्षण के लिए किया गया हो और उन्हें जहाज पर या सीमा शुल्क बंधित क्षेत्रों के एअर साइड पर स्थित संबंधी एअर लाइन भंडारणों में रखा गया हो	---
(ट)		प्रयुक्त मल्टी फंक्शन प्रिंट और कॉपी करने की मशीनें (एमएफडी)*	(क) लदान और पैकेजिंग के बिल सहित मूल देश का प्रमाण पत्र ; (ख) कम से कम पांच वर्षों के अवशेष कार्यकाल और क्रम संख्या वाली वस्तुओं की कार्यशीलता के लिए निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी और निर्यात करने वाले देश या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण से प्रमाणित प्रमाण पत्र; (ग) उत्पादक के रूप में समय समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार; (घ) एमएफडी ए3 और इससे बड़े आकार की प्रिंटिंग के लिए होगा; (ङ) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति।
5	ख3020	पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट निम्नलिखित सामग्री, बशर्ते उन्हें खतरनाक अपशिष्टों में नहीं मिलाया गया है : निम्नलिखित के पेपर अपशिष्ट और पेपर या पेपर बोर्ड स्कैप: - अतिरंजित पेपर या पेपर बोर्ड या लहरदार पेपर या पेपर बोर्ड - अन्य पेपर या पेपर बोर्ड मुख्यतः रंजित रसायन लुगदी से बने, व्यापक रूप से रंगान गया हो - मुख्यतः यांत्रिक लुगदी (उदाहरणार्थ समाचार पत्र, पत्रिका और ऐसे ही मुद्रित सामग्री) से बना पेपर या पेपर बोर्ड - अन्य, किंतु उन तक सीमित नहीं 1) लेमिनेटिड पेपर बोर्ड, 2) अवर्गीकृत स्कैप	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति, जहां कहीं प्रयोज्य हो; (ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र; (घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए इन नियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए विधि मान्य सहमति पत्र। व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार का वैध प्राधिकार अपेक्षित है; (ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट; (च) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरणी की पावती प्रति ।
6	ख3140	एअर क्राफ्टों के अनुरक्षण के लिए एअरलाइनों द्वारा रिट्रिडिंग के लिए आयात किए गए और रिट्रिडिंग के बाद पुनः निर्यात किए जाने के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं को निर्यात किए गए एअरक्राफ्ट टायर और उन्हें जहाज पर या सीमा शुल्क बंधित क्षेत्रों के एअर साइड पर स्थित संबंधी एअर लाइन भंडारणों में रखा गया हो	सीमा शुल्क प्राधिकरण के विद्यमान मार्ग निर्देशों के अनुसार

* टिप्पणी एमएफडी के स्वदेशी रूप से निर्माण हो जाने पर मल्टी फंक्शन प्रिंट और कॉपी करने की मशीन के लिए मुक्त व्यापार की नीति की समीक्षा की जाएगी।

प्ररूप 1

[नियम 6(1) देखें]

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के संग्रहण/परिवहन/ग्रहण/भंडारण/पुनर्चक्रण/पुनः प्रसंस्करण/शोधन/ निस्तारण/आयात/ निर्यात के लिए प्राधिकार प्रदान/नवीकरण के लिए अपेक्षित आवेदन

भाग क : सामान्य (सभी के द्वारा भरा जाए)

1. (क) इकाई का नाम और पता और प्रसुविधा का अवस्थान :
- (ख) प्रसुविधा के अधिभोगी या निस्तारण सुविधा के प्रचालक का नाम और पदनाम, टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल सहित
- (ग) जिसके लिए प्राधिकार अपेक्षित हो (कृपया समुचित क्रियाकलाप(पों) को इंगित करें)

(i) उत्पादन	<input type="checkbox"/>
(ii) संग्रहण	<input type="checkbox"/>
(iii) भंडारण	<input type="checkbox"/>
(iv) परिवहन	<input type="checkbox"/>
(v) ग्रहण	<input type="checkbox"/>
(vi) पुनः प्रयोग	<input type="checkbox"/>
(vii) पुनर्चक्रण	<input type="checkbox"/>
(viii) पुनः प्राप्ति	<input type="checkbox"/>
(ix) पूर्व प्रसंस्करण	<input type="checkbox"/>
(x) सहप्रसंस्करण	<input type="checkbox"/>
(xi) उपयोग	<input type="checkbox"/>
(xii) शोधन	<input type="checkbox"/>
(xiii) निस्तारण	<input type="checkbox"/>
(xiv) भस्मीकरण	<input type="checkbox"/>
- (घ) प्राधिकार के नवीनीकरण के मामले में पूर्व प्राधिकार संख्या और तारीख और पूर्व की पर्यावरणीय स्वीकृत की शर्तों, जहां कहीं लागू हो, के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों सहित पिछले तीन वर्षों की वार्षिक विवरणियों की प्रतियां उपलब्ध कराएं :
2. (क) प्रतिवर्ष प्रहस्तन किए जाने वाले अपशिष्ट की प्रकृति और मात्रा (मीट्रिक टन या किलो लीटर में)
- (ख) किसी भी समय भंडारित अपशिष्ट की प्रकृति और मात्रा (मीट्रिक टन या किलो लीटर में)
3. (क) उत्पादन की कमीशिनिंग और उत्पादन का वर्ष :
- (ख) उद्योग में कार्य होते हैं :

(i) 01 शिफ्ट	<input type="checkbox"/>
(ii) 02 शिफ्ट	<input type="checkbox"/>
(iii) चौबीसों घंटे	<input type="checkbox"/>
4. आपात-कालीन प्रतिक्रिया योजना (ईआरपी) की प्रति उपलब्ध कराएं जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट आपात स्थितियों (अर्थात्) छलकना या रिसाव होना या आग लगना) स्थितियों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का निराकरण किया गया हो। ऐसे ईआरपी में निम्नलिखित, किंतु इन तक सीमित नहीं, शामिल नहीं होंगे :
 - घटनाओं को सीमित और नियंत्रित करना ताकि प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके और लोगों, पर्यावरण और संपत्ति के समक्ष उत्पन्न होने वाले खतरे को सीमित किया जा सके;
 - लोगों पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन करना;
 - उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों और संसाधनों के विवरण सहित घटनाओं की स्थितियों और उनके परिणामों को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाहियों का विवरण;
 - स्टाफ द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कर्तव्यों में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था;

- संबंधित प्राधिकारियों और आपात सेवाओं को सूचित किए जाने की व्यवस्था; और
 - आफ साइट उपशमन में सहायता प्रदान करने की व्यवस्था।
5. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रहस्तन के दौरान उनके बिखरने, रिसाव या आग लगने की स्थिति में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की गुंजाइश सहित सभी प्रावधानों का अनुपालन करने के संबंध में वचनबंध या घोषणा उपलब्ध कराएं।

भाग ख : परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ताओं के द्वारा भरा जाए

1. (क) विनिर्मित उत्पाद और सहउत्पाद (नाम और प्रतिवर्ष उत्पादवार मात्रा) :
 - (ख) इनपुट और आउटपुट दर्शाते हुए प्रक्रिया फ्लोशीट सहित प्रक्रिया का विवरण (कच्ची सामग्रियां, रसायन, उत्पाद, सहउत्पाद, अपशिष्ट, उत्सर्जन, मलजल इत्यादि)। कृपया अलग से शीट संलग्न करें :
 - (ग) प्रतिवर्ष उत्पन्न अपशिष्ट की विशेषताएं (अपशिष्टवार) और मात्रा
 - (घ) उपर्युक्त (ग) के प्रबंधन की पद्धति :
 - I. संयंत्र के अंदर प्रतिभूत भंडारण की क्षमता और पद्धति;
 - II. संयंत्र के अंदर उपयोग (विवरण उपलब्ध कराएं);
 - III. यदि संयंत्र के अंदर उपयोग में न लाया जाता हो तो कृपया विवरण दें कि इस अपशिष्ट का क्या किया जाता है;
 - IV. वास्तविक प्रयोक्ताओं/ टीएसडीएफ को परिवहन की व्यवस्था।
 - (ङ) उपर्युक्त बिंदु (ग) के सभी अपशिष्टों के सुरक्षित प्रहस्तन के लिए उपलब्ध कराए गए पर्यावरण सुरक्षा उपायों और पर्यावरण सुविधाओं का विवरण:
2. परिसंकटमय रसायन का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 के अधीन यथापरिभाषित परिसंकटमय रसायनों के भंडारण से इन नियमों के अनुसार उत्पन्न परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट

भाग ग : शोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधा के प्रचालकों द्वारा भरा जाए

1. निम्नलिखित सहित सुविधा का विवरण उपलब्ध कराएं :
 - (i) स्थान की अवस्थिति, ले-आउट सहित नक्शा उपलब्ध कराएं;
 - (ii) अपशिष्ट का सुरक्षित भंडारण और भंडारण क्षमता;
 - (iii) शोधन प्रक्रियाएं और उनकी क्षमताएं;
 - (iv) प्रतिभूत खत्ता स्थल;
 - (v) भस्मीकरण, यदि कोई हो;
 - (vi) लीचेट संग्रहण और शोधन प्रणाली;
 - (vii) अग्नि शमन प्रणालियां;
 - (viii) निगरानी सहित पर्यावरण प्रबंधन योजना; और
 - (ix) उत्पन्नकर्ताओं से अपशिष्ट का परिवहन करने की व्यवस्था।
2. शोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधा स्थल पर किए जाने वाले किसी अन्य कार्यक्रम का विवरण उपलब्ध कराएं।
3. पर्यावरण पूर्वानुमति की प्रति संलग्न करें।

भाग घ : परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों के पुनःचक्रणकर्ताओं या पूर्व-प्रसंस्करणकर्ताओं या सह प्रसंस्करणकर्ताओं या प्रयोक्ताओं द्वारा भरा जाए

1. स्वदेशी या आयात अथवा दोनों स्रोतों से प्रतिवर्ष प्राप्त विभिन्न अपशिष्टों की प्रकृति और मात्रा :
2. जिला उद्योग केन्द्र या किसी अन्य प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा जारी पंजीकरण के अनुसार संस्थापित क्षमता :

3. भंडारण क्षमता सहित अपशिष्टों के प्रतिभूत भंडारण का विवरण उपलब्ध कराएं :
4. इनपुट और आउटपुट दर्शाते हुए प्रक्रिया फ्लोशीट सहित प्रक्रिया का विवरण (इनपुट अपशिष्ट रसायन, उत्पाद, सहउत्पाद, उत्पन्न अपशिष्ट, उत्सर्जन, मलजल इत्यादि)। कृपया अलग से शीट संलग्न करें :
5. उत्पादों या सहउत्पादों के अंतिम प्रयोक्ताओं का विवरण उपलब्ध कराएं:
6. अपशिष्ट की निस्तारण की पद्धति सहित बहिष्काव शोधन संयंत्र, स्क्रबर इत्यादि जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का विवरण उपलब्ध कराएं :
7. वृत्तिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का विवरण उपलब्ध कराएं :
8. क्या सुविधा की संस्थापना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप की गई है? यदि हां तो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं :
9. प्रसुविधा तक अपशिष्ट के परिवहन की व्यवस्था:

तारीख

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम

प्ररूप 2

[नियम 6(2) देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिभोगियों, पुनःत्रकणकर्ताओं, पुनः प्रसंस्करणकर्ताओं, पुनःप्रयोक्ताओं, प्रयोक्ताओं और निस्तारण सुविधाओं के प्रचालकों के प्राधिकार की मंजूरी या नवीनीकरण का प्ररूप

1. प्राधिकार की संख्या और जारी करने की तारीख :
2. आवेदन का संदर्भ (संख्या और तारीख)
3.के.....कोमें स्थित परिसर में परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, ग्रहण भंडारण, परिवहन, पुनः प्रयोग, पुनःत्रकण, पुनः प्राप्ति, पूर्व प्रसंस्करण, सह प्रसंस्करण, उपयोग, शोधन निस्तारण या किसी अन्य प्रयोग के लिए संलग्न हस्ताक्षरित निरीक्षण रिपोर्ट के आधार एतद्वारा प्राधिकार की मंजूरी दी जाती है।

प्राधिकार का विवरण

क्र.सं.	इन नियमों की अनुसूचियों I, II और III के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ट की श्रेणी	निस्तारण या पुनःत्रकण या उपयोग या सह प्रसंस्करण इत्यादि की प्राधिकृत पद्धति	मात्रा टन/वर्ष

- (1) प्राधिकार की अवधि के लिए विधि मान्य होगा।
- (2) प्राधिकार निम्नलिखित सामान्य और विशिष्ट शर्तों के अधीन होगा। (कृपया सामान्य शर्तों के अतिरिक्त लगाई जाने वाली किन्हीं आवश्यक विशिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करें:

प्राधिकार की सामान्य शर्तें :

1. प्राधिकृत व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।
2. प्राधिकार या उसका नवीनीकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
3. प्राधिकृत व्यक्ति उसे प्राधिकार के माध्यम से अनुज्ञेय को छोड़कर परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों को किराए पर नहीं देगा, उधार नहीं देगा, विक्रय नहीं करेगा, अंतरण नहीं करेगा या अन्यथा परिवहन नहीं करेगा।
4. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन में यथा उल्लिखित कार्मिकों, उपकरणों या कार्यदशाओं में अप्राधिकृत परिवर्तन उसके प्राधिकार के भंग का कारक होगा।
5. प्राधिकृत व्यक्ति बिखराव, रिसाव, आग इत्यादि जैसे सभी प्रकार के स्थल विशिष्ट संभावित दृश्यों और उनके संभावित प्रभावों पर विचार करते हुए आपात कार्यवाही प्रक्रिया (ईआरपी) क्रियान्वित करेगा जिसके लिए यह प्राधिकार प्रदान किया जा रहा है और साथ ही नियमित समय अंतराल पर इस संबंध में मॉक ड्रिल करेगा।
6. प्राधिकृत व्यक्ति 'परिसंकटमय अपशिष्ट के हथालन तथा निस्तारण के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति के लिए कार्यान्वयन दायित्व और दंड' के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों में रेखांकित किए गए उपबंधों का अनुपालन करेगा।
7. प्राधिकृत व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रसुविधा बंद करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त करे।
8. आयातित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का अभिवहन और किसी आकस्मिक दुर्घटना तथा उसकी निकासी संक्रिया के लिए पूर्ण रूप से बीमा किया जाएगा।
9. आयातित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट की खपत के अभिलेख का रखरखाव किया जाएगा।
10. आयातित परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों के पुनःचर्कण या पुनः प्रयोग या पुनः प्राप्ति या पुनः प्रसंस्करण या पुनः उपयोग के दौरान उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का शोधन और निस्तारण प्राधिकार की विशिष्ट शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।
11. आयातकर्ता या निर्यातकर्ता आयात या निर्यात और क्षति, यदि कोई हो, के न्यूनीकरण, का खर्च वहन करेगा।
12. प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन इन नियमों के अंतर्गत अधिकथित के अनुसार किया जाएगा।
13. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुपालन के लिए कोई अन्य शर्तें।
14. वार्षिक विवरणी वर्ष के 31 मार्च की अवधि को सुनिश्चित करते हुए 30 जून तक दर्ज की जाएगी।

ख. विशिष्ट शर्तें:

तारीख :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम और मुद्रा

प्ररूप 3

[नियम 6 (5), 13(7), 14(6), 16(5) और 20(1) देखें]

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के अभिलेख के रखरखाव हेतु प्रारूप

1. प्रसुविधा का नाम और पता :

2. प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख और उसकी संदर्भ संख्या :
3. प्रहस्तन किए गए (उत्पन्न या प्राप्त) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का वर्णन :

तारीख	इन नियमों की अनुसूचियों I, II और III के अनुसार श्रेणी सहित अपशिष्ट का प्रकार	कुल मात्रा (मीट्रिक टन)	भंडारण की प्रगति	गंतव्य स्थान या जहां से प्राप्त हुआ है

* उपर्युक्त तालिका को स्वदेशी और आयातित अपशिष्ट के लिए अलग-अलग भरें।

4. भेजे गए उत्पादों सहित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन और पुनर्चक्रणकर्ता या पूर्व प्रसंस्करणकर्ता और प्रयोक्ता के मामले में किसे भेजा गया, का तारीखवार विवरण :
5. पर्यावरणीय निगरानी की तारीख (प्राधिकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गनिर्देशों के अनुसार)

अधिभोगी के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

प्ररूप 4

[नियम 6 (5), 13(8), 16(6) और 20 (2)]

वार्षिक विवरणियां फाइल करने के लिए प्रारूप

[अप्रैल से मार्च की पूर्ववर्ती अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए]

1. प्रसुविधा का नाम और पता :
2. प्राधिकार संख्या और जारी करने की तारीख :
3. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, टेलीफोन, फैक्स नम्बर और ई-मेल सहित पूरा पता :
4. वर्ष के दौरान उत्पादन (उत्पादवार) जहां कहीं प्रयोज्य हो

भाग क. परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता के द्वारा भरा जाए

1. उत्पन्न अपशिष्ट की श्रेणीवार कुल मात्रा
2. प्रेषित की गई मात्रा
 - (i) निपटान सुविधा को
 - (ii) पुनःचक्रणकर्ता या सह-प्रसंस्करणकर्ता या पूर्व प्रसंस्करणकर्ता को
 - (iii) अन्य
3. आंतरिक रूप से उपयोग में लाई गई मात्रा, यदि कोई हो
4. वर्ष के अंत में भंडारित मात्रा-

भाग ख. शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा के प्रचालकों द्वारा भरा जाए

1. प्राप्त की गई कुल मात्रा-
2. वर्ष के प्रारंभ में भंडार में मात्रा-
3. शोधित मात्रा-
4. खत्ता स्थलों में निस्तारित और शोधन के पश्चात मात्रा-
5. भस्मीकरण की गई मात्रा (यदि लागू हो)-

6. ऊपर विनिर्दिष्ट से अलग प्रसंस्करण की गई मात्रा-
7. वर्ष के अंत में भंडारित मात्रा-

भाग ग. पुनःचक्रणकर्ताओं या सह-प्रसंस्करणकर्ताओं या अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा भरा जाए

1. वर्ष के दौरान प्राप्त अपशिष्ट की मात्रा-
(i) घरेलू स्रोत
(ii) आयातित (यदि लागू हो)
2. वर्ष के प्रारंभ में भंडार में मात्रा-
3. पुनर्चक्रित की गई या सह-प्रसंस्करण की गई या प्रयुक्त मात्रा-
4. प्रेषण किए गए उत्पादों की मात्रा (जहां कहीं लागू हो)-
5. उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा-
6. निस्तारित अपशिष्ट की मात्रा-
7. पुनः निर्यात की गई मात्रा (जहां कहीं लागू हो)-
8. वर्ष के अंत में भंडारित मात्रा-

तारीख
स्थान

अश्विभोगी या निपटान सुविधा
के प्रचालक के हस्ताक्षर :

प्ररूप 5

[नियम 13(1) और 14(1) देखें]

पुनर्प्रयोग या पुनर्चक्रण या पुनः प्राप्ति या सह-प्रसंस्करण या उपयोग के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के आयात या निर्यात के लिए आवेदन

आवेदक द्वारा भरा जाए

क्र.सं.	विवरण	आयातक या निर्यातक द्वारा दिया जाने वाला विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	भारत में आयातकर्ता या निर्यातकर्ता (नाम और पता) संपर्क व्यक्ति टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल सुविधा का स्थान/पता आयात या निर्यात का कारण	
2.	भारत के बाहर आयातकर्ता या निर्यातकर्ता (नाम और पता)	
3.	आयात या निर्यात किए जाने वाले अपशिष्ट का विवरण (क) मात्रा (ख) बेसल सं. (ग) एकल/बहु संचलन (घ) अपशिष्ट का रासायनिक संघटन (विवरण संलग्न करें, जहां लागू हो) (ड.) भौतिक विशेषताएं (च) विशेष प्रहस्तन अपेक्षाएं, यदि लागू हों	
4.	अनुसूची III के परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए क्या पूर्व सूचित सहमति प्राप्त की गई है	
5.	आयातकर्ता के लिए (क) पर्यावरणीय सुरक्षोपायों सहित प्रक्रिया का विवरण (अलग से शीट	

	संलग्न करें) (ख) पुनर्चक्रण या सह-प्रसंस्करण या पुनः प्राप्ति या उपयोग की क्षमता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधि मान्य प्राधिकार और प्रचालन की वैध सहमति में से प्रत्येक की प्रति संलग्न करें।	
6.	पिछले तीन वर्षों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के प्रति आयात का विवरण	
7.	प्रवेश का बंदरगाह	

8. वचन बंध

मैं सत्यानिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि :

- दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है और विधिक रूप से प्रवर्तनीय लिखित बाध्यताओं के संबंध में करार कर लिया गया है कि और यह कि कोई लागू बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां सीमापार संचलन को शामिल करते हुए लागू हैं या लागू रहेंगी।
- अनुज्ञात अपशिष्ट का अभिवहन और किसी आकस्मिक दुर्घटना तथा उसकी निकासी संक्रिया के लिए पूर्ण रूप से बीमा किया जाएगा।
- आयातित अपशिष्ट की खपत और अंतिम दशा का अभिलेखन किया जाएगा और प्रत्येक तिमाही में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- ऐसे परिसंकटमय अपशिष्ट, जो कच्ची सामग्री के रूप में आयातित परिसंकटमय अपशिष्ट के उपयोग से हमारे परिसर में उत्पन्न होता है, का शोधन और निपटान प्राधिकार की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- मैं निर्यात और नुकसान, यदि कोई हो के न्यूनीकरण का खर्च वहन करने की सहमति देता हूँ।
- मुझे इस बात की जानकारी है कि मिथ्या प्रमाण पत्र/वचनबंध देने/इन नियमों और विधिपूर्ण आदेशों का अनुपालन न करने के लिए विशेष शास्तियों की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जुर्माने और कारावास की संभावना भी है।
- यदि आयातकर्ता को स्वीकार्य न हो तो निर्यात किए गए अपशिष्ट वापस ले लिए जाएंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख

स्थान.....

प्ररूप 6

[नियम 13(2), 13(10) और 14(5) देखें]

सीमापार संचालन - संचलन दस्तावेज

क्र.सं.	विवरण		निर्यातक/आयातक द्वारा दिए जाने वाला विवरण
1	निर्यातकर्ता (नाम और पता) संपर्क व्यक्ति टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल	:	
2.	अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता (नाम और पता): संपर्क व्यक्ति टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल	:	
	उत्पत्ति स्थल	:	

3.	आयातकर्ता या वास्तविक प्रयोक्ता (नाम और पता) संपर्क व्यक्ति टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल	:	
4.	व्यापारी (नाम और पता) संपर्क व्यक्ति टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल वास्तविक प्रयोक्ता का विवरण (नाम, पता, टेलीफोन और ई-मेल)	:	
5.	आवेदक की संदर्भ संख्या (यदि कोई हो)	:	
6.	लदान पत्र (प्रतिलिपि संलग्न करें)	:	
7.	आयात/निर्यात का देश		
8.	अपशिष्ट का सामान्य विवरण (क) मात्रा (ख) भौतिक विशेषताएं (ग) अपशिष्ट का रासायनिक संघटन, जहां लागू हो विवरण संलग्न करें (घ) बेसल सं. (ङ.) यूएन पोत परिवहन सं. (च) यूएन वर्ग (छ) यूएन सं. (ज) एच संख्या (झ) वाई संख्या (ञ) आईटीसी (एचएस) (ट) सीमाशुल्क कोड (एच.एस.) (ठ) अन्य (विशेष ब्यौरा दें)		
9.	पैकेजों का प्रकार संख्या		
10.	दुर्घटनाओं की स्थिति में आपात प्रावधान सहित विशेष प्रहस्तन अपेक्षाएं		
11.	एकल/बहु पारेषण के अध्यक्षीन संचलन बहु संचलन की स्थिति में - (क) प्रत्येक पारेषण की संभावित तारीख या पारेषणों की बारंबारता (ख) अनुमानित कुल मात्रा और प्रत्येक पारेषण की मात्रा		
12.	अपशिष्ट का परिवाहक (नाम और पता) ¹ संपर्क व्यक्ति टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल पंजीकरण संख्या परिवहन का साधन (सड़क, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग, समुद्र, वायु) ² अंतरण की तारीख वाहक के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		
13.	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के लिए निर्यातक की घोषणा :		

	<p>मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर क्र.सं.1 से 12 तक दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विधिक रूप से प्रवर्तनीय लिखित बाध्यताओं की बावत यह करार कर लिया गया है कि कोई लागू बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां सीमापार पारगमन को शामिल करते हुए लागू रहेंगी।</p> <p>तारीख : हस्ताक्षर :</p> <p>नाम :</p>		
आयातकर्ता (वास्तविक प्रयोक्ता या व्यापारी) द्वारा भरा जाए			
14.	आयातकर्ता/वास्तविक प्रयोक्ता/व्यापारी ^{2/3} द्वारा प्राप्त माल		
	<p>प्राप्त मात्राकि.ग्रा./ली.</p> <p>तारीख :</p> <p>नाम : हस्ताक्षर:</p>		
15.	पुनः प्राप्ति की पद्धतियां		
	<p>आर कोड*</p> <p>प्रयुक्त प्राद्योगिकी (विवरण संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)</p>		
16.	<p>मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि इन नियमों के तहत शामिल घोषित माल के अलावा उपर्युक्त प्रेषित माल में अन्य कुछ भी आयातित और पुनः चक्रित नहीं किया जाएगा।</p> <p>हस्ताक्षर :</p> <p>तारीख :</p>		
17.	संचलन सहमति के लिए विशिष्ट शर्तें, यदि लागू हों		(विवरण संलग्न करें)
<p>नोट :-(1) सूची संलग्न करें, यदि एक से अधिक हो; (2) उपयुक्त विकल्प चुने; (3) आपात स्थिति में तत्काल सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करें; (4) यदि बाह्य एक से अधिक हो, तो क्र.सं.12 में विदित सूचना दें।</p>			

संचलन प्रलेख में प्रयुक्त लघु रूपों की सूची**पुनः प्राप्ति संक्रियाएं (*)**

- आर1** ईंधन (प्रत्यक्ष भस्मीकरण से भिन्न) या ऊर्जा उत्पादन के अन्य साधनों के रूप में प्रयोग।
- आर2** विलायक का उद्धरण/पुनरूत्पादन।
- आर3** ऐसे कार्बनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण/उद्धरण, जो विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं।
- आर4** धातुओं और धातु सन्मिश्रणों का पुनर्चक्रण/उद्धरण।
- आर5** अन्य अकार्बनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण/उद्धरण।
- आर6** अम्ल और क्षारों का पुनरूत्पादन।
- आर7** प्रदूषण उपशमन के लिए प्रयुक्त संघटकों की पुनः प्राप्ति।
- आर8** उत्प्रेरकों से संघटकों की पुनः प्राप्ति।
- आर9** प्रयुक्त तेल का पुनःपरिशोधन या पहले प्रयुक्त तेल के अन्य पुनरूपयोग।

आर10 भूमि उपचार जिसके परिणामस्वरूप कृषि या परिस्थितिकीय सुधार का फायदा।

आर11 सं. आर 1 से आर 10 तक की किसी भी संक्रिया से प्राप्त अवशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग।

तारीख :
स्थान :

हस्ताक्षर :
पदनाम :

प्ररूप 7

[नियम 13(2)(ग) देखें]

अनुसूची III के भाग घ के अपशिष्ट के लिए व्यापारियों के एकबारगी प्राधिकार के लिए आवेदन पत्र का प्ररूप

(व्यापारी द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए)

1.	व्यापारी का नाम और पता, टेलीफोन, फैक्स संख्या और ई-मेल सहित	:	
2.	टिन/बैट संख्या/आयात/निर्यात कोड	:	
3.	आयात किए जाने वाले अन्य अपशिष्ट का विवरण और मात्रा	:	
4.	भंडारण, यदि कोई हो, का विवरण	:	
5.	प्राधिकृत वास्तविक उपयोगकर्ता(ओं) का/के नाम और पता/पते	:	

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख :
स्थान :

प्ररूप 8

[नियम 17(1) और 18(2) देखें]

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के कंटेनरों की लेबलिंग

सावधानी से प्रहस्तन करें

इन नियमों की अनुसूचियों II और III के अनुसार अपशिष्ट की श्रेणी और विशेषताएं.....	भाग ग के श्रेणी और	असंगत अपशिष्ट और पदार्थ
कुल मात्रा		भंडारण की तारीख
अपशिष्ट की भौतिक अवस्था (ठोस/अर्द्ध ठोस/द्रव) :		
प्रेषणकर्ता का नाम और पता		प्राप्तकर्ता का नाम और पता
फोन		फोन
ई-मेल		ई-मेल
टेलीफोन और फैक्स संख्या		टेलीफोन और फैक्स संख्या
संपर्क व्यक्ति		संपर्क व्यक्ति
आपात स्थिति में कृपया संपर्क करें		

टिप्पणी :

- लेबल की पृष्ठभूमि का रंग - फ्लोरोसेंट येलो
- शब्द 'परिसंकटमय अपशिष्ट' और 'सावधानी से प्रहस्तन करें' हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में स्पष्ट रूप से और लाल रंग में लिखे जाएं।
- शब्द 'अन्य अपशिष्ट' हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में संतरे रंग में स्पष्ट रूप से लिखे जाएं।

4. लेबल न मिटने वाली और मौसम सह सामग्री का होना चाहिए।

प्ररूप 9

[नियम 18(2) देखें]

परिवहन आपात स्थिति (ट्रेम) कार्ड

[अपशिष्ट के प्रेषणकर्ता द्वारा दिए गए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के परिवहन के दौरान परिववाहक द्वारा साथ रखा जाए]

1. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की विशेषताएं :

क्र. सं.	अपशिष्ट का प्रकार	भौतिक गुण	रासायनिक संघटक	प्रभाव परिसंकट	संबंधी	प्राथमिक आवश्यकताएं	उपचार

2. आग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

3. बिखरने/दुर्घटना/विस्फोट की स्थिति में
अपनाई जाने प्रक्रिया :

4. विशेषज्ञ सेवाओं के लिए कृपया संपर्क करें :
(i) नाम और पता :
(ii) टेलीफोन नं. :

(प्रेषणकर्ता का नाम, संपर्क के लिए नम्बर और हस्ताक्षर)

तारीख

स्थान

प्ररूप 10

[नियम 19(1) देखें]

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट संबंधी मालसूची

1.	प्रेषणकर्ता का नाम और डाक का पता : (फोन नं. और ई-मेल सहित)	
2.	प्रेषणकर्ता का प्राधिकार संख्या :	
3.	सूची दस्तावेज संख्या :	
4.	परिववाहक का नाम और पता : (फोन नं. और ई-मेल सहित)	
5.	वाहन का प्रकार :	(ट्रक/टैंकर/विशेष वाहन)
6.	परिववाहक की पंजीकरण संख्या	
7.	वाहन की पंजीकरण संख्या	
8.	प्राप्तकर्ता का नाम और डाक का पता (फोन नं. और ई-मेल सहित)	
9.	प्राप्तकर्ता का प्राधिकार संख्या	
10.	अपशिष्ट का विवरण	
11.	कुल मात्राघन मी. या मीट्रिक टन

	कंटेनरों की संख्या	संख्या.....							
12.	वास्तविक स्वरूप	(ठोस/अर्ध ठोस/गाद/तैलीय/टैरी/स्लरी/द्रव)							
13.	प्रहस्तन संबंधी विशेष अनुदेश और अतिरिक्त सूचना								
14.	प्रेषणकर्ता का प्रमाण-पत्र	मैं यह घोषणा करता हूँ कि पारेषण की अंतर्वस्तुएं समुचित पोत परिवहन के नाम से ऊपर पूर्णतया और सही रूप में वर्णित की गई है और उन्हें प्रवर्गीकृत पैक चिन्हांकित और लेबलित किया गया है और वह लागू राष्ट्रीय सरकारी विनियमों के अनुसार सड़क द्वारा परिवहन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त दशा में हैं।							
	नाम और मुहर : हस्ताक्षर:	माह दिन वर्ष <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							
15.	अपशिष्ट की प्राप्ति के लिए परिववाहक की अभिस्वीकृति								
	टंकित नाम और स्टैम्प : हस्ताक्षर	माह दिन वर्ष <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							
16.	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट की प्राप्ति की बाबत प्राप्तकर्ता का प्रमाण-पत्र								
	टंकित नाम और स्टैम्प : हस्ताक्षर	माह दिन वर्ष <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							

प्रारूप 11

[नियम 22 देखें]

दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रपत्र

[प्रसुविधा या प्रेषणकर्ता या प्राप्तकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए]

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना के कारकों का क्रम :
3. दुर्घटना में शामिल परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का विवरण :
4. स्वास्थ्य या पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभावों के मूल्यांकन की तारीख :
5. किए गए आपातकालीन उपाए :
6. दुर्घटना के प्रभावों को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम :
7. ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदम :

तारीख :

हस्ताक्षर :

स्थान :

पदनाम :

प्रारूप 12

[नियम 24(1) देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का आवेदन

1. अपील करने वाले व्यक्ति का नाम और पता :
2. आदेश की संख्या, तारीख और उस प्राधिकरण का पता जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है : (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

3. अपील करने का आधार :
4. मांगी गई राहत :
5. पैरा 2 में संदर्भित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील
दायर की जा रही है, के अतिरिक्त अनुलग्नकों की सूची :

हस्ताक्षर.....

तारीख :

नाम और पता

X

X

[23-16/2009-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2016

G.S.R. 395(E).—Whereas the draft rules, namely the Hazardous And Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2015, were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 582(E), dated the 24th July, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on the 24th day of July, 2015;

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the specified period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the management of hazardous and other wastes as specified in the Schedules to these rules but shall not apply to -

- (a) waste-water and exhaust gases as covered under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder and as amended from time to time;
- (b) wastes arising out of the operation from ships beyond five kilometres of the relevant baseline as covered under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder and as amended from time to time;

- (c) radio-active wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder and as amended from time to time;
- (d) bio-medical wastes covered under the Bio-Medical Wastes (Management and Handling) Rules, 1998 made under the Act and as amended from time to time; and
- (e) wastes covered under the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Act and as amended from time to time.

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

1. “Act” means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
2. “actual user” means an occupier who procures and processes hazardous and other waste for reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing;
3. “authorisation” means permission for generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes granted under sub-rule (2) of rule 6;
4. “Basel Convention” means the United Nations Environment Programme Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal;
5. “captive treatment, storage and disposal facility” means a facility developed within the premises of an occupier for treatment, storage and disposal of wastes generated during manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer or the like of hazardous and other wastes;
6. “Central Pollution Control Board” means the Central Pollution Control Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
7. “common treatment, storage and disposal facility” means a common facility identified and established individually or jointly or severally by the State Government, occupier, operator of a facility or any association of occupiers that shall be used as common facility by multiple occupiers or actual users for treatment, storage and disposal of the hazardous and other wastes;
8. “co-processing” means the use of waste materials in manufacturing processes for the purpose of energy or resource recovery or both and resultant reduction in the use of conventional fuels or raw materials or both through substitution;
9. “critical care medical equipment” means life saving equipment and includes such equipment as specified by the Ministry of Health and Family Welfare from time to time;
10. “disposal” means any operation which does not lead to reuse, recycling, recovery, utilisation including co-processing and includes physico-chemical treatment, biological treatment, incineration and disposal in secured landfill;
11. “export”, with its grammatical variations and cognate expressions, means taking out of India to a place outside India;
12. “exporter” means any person or occupier under the jurisdiction of the exporting country who exports hazardous or other wastes, including the country which exports hazardous or other waste;
13. “environmentally sound management of hazardous and other wastes” means taking all steps required to ensure that the hazardous and other wastes are managed in a manner which shall protect health and the environment against the adverse effects which may result from such waste;
14. “environmentally sound technologies” means any technology approved by the Central Government from time to time;
15. “facility” means any establishment wherein the processes incidental to the generation, handling, collection, reception, treatment, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation and disposal of hazardous and, or, other wastes are carried out;

16. “Form” means a form appended to these rules;
17. “hazardous waste” means any waste which by reason of characteristics such as physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive, causes danger or is likely to cause danger to health or environment, whether alone or in contact with other wastes or substances, and shall include -
 - (i) waste specified under column (3) of Schedule I;
 - (ii) waste having equal to or more than the concentration limits specified for the constituents in class A and class B of Schedule II or any of the characteristics as specified in class C of Schedule II; and
 - (iii) wastes specified in Part A of Schedule III in respect of import or export of such wastes or the wastes not specified in Part A but exhibit hazardous characteristics specified in Part C of Schedule III;
18. “import”, with its grammatical variations and cognate expressions, means bringing into India from a place outside India;
19. “importer” mean any person or occupier who imports hazardous or other waste;
20. “manifest” means transporting document prepared and signed by the sender authorised in accordance with the provisions of these rules;
21. “occupier” in relation to any factory or premises, means a person who has, control over the affairs of the factory or the premises and includes in relation to any hazardous and other wastes, the person in possession of the hazardous or other waste;
22. “operator of disposal facility” means a person who owns or operates a facility for collection, reception, treatment, storage and disposal of hazardous and other wastes;
23. “other wastes” means wastes specified in Part B and Part D of Schedule III for import or export and includes all such waste generated indigenously within the country;
24. “pre-processing” means the treatment of waste to make it suitable for co-processing or recycling or for any further processing;
25. “recycling” means reclamation and processing of hazardous or other wastes in an environmentally sound manner for the originally intended purpose or for other purposes;
26. “reuse” means use of hazardous or other waste for the purpose of its original use or other use;
27. “recovery” means any operation or activity wherein specific materials are recovered;
28. “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
29. “State Government” in relation to a Union territory means, the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution;
30. “State Pollution Control Board” means the State Pollution Control Board constituted under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes, in relation to a Union territory, the Pollution Control Committee;
31. “storage” mean storing any hazardous or other waste for a temporary period, at the end of which such waste is processed or disposed of;
32. “transboundary movement” means any movement of hazardous or other wastes from an area under the jurisdiction of one country to or through an area under the jurisdiction of another country or to or through an area not under the jurisdiction of any country, provided that at least two countries are involved in the movement;
33. “transport” means off-site movement of hazardous or other wastes by air, rail, road or water;
34. “transporter” means a person engaged in the off-site transportation of hazardous or other waste by air, rail, road or water;

35. “treatment” means a method, technique or process, designed to modify the physical, chemical or biological characteristics or composition of any hazardous or other waste so as to reduce its potential to cause harm;
36. “used oil” means any oil-
- (i) derived from crude oil or mixtures containing synthetic oil including spent oil, used engine oil, gear oil, hydraulic oil, turbine oil, compressor oil, industrial gear oil, heat transfer oil, transformer oil and their tank bottom sludges; and
 - (ii) suitable for reprocessing, if it meets the specification laid down in Part A of Schedule V but does not include waste oil;
37. “utilisation” means use of hazardous or other waste as a resource;
38. “waste” means materials that are not products or by-products, for which the generator has no further use for the purposes of production, transformation or consumption.

Explanation.- for the purposes of this clause,

- (i) waste includes the materials that may be generated during, the extraction of raw materials, the processing of raw materials into intermediates and final products, the consumption of final products, and through other human activities and excludes residuals recycled or reused at the place of generation; and
 - (ii) by-product means a material that is not intended to be produced but gets produced in the production process of intended product and is used as such;
39. “waste oil” means any oil which includes spills of crude oil, emulsions, tank bottom sludge and slop oil generated from petroleum refineries, installations or ships and can be used as fuel in furnaces for energy recovery, if it meets the specifications laid down in Part-B of Schedule V either as such or after reprocessing.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND OTHER WASTES

4. Responsibilities of the occupier for management of hazardous and other wastes.-

- (1) For the management of hazardous and other wastes, an occupier shall follow the following steps, namely:-
 - (a) prevention;
 - (b) minimization;
 - (c) reuse,
 - (d) recycling;
 - (e) recovery, utilisation including co-processing;
 - (f) safe disposal.
- (2) The occupier shall be responsible for safe and environmentally sound management of hazardous and other wastes.
- (3) The hazardous and other wastes generated in the establishment of an occupier shall be sent or sold to an authorised actual user or shall be disposed of in an authorised disposal facility.
- (4) The hazardous and other wastes shall be transported from an occupier’s establishment to an authorised actual user or to an authorised disposal facility in accordance with the provisions of these rules.
- (5) The occupier who intends to get its hazardous and other wastes treated and disposed of by the operator of a treatment, storage and disposal facility shall give to the operator of that facility, such specific information as may be needed for safe storage and disposal.
- (6) The occupier shall take all the steps while managing hazardous and other wastes to-
 - (a) contain contaminants and prevent accidents and limit their consequences on human beings and the environment;
 - and

- (b) provide persons working in the site with appropriate training, equipment and the information necessary to ensure their safety.

5. Responsibilities of State Government for environmentally sound management of hazardous and other wastes. – (1) Department of Industry in the State or any other government agency authorised in this regard by the State Government, to ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for recycling, pre-processing and other utilisation of hazardous or other waste in the existing and upcoming industrial park, estate and industrial clusters;

(2) Department of Labour in the State or any other government agency authorised in this regard by the State Government shall,-

- (a) ensure recognition and registration of workers involved in recycling, pre-processing and other utilisation activities;
- (b) assist formation of groups of such workers to facilitate setting up such facilities;
- (c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in recycling, pre-processing and other utilisation;
- (d) undertake annual monitoring and to ensure safety and health of workers involved in recycling, pre-processing and other utilisation.

(3) Every State Government may prepare integrated plan for effective implementation of these provisions and to submit annual report to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in the Central Government.

6. Grant of authorisation for managing hazardous and other wastes.- (1) Every occupier of the facility who is engaged in handling, generation, collection, storage, packaging, transportation, use, treatment, processing, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other wastes shall be required to make an application in **Form 1** to the State Pollution Control Board and obtain an authorisation from the State Pollution Control Board within a period of sixty days from the date of publication of these rules. Such application for authorisation shall be accompanied with a copy each of the following documents, namely:-

- (a) consent to establish granted by the State Pollution Control Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (21 of 1981);
- (b) Consent to operate granted by the State Pollution Control Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and/or Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, (21 of 1981);
- (c) in case of renewal of authorisation, a self-certified compliance report in respect of effluent, emission standards and the conditions specified in the authorisation for hazardous and other wastes:

Provided that an application for renewal of authorisation may be made three months before the expiry of such authorisation:

Provided further that-

- (i) any person authorised under the provisions of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, prior to the date of commencement of these rules, shall not be required to make an application for authorisation till the period of expiry of such authorisation;
- (ii) any person engaged in recycling or reprocessing of the hazardous waste specified in Schedule IV and having registration under the provisions of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, shall not be required to make an application for authorisation till the period of expiry of such registration.

(2) On receipt of an application complete in all respects for the authorisation, the State Pollution Control Board may, after such inquiry as it considers necessary, and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities for collection, storage, packaging, transportation, treatment, processing, use, destruction, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other waste, as the case may be, and after ensuring technical capabilities and equipment complying with the standard operating procedure or other guidelines specified by the Central Pollution Control Board from time to time and through site inspection, grant within a period of one hundred and twenty days, an authorisation in **Form 2** to the applicant, which shall be valid for a period of five years subject to such conditions as may be laid down therein. For commonly recyclable hazardous waste as given in Schedule IV, the guidelines already prepared by the Central Pollution Control Board shall be followed:

Provided that in the case of an application for renewal of authorisation, the State Pollution Control Board may, before granting such authorisation, satisfy itself that there has been no violation of the conditions specified in the authorisation earlier granted by it and same shall be recorded in the inspection report.

(3) The authorisation granted by the State Pollution Control Board under sub-rule (2) shall be accompanied by a copy of the field inspection report signed by that Board indicating the adequacy of facilities for collection, storage, packaging, transportation, treatment, processing, use, destruction, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other wastes and compliance to the guidelines or standard operating procedures specified by the Central Pollution Control Board from time to time.

(4) The State Pollution Control Board may, for the reasons to be recorded in writing and after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant, refuse to grant any authorisation under these rules.

(5) Every occupier authorised under these rules, shall maintain a record of hazardous and other wastes managed by him in **Form 3** and prepare and submit to the State Pollution Control Board, an annual return containing the details specified in **Form 4** on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

(6) The State Pollution Control Board shall maintain a register containing particulars of the conditions imposed under these rules for management of hazardous and other wastes and it shall be open for inspection during office hours to any interested or affected person.

(7) The authorised actual user of hazardous and other wastes shall maintain records of hazardous and other wastes purchased in a passbook issued by the State Pollution Control Board along with the authorisation.

(8) Handing over of the hazardous and other wastes to the authorised actual user shall be only after making the entry into the passbook of the actual user.

7. Power to suspend or cancel an authorisation.- (1) The State Pollution Control Board, may, if in its opinion the holder of the authorisation has failed to comply with any of the conditions of the authorisation or with any provisions of the Act or these rules and after giving him a reasonable opportunity of being heard and after recording reasons thereof in writing cancel or suspend the authorisation issued under rule 6 for such period as it considers necessary in the public interest.

(2) Upon suspension or cancellation of the authorisation, the State Pollution Control Board may give directions to the person whose authorisation has been suspended or cancelled for the safe storage and management of the hazardous and other wastes, and such occupier shall comply with such directions.

8. Storage of hazardous and other wastes.- (1) The occupiers of facilities may store the hazardous and other wastes for a period not exceeding ninety days and shall maintain a record of sale, transfer, storage, recycling, recovery, pre-processing, co-processing and utilisation of such wastes and make these records available for inspection:

Provided that the State Pollution Control Board may extend the said period of ninety days in following cases, namely:-

- (i) small generators (up to ten tonnes per annum) up to one hundred and eighty days of their annual capacity;
- (ii) actual users and disposal facility operators up to one hundred and eighty days of their annual capacity,
- (iii) occupiers who do not have access to any treatment, storage, disposal facility in the concerned State; or
- (iv) the waste which needs to be specifically stored for development of a process for its recycling, recovery, pre-processing, co-processing or utilisation;
- (v) in any other case, on justifiable grounds up to one hundred and eighty days.

9. Utilisation of hazardous and other wastes.- (1) The utilisation of hazardous and other wastes as a resource or after pre-processing either for co-processing or for any other use, including within the premises of the generator (if it is not part of process), shall be carried out only after obtaining authorisation from the State Pollution Control Board in respect of waste on the basis of standard operating procedures or guidelines provided by the Central Pollution Control Board.

(2) Where standard operating procedures or guidelines are not available for specific utilisation, the approval has to be sought from Central Pollution Control Board which shall be granting approval on the basis of trial runs and thereafter, standard operating procedures or guidelines shall be prepared by Central Pollution Control Board:

Provided, if trial run has been conducted for particular waste with respect to particular utilisation and compliance to the environmental standards has been demonstrated, authorisation may be granted by the State Pollution Control Board with respect to the same waste and utilisation, without need of separate trial run by Central Pollution Control Board and such cases of successful trial run, Central Pollution Control Board shall intimate all the State Pollution Control Board regarding the same.

(3) No trial runs shall be required for co-processing of waste in cement plants for which guidelines by the Central Pollution Control Board are already available; however, the actual users shall ensure compliance to the standards notified under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for cement plant with respect to co-processing of waste:

Provided that till the time the standards are notified, the procedure as applicable to other kind of utilisation of hazardous and other waste, as enumerated above shall be followed.

10. Standard Operating Procedure or guidelines for actual users.- The Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the Central Pollution Control Board may issue guidelines or standard operating procedures for environmentally sound management of hazardous and other wastes from time to time.

CHAPTER III

IMPORT AND EXPORT OF HAZARDOUS AND OTHER WASTES

11. Import and export (transboundary movement) of hazardous and other wastes.- The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be the nodal Ministry to deal with the transboundary movement of the hazardous and other wastes in accordance with the provisions of these rules.

12. Strategy for Import and export of hazardous and other wastes.- (1) No import of the hazardous and other wastes from any country to India for disposal shall be permitted.

(2) The import of hazardous and other wastes from any country shall be permitted only for recycling, recovery, reuse and utilisation including co-processing.

(3) The import of hazardous waste in Part A of Schedule III may be allowed to actual users with the prior informed consent of the exporting country and shall require the permission of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(4) The import of other wastes in Part B of Schedule III may be allowed to actual users with the permission of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(5) The import of other wastes in Part D of Schedule III will be allowed as per procedure given in rule 13 and as per the note below the said Schedule.

(6) No import of the hazardous and other wastes specified in Schedule VI shall be permitted.

(7) The export of hazardous and other wastes from India listed in Part A and Part B of Schedule III and Schedule VI shall be with the permission of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In case of applications for export of hazardous and other waste listed in Part A of Schedule III and Schedule VI, they shall be considered on the basis of prior informed consent of the importing country.

(8) The import and export of hazardous and other wastes not specified in Schedule III, but exhibiting the hazardous characteristics outlined in Part C of Schedule III shall require prior written permission of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change before it is imported to or exported from India, as the case may be.

13. Procedure for import of hazardous and other wastes.- (1) Actual users intending to import or transit for transboundary movement of hazardous and other wastes specified in Part A and Part B of Schedule III shall apply in **Form 5** along with the documents listed therein, to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the proposed import together with the prior informed consent of the exporting country in respect of Part A of Schedule III waste, and shall send a copy of the application, simultaneously, to the concerned State Pollution Control Board for information and the acknowledgement in this respect from the concerned State Pollution Control Board shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change along with the application.

(2) For the import of other wastes listed in Part D of Schedule III, the importer shall not require the permission of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. However, the importer shall furnish the required information as per **Form 6** to the Customs authorities, accompanied with the following documents in addition to those listed in Schedule VIII, wherever applicable. For used electrical and electronic assemblies listed at serial numbers 4 (e) to 4(i) of Schedule VIII (Basel No. B1110), there is no specific requirement of documentation under these rules:

(a) the import license from Directorate General of Foreign Trade, if applicable;

(b) the valid consents under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (21 of 1981) and the authorisation under these rules as well as the authorisation under the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, as amended from time to time, whichever applicable;

(c) importer who is a trader, importing waste on behalf of actual users, shall obtain one time authorisation in **Form 7** and copy of this authorisation shall be appended to **Form 6**.

(3) For Part B of Schedule III, in case of import of any used electrical and electronic assemblies or spares or part or component or consumables as listed under Schedule I of the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, as amended from time to time, the importer need to obtain extended producer responsibility-authorisation as producer under the said E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011.

(4) Prior to clearing of consignment of wastes listed in Part D of Schedule III, the Custom authorities shall verify the documents as given in column (3) of Schedule VIII.

(5) On receipt of the complete application with respect to Part A and Part B of Schedule III, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall examine the application considering the comments and observations, if any, received from the State Pollution Control Boards, and may grant the permission for import within a period of sixty days subject to the condition that the importer has -

- (i) the environmentally sound facilities;
- (ii) adequate arrangements for treatment and disposal of wastes generated;
- (iii) a valid authorisation and consents from the State Pollution Control Board;
- (iv) prior informed consent from the exporting country in case of Part A of Schedule III wastes.

(6) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall forward a copy of the permission to the concerned Port and Customs authorities, Central Pollution Control Board and the concerned State Pollution Control Board for ensuring compliance with respect to their respective functions given in Schedule VII.

(7) The importer of the hazardous and other wastes shall maintain records of the hazardous and other waste imported by him in **Form 3** and the record so maintained shall be made available for inspection.

(8) The importer of the hazardous and other wastes shall file an annual return in **Form 4** to the State Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

(9) Samples of hazardous and other wastes being imported for testing or research and development purposes up to 1000 gm or 1000 ml shall be exempted from need of taking permission for import under these rules.

(10) The Port and Customs authorities shall ensure that shipment is accompanied with the movement document as given in **Form 6** and the test report of analysis of the waste, consignment, wherever applicable, from a laboratory accredited or recognised by the exporting country. In case of any doubt, the customs may verify the analysis.

14. Procedure for Export of hazardous and other wastes from India.- (1) Any occupier intending to export waste specified in Part A of Schedule III, Part B of Schedule III and Schedule VI, shall make an application in **Form 5** along with insurance cover to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the proposed transboundary movement of the hazardous and other wastes together with the prior informed consent in writing from the importing country in respect of wastes specified in Part A of Schedule III and Schedule VI.

(2) On receipt of an application under sub-rule (1), the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give permission for the proposed export within a period of sixty days from the date of submission of complete application and may impose such conditions as it may consider necessary.

(3) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall forward a copy of the permission granted under sub-rule (2) to the State Pollution Control Board of the State where the waste is generated and the Pollution Control Board of the State where the port of export is located and the concerned Port and Customs authorities for ensuring compliance of the conditions of the export permission.

(4) The exporter shall ensure that no consignment is shipped before the prior informed consent is received from the importing country, wherever applicable.

(5) The exporter shall also ensure that the shipment is accompanied with movement document in **Form 6**.

(6) The exporter of the hazardous and other wastes shall maintain the records of the hazardous or other waste exported by him in **Form 3** and the record so maintained shall be available for inspection.

15. Illegal traffic.- (1) The export and import of hazardous or other wastes from and into India, respectively shall be deemed illegal, if,-

- (i) it is without permission of the Central Government in accordance with these rules; or
- (ii) the permission has been obtained through falsification, mis-representation or fraud; or
- (iii) it does not conform to the shipping details provided in the movement documents; or
- (iv) it results in deliberate disposal (i.e., dumping) of hazardous or other waste in contravention of the Basel Convention and of general principles of international or domestic law.

(2) In case of illegal import of the hazardous or other waste, the importer shall re-export the waste in question at his cost within a period of ninety days from the date of its arrival into India and its implementation will be ensured by the concerned Port and the Custom authority. In case of disposal of such waste by the Port and Custom authorities, they shall do so in accordance with these rules with the permission of the Pollution Control Board of the State where the Port exists.

(3) In case of illegal import of hazardous or other waste, where the importer is not traceable then the waste either can be sold by the Customs authority to any user having authorisation under these rules from the concerned State Pollution Control Board or can be sent to authorised treatment, storage and disposal facility.

CHAPTER - IV TREATMENT, STORAGE AND DISPOSAL FACILITY FOR HAZARDOUS AND OTHER WASTES

16. Treatment, storage and disposal facility for hazardous and other wastes.- (1) The State Government, occupier, operator of a facility or any association of occupiers shall individually or jointly or severally be responsible for identification of sites for establishing the facility for treatment, storage and disposal of the hazardous and other waste in the State.

(2) The operator of common facility or occupier of a captive facility, shall design and set up the treatment, storage and disposal facility as per technical guidelines issued by the Central Pollution Control Board in this regard from time to time and shall obtain approval from the State Pollution Control Board for design and layout in this regard.

(3) The State Pollution Control Board shall monitor the setting up and operation of the common or captive treatment, storage and disposal facility, regularly.

(4) The operator of common facility or occupier of a captive facility shall be responsible for safe and environmentally sound operation of the facility and its closure and post closure phase, as per guidelines or standard operating procedures issued by the Central Pollution Control Board from time to time.

(5) The operator of common facility or occupier of a captive facility shall maintain records of hazardous and other wastes handled by him in **Form 3**.

(6) The operator of common facility or occupier of a captive facility shall file an annual return in **Form 4** to the State Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

CHAPTER - V PACKAGING, LABELLING, AND TRANSPORT OF HAZARDOUS AND OTHER WASTES.

17. Packaging and Labelling.- (1) Any occupier handling hazardous or other wastes and operator of the treatment, storage and disposal facility shall ensure that the hazardous and other wastes are packaged in a manner suitable for safe handling, storage and transport as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time. The labelling shall be done as per **Form 8**.

(2) The label shall be of non-washable material, weather proof and easily visible.

18. Transportation of hazardous and other wastes.- (1) The transport of the hazardous and other waste shall be in accordance with the provisions of these rules and the rules made by the Central Government under the Motor Vehicles Act, 1988 and the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time in this regard.

(2) The occupier shall provide the transporter with the relevant information in **Form 9**, regarding the hazardous nature of the wastes and measures to be taken in case of an emergency and shall label the hazardous and other wastes containers as per **Form 8**.

(3) In case of transportation of hazardous and other waste for final disposal to a facility existing in a State other than the State where the waste is generated, the sender shall obtain 'No Objection Certificate' from the State Pollution Control Board of both the States.

(4) In case of transportation of hazardous and other waste for recycling or utilisation including co-processing, the sender shall intimate both the State Pollution Control Boards before handing over the waste to the transporter.

(5) In case of transit of hazardous and other waste for recycling, utilisation including co-processing or disposal through a State other than the States of origin and destination, the sender shall give prior intimation to the concerned State Pollution Control Board of the States of transit before handing over the wastes to the transporter.

(6) In case of transportation of hazardous and other waste, the responsibility of safe transport shall be either of the sender or the receiver whosoever arranges the transport and has the necessary authorisation for transport from the concerned State Pollution Control Board. This responsibility should be clearly indicated in the manifest.

(7) The authorisation for transport shall be obtained either by the sender or the receiver on whose behalf the transport is being arranged.

19. Manifest system (Movement Document) for hazardous and other waste to be used within the country only.- (1) The sender of the waste shall prepare seven copies of the manifest in **Form 10** comprising of colour code indicated below and all seven copies shall be signed by the sender:

Copy number with colour code	Purpose
(1)	(2)
Copy 1 (White)	To be forwarded by the sender to the State Pollution Control Board after signing all the seven copies.
Copy 2 (Yellow)	To be retained by the sender after taking signature on it from the transporter and the rest of the five signed copies to be carried by the transporter.
Copy 3 (Pink)	To be retained by the receiver (actual user or treatment storage and disposal facility operator) after receiving the waste and the remaining four copies are to be duly signed by the receiver.
Copy 4 (Orange)	To be handed over to the transporter by the receiver after accepting waste.
Copy 5 (Green)	To be sent by the receiver to the State Pollution Control Board.
Copy 6 (Blue)	To be sent by the receiver to the sender.
Copy 7 (Grey)	To be sent by the receiver to the State Pollution Control Board of the sender in case the sender is in another State.

(2) The sender shall forward copy 1 (white) to the State Pollution Control Board, and in case the hazardous or other wastes is likely to be transported through any transit State, the sender shall intimate State Pollution Control Boards of transit States about the movement of the waste.

(3) No transporter shall accept waste from the sender for transport unless it is accompanied by signed copies 3 to 7 of the manifest.

(4) The transporter shall submit copies 3 to 7 of the manifest duly signed with date to the receiver along with the waste consignment.

(5) The receiver after acceptance of the waste shall hand over copy 4 (orange) to the transporter and send copy 5 (green) to his State Pollution Control Board and send copy 6 (blue) to the sender and the copy 3 (pink) shall be retained by the receiver.

(6) The copy 7 (grey) shall only be sent to the State Pollution Control Board of the sender, if the sender is in another State.

CHAPTER VI
MISCELLANEOUS

20. Records and returns.- (1) The occupier handling hazardous or other wastes and operator of disposal facility shall maintain records of such operations in **Form 3**.

(2) The occupier handling hazardous and other wastes and operator of disposal facility shall send annual returns to the State Pollution Control Board in **Form 4**.

(3) The State Pollution Control Board based on the annual returns received from the occupiers and the operators of the facilities for disposal of hazardous and other wastes shall prepare an annual inventory of the waste generated; waste recycled, recovered, utilised including co-processed; waste re-exported and waste disposed and submit to the Central Pollution Control Board by the 30th day of September every year. The State Pollution Control Board shall also prepare the inventory of hazardous waste generators, actual users, and common and captive disposal facilities and shall submit the information to Central Pollution Control Board every two years.

(4) The Central Pollution Control Board shall prepare the consolidated review report on management of hazardous and other wastes and forward it to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, along with its recommendations before the 30th day of December once in every year.

21. Responsibility of authorities. - The authority specified in column (2) of Schedule VII shall perform the duties as specified in column (3) of the said Schedule subject to the provisions of these rules.

22. Accident reporting. - Where an accident occurs at the facility of the occupier handling hazardous or other wastes and operator of the disposal facility or during transportation, the occupier or the operator or the transporter shall immediately intimate the State Pollution Control Board through telephone, e-mail about the accident and subsequently send a report in **Form 11**.

23. Liability of occupier, importer or exporter and operator of a disposal facility.-

(1) The occupier, importer or exporter and operator of the disposal facility shall be liable for all damages caused to the environment or third party due to improper handling and management of the hazardous and other waste.

(2) The occupier and the operator of the disposal facility shall be liable to pay financial penalties as levied for any violation of the provisions under these rules by the State Pollution Control Board with the prior approval of the Central Pollution Control Board.

24. Appeal.- (1) Any person aggrieved by an order of suspension or cancellation or refusal of authorisation or its renewal passed by the State Pollution Control Board may, within a period of thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in **Form 12** to the Appellate Authority, namely, the Environment Secretary of the State.

(2) The Appellate Authority may entertain the appeal after expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(3) Every appeal filed under this rule shall be disposed of within a period of sixty days from the date of its filing.

SCHEDULE I

[See rule 3 (1) (17) (i)]

List of processes generating hazardous wastes

S.No. (1)	Processes (2)	Hazardous Waste* (3)
1.	Petrochemical processes and pyrolytic operations	1.1 Furnace or reactor residue and debris 1.2 Tarry residues and still bottoms from distillation 1.3 Oily sludge emulsion 1.4 Organic residues 1.5 Residues from alkali wash of fuels 1.6 Spent catalyst and molecular sieves 1.7 Oil from wastewater treatment
2.	Crude oil and natural gas production	2.1 Drill cuttings excluding those from water based mud 2.2 Sludge containing oil 2.3 Drilling mud containing oil
3.	Cleaning, emptying and maintenance of petroleum oil storage tanks including ships	3.1 cargo residue, washing water and sludge containing oil 3.2 cargo residue and sludge containing chemicals 3.3 Sludge and filters contaminated with oil 3.4 Ballast water containing oil from ships

4.	Petroleum refining or re-processing of used oil or recycling of waste oil	4.1 Oil sludge or emulsion 4.2 Spent catalyst 4.3 Slop oil 4.4 Organic residue from processes 4.5 Spent clay containing oil
5.	Industrial operations using mineral or synthetic oil as lubricant in hydraulic systems or other applications	5.1 Used or spent oil 5.2 Wastes or residues containing oil 5.3 Waste cutting oils
6.	Secondary production and / or industrial use of zinc	6.1 Sludge and filter press cake arising out of production of Zinc Sulphate and other Zinc Compounds. 6.2 Zinc fines or dust or ash or skimmings in dispersible form 6.3 Other residues from processing of zinc ash or skimmings 6.4 Flue gas dust and other particulates
7.	Primary production of zinc or lead or copper and other non-ferrous metals except aluminium	7.1 Flue gas dust from roasting 7.2 Process residues 7.3 Arsenic-bearing sludge 7.4 Non-ferrous metal bearing sludge and residue. 7.5 Sludge from scrubbers
8.	Secondary production of copper	8.1 Spent electrolytic solutions 8.2 Sludge and filter cakes 8.3 Flue gas dust and other particulates
9.	Secondary production of lead	9.1 Lead bearing residues 9.2 Lead ash or particulate from flue gas 9.3 Acid from used batteries
10.	Production and/or industrial use of cadmium and arsenic and their compounds	10.1 Residues containing cadmium and arsenic
11.	Production of primary and secondary aluminum	11.1 Sludges from off-gas treatment 11.2 Cathode residues including pot lining wastes 11.3 Tar containing wastes 11.4 Flue gas dust and other particulates 11.5 Drosses and waste from treatment of salt sludge 11.6 Used anode butts 11.7 Vanadium sludge from alumina refineries
12.	Metal surface treatment, such as etching, staining, polishing, galvanizing, cleaning, degreasing, plating, etc.	12.1 Acidic and alkaline residues 12.2 Spent acid and alkali 12.3 Spent bath and sludge containing sulphide, cyanide and toxic metals 12.4 Sludge from bath containing organic solvents 12.5 Phosphate sludge 12.6 Sludge from staining bath 12.7 Copper etching residues 12.8 Plating metal sludge
13.	Production of iron and steel including other ferrous alloys (electric furnace; steel rolling and finishing mills; Coke oven and by products plant)	13.1 Spent pickling liquor 13.2 Sludge from acid recovery unit 13.3 Benzol acid sludge 13.4 Decanter tank tar sludge 13.5 Tar storage tank residue 13.6 Residues from coke oven by product plant.
14.	Hardening of steel	14.1 Cyanide-, nitrate-, or nitrite -containing sludge 14.2 Spent hardening salt
15.	Production of asbestos or asbestos-containing materials	15.1 Asbestos-containing residues 15.2 Discarded asbestos 15.3 Dust or particulates from exhaust gas treatment.
16.	Production of caustic soda and chlorine	16.1 Mercury bearing sludge generated from mercury cell process 16.2 Residue or sludges and filter cakes 16.3 Brine sludge
17.	Production of mineral acids	17.1 Process acidic residue, filter cake, dust 17.2 Spent catalyst
18.	Production of nitrogenous and complex fertilizers	18.1 Spent catalyst 18.2 Carbon residue

		18.3 Sludge or residue containing arsenic 18.4 Chromium sludge from water cooling tower
19.	Production of phenol	19.1 Residue or sludge containing phenol 19.2 Spent catalyst
20.	Production and/or industrial use of solvents	20.1 Contaminated aromatic, aliphatic or naphthenic solvents may or may not be fit for reuse. 20.2 Spent solvents 20.3 Distillation residues 20.4 Process Sludge
21.	Production and/or industrial use of paints, pigments, lacquers, varnishes and inks	21.1 Process wastes, residues and sludges 21.2 Spent solvent
22.	Production of plastics	22.1 Spent catalysts 22.2 Process residues
23.	Production and /or industrial use of glues, organic cements, adhesive and resins	23.1 Wastes or residues (not made with vegetable or animal materials) 23.2 Spent solvents
24.	Production of canvas and textiles	24.1 Chemical residues
25.	Industrial production and formulation of wood preservatives	25.1 Chemical residues 25.2 Residues from wood alkali bath
26.	Production or industrial use of synthetic dyes, dye-intermediates and pigments	26.1 Process waste sludge/residues containing acid, toxic metals, organic compounds 26.2 Dust from air filtration system 26.3 Spent acid 26.4 Spent solvent 26.5 Spent catalyst
27.	Production of organic-silicone compound	27.1 Process residues
28.	Production/formulation of drugs/pharmaceutical and health care product	28.1 Process Residue and wastes 28.2 Spent catalyst 28.3 Spent carbon 28.4 Off specification products 28.5 Date-expired products 28.6 Spent solvents
29.	Production, and formulation of pesticides including stock-piles	29.1 Process wastes or residues 29.2 Sludge containing residual pesticides 29.3 Date-expired and off-specification pesticides 29.4 Spent solvents 29.5 Spent catalysts 29.6 Spent acids
30.	Leather tanneries	30.1 Chromium bearing residue and sludge
31.	Electronic Industry	31.1 Process residue and wastes 31.2 Spent etching chemicals and solvents
32.	Pulp and Paper Industry	32.1 Spent chemicals 32.2 Corrosive wastes arising from use of strong acid and bases 32.3 Process sludge containing adsorbable organic halides(AO _x)
33.	Handling of hazardous chemicals and wastes	33.1 Empty barrels/containers/liners contaminated with hazardous chemicals /wastes 33.2 Contaminated cotton rags or other cleaning materials
34.	De-contamination of barrels / containers used for handling of hazardous wastes/chemicals	34.1 Chemical-containing residue arising from decontamination. 34.2 Sludge from treatment of waste water arising out of cleaning / disposal of barrels / containers
35.	Purification and treatment of exhaust air/gases, water and waste water from the processes in this schedule and common industrial effluent treatment plants (CETP's)	35.1 Exhaust Air or Gas cleaning residue 35.2 Spent ion exchange resin containing toxic metals 35.3 Chemical sludge from waste water treatment 35.4 Oil and grease skimming 35.5 Chromium sludge from cooling water
36.	Purification process for organic compounds/solvents	36.1 Any process or distillation residue 36.2 Spent carbon or filter medium

37.	Hazardous waste treatment processes, e.g. pre-processing, incineration and concentration	37.1	Sludge from wet scrubbers
		37.2	Ash from incinerator and flue gas cleaning residue
		37.3	Concentration or evaporation residues
38.	Chemical processing of Ores containing heavy metals such as Chromium, Manganese, Nickel, Cadmium etc.	38.1	Process residues
		38.2	Spent acid

*** The inclusion of wastes contained in this Schedule does not preclude the use of Schedule II to demonstrate that the waste is not hazardous. In case of dispute, the matter would be referred to the Technical Review Committee constituted by Ministry of Environment, Forest and Climate Change.**

Note: The high volume low effect wastes such as fly ash, Phosphogypsum, red mud, jarosite, Slags from pyrometallurgical operations, mine tailings and ore beneficiation rejects are excluded from the category of hazardous wastes. Separate guidelines on the management of these wastes shall be issued by Central Pollution Control Board.

SCHEDULE II

[See rule 3 (1) (17) (ii)]

List of waste constituents with concentration limits

Class A: Based on leachable concentration limits [Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) or Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)]

Class	Constituents	Concentration in mg/l
(1)	(2)	(3)
A1	Arsenic	5.0
A2	Barium	100.0
A3	Cadmium	1.0
A4	Chromium and/or Chromium (III) compounds	5.0
A5	Lead	5.0
A6	Manganese	10.0
A7	Mercury	0.2
A8	Selenium	1.0
A9	Silver	5.0
A10	Ammonia	50*
A11	Cyanide	20*
A12	Nitrate (as nitrate-nitrogen)	1000.0
A13	Sulphide (as H ₂ S)	5.0
A14	1,1-Dichloroethylene	0.7
A15	1,2-Dichloroethane	0.5
A16	1,4-Dichlorobenzene	7.5
A17	2,4,5-Trichlorophenol	400.0
A18	2,4,6-Trichlorophenol	2.0
A19	2,4-Dinitrotoluene	0.13
A20	Benzene	0.5
A21	Benzo (a) Pyrene	0.001
A22	Bromodichloromethane	6.0
A23	Bromoform	10.0
A24	Carbon tetrachloride	0.5
A25	Chlorobenzene	100.0
A26	Chloroform	6.0
A27	Cresol (ortho+ meta+ para)	200.0
A28	Dibromochloromethane	10.0
A29	Hexachlorobenzene	0.13
A30	Hexachlorobutadiene	0.5
A31	Hexachloroethane	3.0
A32	Methyl ethyl ketone	200.0

A33	Naphthalene	5.0
A34	Nitrobenzene	2.0
A35	Pentachlorophenol	100.0
A36	Pyridine	5.0
A37	Tetrachloroethylene	0.7
A38	Trichloroethylene	0.5
A39	Vinyl chloride	0.2
A40	2,4,5-TP (Silvex)	1.0
A41	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid	10.0
A42	Alachlor	2.0
A43	Alpha HCH	0.001
A44	Atrazine	0.2
A45	Beta HCH	0.004
A46	Butachlor	12.5
A47	Chlordane	0.03
A48	Chlorpyrifos	9.0
A49	Delta HCH	0.004
A50	Endosulfan (alpha+ beta+ sulphate)	0.04
A51	Endrin	0.02
A52	Ethion	0.3
A53	Heptachlor (& its Epoxide)	0.008
A54	Isoproturon	0.9
A55	Lindane	0.4
A56	Malathion	19
A57	Methoxychlor	10
A58	Methyl parathion	0.7
A59	Monocrotophos	0.1
A60	Phorate	0.2
A61	Toxaphene	0.5
A62	Antimony	15
A63	Beryllium	0.75
A64	Chromium (VI)	5.0
A65	Cobalt	80.0
A66	Copper	25.0
A67	Molybdenum	350
A68	Nickel	20.0
A69	Thallium	7.0
A70	Vanadium	24.0
A71	Zinc	250
A72	Fluoride	180.0
A73	Aldrin	0.14
A74	Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), Dichlorodiphenyldichloroethane (DDD)	0.1
A75	Dieldrin	0.8
A76	Kepone	2.1
A77	Mirex	2.1
A78	Polychlorinated biphenyls	5.0
A79	Dioxin (2,3,7,8-TCDD)	0.001

Class B: Based on Total Threshold Limit Concentration (TTLC)

Class	Constituent	Concentration in mg/kg
(1)	(2)	(3)
B1	Asbestos	10000
B2	Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) (C5 - C36)	5,000

Note:

- (1) The testing method for list of constituents at A1 to A61 in Class-A, shall be based on Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) and for extraction of leachable constituents, USEPA Test Method 1311 shall be used.
- (2) The testing method for list of constituents at A62 to A79 in Class- A, shall be based on Soluble Threshold Limit Concentration (STLC) and Waste Extraction Test (WET) Procedure given in Appendix II of section 66261 of Title 22 of California Code regulation (CCR) shall be used.
- (3) In case of ammonia (A10), cyanide (A11) and chromium VI (A64), extractions shall be conducted using distilled water in place of the leaching media specified in the TCLP/STLC procedures.
- (4) A summary of above specified leaching/extraction procedures is included in manual for characterization and analysis of hazardous waste published by Central Pollution Control Board and in case the method is not covered in the said manual, suitable reference method may be adopted for the measurement.
- (5) In case of asbestos, the specified concentration limits apply only if the substances are in a friable, powdered or finely divided state.
- (6) The hazardous constituents to be analyzed in the waste shall be relevant to the nature of the industry and the materials used in the process.

Wastes which contain any of the constituents listed below shall be considered as hazardous, provided they exhibit the characteristics listed in Class-C of this Schedule :

1.	Acid Amides
2.	Acid anhydrides
3.	Amines
4.	Anthracene
5.	Aromatic compounds other than those listed in Class A
6.	Bromates, (hypo-bromites)
7.	Chlorates (hypo-chlorites)
8.	Carbonyls
9.	Ferro-silicate and alloys
10.	Halogen- containing compounds which produce acidic vapours on contact with humid air or water e.g. silicon tetrachloride, aluminum chloride, titanium tetrachloride
11.	Halogen- silanes
12.	Halogenated Aliphatic Compounds
13.	Hydrazine (s)
14.	Hydrides
15.	Inorganic Acids
16.	Inorganic Peroxides
17.	Inorganic Tin Compounds
18.	Iodates
19.	(Iso- and thio-) Cyanates
20.	Manganese-silicate
21.	Mercaptans
22.	Metal Carbonyls
23.	Metal hydrogen sulphates
24.	Nitrides
25.	Nitriles
26.	Organic azo and azoxy Compounds
27.	Organic Peroxides
28.	Organic Oxygen Compounds
29.	Organic Sulphur Compounds
30.	Organo- Tin Compounds
31.	Organo nitro- and nitroso compounds

32.	Oxides and hydroxides except those of hydrogen, carbon, silicon, iron, aluminum, titanium, manganese, magnesium, calcium
33.	Phenanthrene
34.	Phenolic Compounds
35.	Phosphate compounds except phosphates of aluminum, calcium and iron
36.	Salts of pre-acids
37.	Total Sulphur
38.	Tungsten Compounds
39.	Tellurium and tellurium compounds
40.	White and Red Phosphorus
41.	2-Acetylaminofluorene
42.	4-Aminodiphenyl
43.	Benzidine and its salts
44.	Bis (Chloromethyl) ether
45.	Methyl chloromethyl ether
46.	1,2-Dibromo-3-chloropropane
47.	3,3'-Dichlorobenzidine and its salts
48.	4-Dimethylaminoazobenzene
49.	4-Nitrobiphenyl
50.	Beta-Propiolactone

CLASS C : Based on hazardous Characteristics

Apart from the concentration limit given above, the substances or wastes shall be classified as hazardous waste if it exhibits any of the following characteristics due to the presence of any hazardous constituents:

Class C1: Flammable- A waste exhibits the characteristic of flammability or ignitability if a representative sample of the waste has any of the following properties, namely:-

- (i) flammable liquids, or mixture of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension (for example, paints, varnishes, lacquers, etc; but not including substances or wastes otherwise classified on account of their dangerous characteristics), which give off a flammable vapour at temperature less than 60°C. This flash point shall be measured as per ASTM D 93-79 closed-cup test method or as determined by an equivalent test method published by Central Pollution Control Board;
- (ii) it is not a liquid and is capable, under standard temperature and pressure, of causing fire through friction, absorption of moisture or spontaneous chemical changes and, when ignited, burns vigorously and persistently creating a hazard;
- (iii) it is an ignitable compressed gas;
- (iv) It is an oxidizer and for the purposes of characterisation is a substance such as a chlorate, permanganate, inorganic peroxide, or a nitrate, that yields oxygen readily to stimulate the combustion of organic matter.

Class C2: Corrosive- A waste exhibits the characteristic of corrosivity if a representative sample of the waste has either of the following properties, namely:-

- (i) it is aqueous and has a pH less than or equal to 2 or greater than or equal to 12.5;
- (ii) it is a liquid and corrodes steel (SAE 1020) at a rate greater than 6.35 mm per year at a test temperature of 55 °C;
- (iii) it is not aqueous and, when mixed with an equivalent weight of water, produces a solution having a pH less than or equal to 2 or greater than or equal to 12.5;
- (iv) it is not a liquid and, when mixed with an equivalent weight of water, produces a liquid that corrodes steel (SAE1020) at a rate greater than 6.35 mm per year at a test temperature of 55 °C.

Note:

For the purpose of determining the corrosivity, the Bureau of Indian Standard 9040 C method for pH determination, NACE TM 01 69 : Laboratory Corrosion Testing of Metals and EPA 1110A method for corrosivity towards steel (SAE1020) to establish the corrosivity characteristics shall be adopted.

Class C3: Reactive or explosive- A waste exhibits the characteristic of reactivity if a representative sample of the waste it has any of the following properties, namely:-

- (i) it is normally unstable and readily undergoes violent change without detonating;
- (ii) it reacts violently with water or forms potentially explosive mixtures with water;
- (iii) when mixed with water, it generates toxic gases, vapours or fumes in a quantity sufficient to present a danger to human health or the environment;
- (iv) it is a cyanide or sulphide bearing waste which, when exposed to pH conditions between 2 and 12.5, can generate toxic gases, vapours or fumes in a quantity sufficient to present a danger to human health or the environment;
- (v) it is capable of detonation or explosive reaction if it is subjected to a strong initiating source or if heated under confinement;
- (vi) it is readily capable of detonation or explosive decomposition or reaction at standard temperature and pressure;
- (vii) it is a forbidden explosive.

Class C4: Toxic- A waste exhibits the characteristic of toxicity, if, :-

- (i) the concentration of the waste constituents listed in Class A and B (of this schedule) are equal to or more than the permissible limits prescribed therein;
- (ii) it has an acute oral LD50 less than 2,500 milligrams per kilogram;
- (iii) it has an acute dermal LD50 less than 4,300 milligrams per kilogram;
- (iv) it has an acute inhalation LC50 less than 10,000 parts per million as a gas or vapour;
- (v) it has acute aquatic toxicity with 50% mortality within 96 hours for zebra fish (*Brachidanio rerio*) at a concentration of 500 milligrams per litre in dilution water and test conditions as specified in BIS test method 6582 – 2001.
- (vi) it has been shown through experience or by any standard reference test- method to pose a hazard to human health or environment because of its carcinogenicity, mutagenicity, endocrine disruptivity, acute toxicity, chronic toxicity, bio-accumulative properties or persistence in the environment.

Class C5: Substances or Wastes liable to spontaneous combustion - Substances or Wastes which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or to heating up on contact with air, and being then liable to catch fire.

Class C6: Substances or Wastes which, in contact with water emit flammable gases- Substances or Wastes which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.

Class C7: Oxidizing - Substances or Wastes which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen cause, or contribute to, the combustion of other materials.

Class C8: Organic Peroxides - Organic substances or Wastes which contain the bivalent O–O structure, which may undergo exothermic self-accelerating decomposition.

Class C9: Poisons (acute) - Substances or Wastes liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled or by skin contact.

Class C10: Infectious substances - Substances or Wastes containing viable micro-organisms or their toxins which are known or suspected to cause disease in animals or humans.

Class C11: Liberation of toxic gases in contact with air or water - Substances or Wastes which, by interaction with air or water, are liable to give off toxic gases in dangerous quantities.

Class C12: Eco-toxic- Substances or Wastes which if released, present or may present immediate or delayed adverse impacts to the environment by means of bioaccumulation or toxic effects upon biotic systems or both.

Class C13: Capable, by any means, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.

SCHEDULE III*[See rules 3 (1) (17) (iii), 3 (23), 12, 13 and 14]***Part A****List of hazardous wastes applicable for import and export with Prior Informed Consent [Annexure VIII of the Basel Convention*]**

Basel No.	Description of Hazardous Wastes
(1)	(2)
A1	Metal and Metal bearing wastes
A1010	Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the following but excluding such wastes specifically listed in Part B and Part D
	- Antimony
	- Cadmium
	- Lead
	- Tellurium
A1020	Waste having as constituents or contaminants, excluding metal wastes in massive form, any of the following:
	- Antimony, antimony compounds
	- Cadmium, cadmium compounds
	- Lead, lead compounds
	- Tellurium, tellurium compounds
A1040	Waste having metal carbonyls as constituents
A1050	Galvanic sludges
A1070	Leaching residues from zinc processing, dust and sludges such as jarosite, hematite, etc.
A1080	Waste zinc residues not included in Part B, containing lead and cadmium in concentrations sufficient to exhibit hazard characteristics indicated in Part C
A1090	Ashes from the incineration of insulated copper wire
A1100	Dusts and residues from gas cleaning systems of copper smelters
A1120	Waste sludges, excluding anode slimes, from electrolyte purification systems in copper electrorefining and electrowinning operations
A1140	Waste cupric chloride and copper cyanide catalysts not in liquid form note the related entry in Schedule VI
A1150	Precious metal ash from incineration of printed circuit boards not included in Part B
A1160	Waste lead acid batteries, whole or crushed
A1170	Unsorted waste batteries excluding mixtures of only Part B batteries. Waste batteries not specified in Part B containing constituents mentioned in Schedule II to an extent to render them hazardous
A2	Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials
A2010	Glass waste from cathode-ray tubes and other activated glasses
A2030	Waste catalysts but excluding such wastes specified in Part B
A3	Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials
A3010	Waste from the production or processing of petroleum coke and bitumen
A3020	Waste mineral oils unfit for their originally intended use
A3050	Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues or adhesives excluding such wastes specified in Part B (B4020)
A3120	Fluff-light fraction from shredding
A3130	Waste organic phosphorus compounds
A4	Wastes which may contain either inorganic or organic constituents
A4010	Wastes from the production, preparation and use of pharmaceutical products but excluding such waste specified in Part B
A4040	Wastes from the manufacture, formulation and use of wood-preserving chemicals (does not include wood treated with wood preserving chemicals)
A4070	Waste from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnish excluding those specified in Part B (B4010)
A4100	Wastes from industrial pollution control devices for cleaning of industrial off-gases but excluding such wastes specified in Part B
A4120	Wastes that contain, consist of or are contaminated with peroxides.
A4130	Wastes packages and containers containing Schedule II constituents in concentration sufficient to exhibit Part C of Schedule III hazard characteristics.

A4140	Waste consisting of or containing off specification or outdated chemicals (unused within the period recommended by the manufacturer) corresponding to constituents mentioned in Schedule II and exhibiting Part C of Schedule III hazard characteristics.
A4160	Spent activated carbon not included in Part B, B2060

*This List is based on Annexure VIII of the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes and comprises of wastes characterized as hazardous under Article I, paragraph 1(a) of the Convention. Inclusion of wastes on this list does not preclude the use of hazard.

Characteristics given in Annexure VIII of the Basel Convention (Part C of this Schedule) to demonstrate that the wastes are not hazardous. **Hazardous wastes in Part-A are restricted and cannot be allowed to be imported without permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Directorate General of Foreign Trade license, if applicable.**

Part B

List of other wastes applicable for import and export and not requiring Prior Informed Consent [Annex IX of the Basel Convention*]

Basel No.	Description of wastes
(1)	(2)
B1	Metal and metal-bearing wastes
B1010	Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form: <ul style="list-style-type: none"> - Thorium scrap - Rare earths scrap
B1020	Clean, uncontaminated metal scrap, including alloys, in bulk finished form (sheet, plates, beams, rods, etc.), of: <ul style="list-style-type: none"> - Antimony scrap - Beryllium scrap - Cadmium scrap - - - Lead scrap (excluding lead acid batteries) - Selenium scrap - Tellurium scrap
B1030	Refractory metals containing residues
B1031	Molybdenum, tungsten, titanium, tantalum, niobium and rhenium metal and metal alloy wastes in metallic dispersible form (metal powder), excluding such wastes as specified in Part A under entry A1050, Galvanic sludges
B1040	Scrap assemblies from electrical power generation not contaminated with lubricating oil, PCB or PCT to an extent to render them hazardous
B1050	Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, containing cadmium, antimony, lead & tellurium mentioned in Schedule II in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics
B1060	Waste selenium and tellurium in metallic elemental form including powder
B1070	Waste of copper and copper alloys in dispersible form, unless they contain any of the constituents mentioned in Schedule II to an extent that they exhibit Part C characteristics
B1080	Zinc ash and residues including zinc alloys residues in dispersible form unless they contain any of the constituents mentioned in Schedule II in concentration such as to exhibit Part C characteristics
B1090	Waste batteries conforming to a standard battery specification, excluding those made with lead, cadmium or mercury
B1100	Metal bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals: <ul style="list-style-type: none"> - Slags from copper processing for further processing or refining containing arsenic, lead or cadmium - Slags from precious metals processing for further refining - Wastes of refractory linings, including crucibles, originating from copper smelting - Tantalum-bearing tin slags with less than 0.5% tin
B1110	Used Electrical and electronic assemblies other than those listed in Part D of Schedule III <ul style="list-style-type: none"> Electronic assemblies consisting only of metals or alloys Waste electrical and electronic assemblies or scrap (including printed circuit boards) not containing components such as accumulators and other batteries included in Part A of Schedule III, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or not

	contaminated with Schedule II constituents such as cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) or from which these have been removed, to an extent that they do not possess any of the characteristics contained in Part C of Schedule III (note the related entry in Schedule VI, A1180)
B1120	Spent catalysts excluding liquids used as catalysts, containing any of: Transition metals, excluding waste catalysts (spent catalysts, liquid used catalysts or other catalysts) in Part A and Schedule VI: <ul style="list-style-type: none"> - Scandium - Titanium - Vanadium - Chromium - Manganese - Iron - Cobalt - Nickel - Copper - Zinc - Yttrium - Zirconium - Niobium - Molybdenum - Hafnium - Tantalum - Tungsten - Rhenium Lanthanides (rare earth metals): <ul style="list-style-type: none"> - Lanthanum - Cerium - Praseodymium - Neodymium - Samarium - Europium - Gadolinium - Terbium - Dysprosium - Holmium - Erbium - Thulium - Ytterbium - Lutetium
B1130	Cleaned spent precious metal bearing catalysts
B1140	Precious metal bearing residues in solid form which contain traces of inorganic cyanides
B1150	Precious metals and alloy wastes (gold , silver, the platinum group but not mercury) in a dispersible form, non-liquid form with appropriate packaging and labelling
B1160	Precious metal ash from the incineration of printed circuit boards (note the related entry in Part A A1150)
B1170	Precious metal ash from the incineration of photographic film
B1180	Waste photographic film containing silver halides and metallic silver
B1190	Waste photographic paper containing silver halides and metallic silver
B1200	Granulated slag arising from the manufacture of iron and steel
B1210	Slag arising from the manufacture of iron and steel including slags as a source of Titanium dioxide and Vanadium
B1220	Slag from zinc production, chemically stabilised, having a high iron content (above 20%) and processed according to industrial specifications mainly for construction
B1230	Mill scale arising from the manufacture of iron and steel
B1240	Copper Oxide mill-scale
B2	Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials
B2010	Wastes from mining operations in non-dispersible form: <ul style="list-style-type: none"> - Natural graphite waste - Slate wastes - Mica wastes - Leucite, nepheline and nepheline syenite waste - Feldspar waste - Fluorspar waste - Silica wastes in solid form excluding those used in foundry operations
B2020	Glass wastes in non-dispersible form: <ul style="list-style-type: none"> - Cullet and other waste and scrap of glass except for glass from cathode-ray tubes and other activated glasses
B2030	Ceramic wastes in non-dispersible form: <ul style="list-style-type: none"> - Cermet wastes and scrap (metal ceramic composites) - Ceramic based fibres
B2040	Other wastes containing principally inorganic constituents: <ul style="list-style-type: none"> - Partially refined calcium sulphate produced from flue gas desulphurization (FGD) - Waste gypsum wallboard or plasterboard arising from the demolition of buildings - Slag from copper production, chemically stabilized, having a high iron content (above

	<p>20%) and processed according to industrial specifications mainly for construction and abrasive applications</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulphur in solid form - Limestone from production of calcium cyanamide (pH<9) - Sodium, potassium, calcium chlorides - Carborundum (silicon carbide) - Broken concrete - Lithium-tantalum and lithium-niobium containing glass scraps
B2060	Spent activated carbon not containing any of Schedule II constituents to the extent they exhibit Part C characteristics, for example, carbon resulting from the treatment of potable water and processes of the food industry and vitamin production (note the related entry in Part A A4160)
B2070	Calcium fluoride sludge
B2080	Waste gypsum arising from chemical industry processes not included in Schedule VI (note the related entry in A2040)
B2090	Waste anode butts from steel or aluminium production made of petroleum coke or bitumen and cleaned to normal industry specifications (excluding anode butts from chlor alkali electrolyses and from metallurgical industry)
B2100	Waste hydrates of aluminium and waste alumina and residues from alumina production, excluding such materials used for gas cleaning, flocculation or filtration processes
B2130	Bituminous material (asphalt waste) from road construction and maintenance, not containing tar (note the related entry in Schedule VI, A3200)
B3	Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials
B3027	Self-adhesive label laminate waste containing raw materials used in label material production
B3030	<p>Textile wastes</p> <p>The following materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) <ul style="list-style-type: none"> • not carded or combed • other - Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock <ul style="list-style-type: none"> • noils of wool or of fine animal hair • other waste of wool or of fine animal hair • waste of coarse animal hair - Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock) <ul style="list-style-type: none"> • yarn waste (including thread waste) • garnetted stock • other - Flax tow and waste - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of true hemp (<i>Cannabis sativa</i> L.) - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie) - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of sisal and other textile fibres of the genus <i>Agave</i> - Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of coconut - Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of abaca (<i>Manila hemp</i> or <i>Musa textilis</i> Nee) - Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included - Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres <ul style="list-style-type: none"> • of synthetic fibres • of artificial fibres - Worn clothing and other worn textile articles - Used rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables of textile materials <ul style="list-style-type: none"> • sorted • other
B3035	Waste textile floor coverings, carpets
B3040	Rubber Wastes

	The following materials, provided they are not mixed with other wastes: <ul style="list-style-type: none"> - Waste and scrap of hard rubber (e.g., ebonite) - Other rubber wastes (excluding such wastes specified elsewhere)
B3050	Untreated cork and wood waste: <ul style="list-style-type: none"> - Wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms - Cork waste: crushed, granulated or ground cork
B3060	Wastes arising from agro-food industries provided it is not infectious: <ul style="list-style-type: none"> - Wine lees - Dried and sterilized vegetable waste, residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included - Degras: residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes - Waste of bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised - Fish waste - Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste - Other wastes from the agro-food industry excluding by-products which meet national and international requirements and standards for human or animal consumption
B3070	The following wastes: <ul style="list-style-type: none"> - Waste of human hair - Waste straw - Deactivated fungus mycelium from penicillin production to be used as animal feed
B3080	Waste parings and scrap of rubber
B3090	Paring and other wastes of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles, excluding leather sludges, not containing hexavalent chromium compounds and biocides (note the related entry in Schedule VI, A3100)
B3100	Leather dust, ash, sludges or flours not containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry in Schedule VI, A3090)
B3110	Fellmongery wastes not containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances (note the related entry in Schedule VI, A3110)
B3120	Wastes consisting of food dyes
B3130	Waste polymer ethers and waste non-hazardous monomer ethers incapable of forming peroxides
B3140	Waste pneumatic and other tyres, excluding those which do not lead to resource recovery, recycling, reclamation but not for direct reuse
B4	Wastes which may contain either inorganic or organic constituents
B4010	Wastes consisting mainly of water-based or latex paints, inks and hardened varnishes not containing organic solvents, heavy metals or biocides to an extent to render them hazardous (note the related entry in Part A, A4070)
B4020	Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues or adhesives, not listed in Part A, free of solvents and other contaminants to an extent that they do not exhibit Part C characteristics (note the related entry in Part A, A3050)
B4030	Used single-use cameras, with batteries not included in Part A

* This list is based on Annexure IX of the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes and comprises of wastes not characterized as hazardous under Article-I of the Basel Convention. **The wastes in Part- B are restricted and cannot be allowed to be imported without permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Directorate General of Foreign Trade license, if applicable.**

Note:

(1) **Copper dross containing copper greater than 65% and lead and Cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively; spent cleaned metal catalyst containing copper; and copper reverts, cake and residues containing lead and cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively are allowed for import without Director General of Foreign Trade license to units (actual users) authorised by State Pollution Control Board and with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change's permission. Copper reverts, cake and residues containing lead and cadmium greater than 1.25% and 0.1% respectively are under restricted category for which import is permitted only against Director General of Foreign Trade license for the purpose of processing or reuse by units permitted with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (actual users).**

- (2) Zinc ash or skimmings in dispersible form containing zinc more than 65% and lead and cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively and spent cleaned metal catalyst containing zinc are allowed for import without Director General of Foreign Trade license to units authorised by State Pollution control Board, Ministry of Environment, Forest and Climate Change's permission (actual users) upto an annual quantity limit indicated in registration letter. Zinc ash and skimmings containing less than 65% zinc and lead and cadmium equal to or more than 1.25% and 0.1% respectively and hard zinc spelter and brass dross containing lead greater than 1.25% are under restricted category for which import is permitted against Director General of Foreign Trade license and only for purpose of processing or reuse by units registered with the Ministry of Environment Forest and Climate Change (actual users).

Part C

List of Hazardous Characteristics

<u>Code</u>	<u>Characteristic</u>
H 1	Explosive An explosive substance or waste is a solid or liquid substance or waste (or mixture of substances or wastes) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surrounding.
H 3	Flammable liquids The word "flammable" has the same meaning as "inflammable". Flammable liquids are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension (for example, paints, varnishes, lacquers, etc. but not including substances or wastes otherwise classified on account of their dangerous characteristics) which give off a flammable vapour at temperatures of not more than 60.5°C, closed-cup test, or not more than 65.6°C, open-cup test. (Since the results of open-cups tests and of closed-cup tests are not strictly comparable and even individual results by the same test are often variable, regulations varying from the above figures to make allowance for such differences would be within the spirit of this definition).
H 4.1	Flammable solids Solids, or waste solids, other than those classed as explosives, which under conditions encountered in transport are readily combustible, or may cause or contribute to fire through friction.
H 4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion Substances or wastes which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or to heating up on contact with air, and being then liable to catch fire.
H 4.3	Substances or wastes which, in contact with water emit flammable gases Substances or wastes which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.
H 5.1	Oxidizing Substances or wastes which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen cause, or contribute to, the combustion of other materials.
H 5.2	Organic Peroxides Organic substances or wastes which contain the bivalent-o-o-structure are thermally unstable substances which may undergo exothermic self-accelerating decomposition.
H 6.1	Poisons (acute) Substances or wastes liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled or by skin contact.
H 6.2	Infectious substances Substances or wastes containing viable micro-organisms or their toxins which are known or suspected to cause disease in animals or humans.
H 8	Corrosives Substances or wastes which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue, or, in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport; they may also cause other hazards.
H 10	Liberation of toxic gases in contact with air or water Substances or wastes which, by interaction with air or water, are liable to give off toxic gases in dangerous quantities.
H 11	Toxic (delayed or chronic) Substances or wastes which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may involve delayed or chronic effects, including carcinogenicity).
H 12	Eco-toxic Substances or wastes which if released, present or may present immediate or delayed adverse impacts to the environment by means of bioaccumulation or toxic effects upon biotic systems or both.

H 13 **Capable**, by any means, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.

Part D

List of other wastes applicable for import and export without permission from Ministry of Environment, Forest and Climate Change [Annex IX of the Basel Convention*]

Basel No. (1)	Description of wastes (2)
B1	Metal and metal-bearing wastes
B1010	Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form : <ul style="list-style-type: none"> - Precious metals (gold, silver, platinum but not mercury) * * - Iron and steel scrap * * - Nickel scrap * * - Aluminium scrap* * - Zinc scrap * * - Tin scrap * * - Tungsten scrap * * - Molybdenum scrap * * - Tantalum scrap * * - Cobalt scrap * * - Bismuth scrap * * - Titanium scrap * * - Zirconium scrap * * - Manganese scrap * * - Germanium scrap * * - Vanadium scrap * * - Hafnium scrap * * - Indium scrap * * - Niobium scrap * * - Rhenium scrap * * - Gallium scrap * * - Magnesium scrap * * - Copper scrap * * - Chromium scrap * *
B1050	Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, containing metals other than specified in Part B1050 and not containing constituents mentioned in Schedule II in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics* *
B1100	Metal bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals: <ul style="list-style-type: none"> - Hard Zinc spelter * * - Zinc-containing drosses * *: <ul style="list-style-type: none"> ~ Galvanizing slab zinc top dross (>90% Zn) ~ Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn) ~ Zinc die casting dross (>85% Zn) ~ Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch) (>92% Zn) ~ Zinc skimmings - Aluminium skimmings (or skims) excluding salt slag
B1110	Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse and not for recycling or final disposal <ul style="list-style-type: none"> - Used electrical and electronic assemblies imported for repair and to be re-exported back after repair within one year of import * * * - Used electrical and electronic assemblies imported for rental purpose and re-exported back within one year of import * * * - Used electrical and electronic assemblies exported for repair and to be re-import after repair - Used electrical and electronic assemblies imported for testing, research and development, project work purposes and to be re-exported back within a period of three years from the date of import * * *

	<ul style="list-style-type: none"> - Spares imported for warranty replacements provided equal number of defective or non-functional parts are exported back within one year of the import * * * - Used electrical and electronic assemblies imported by Ministry of Defence, Department of Space and Department of Atomic Energy * * * - Used electrical and electronic assemblies (not in bulk; quantity less than or equal to three) imported by the individuals for their personal uses - Used Laptop, Personal Computers, Mobile, Tablet up to 01 number each imported by organisations in a year - Used electrical and electronic assemblies owned by individuals and imported on transfer of residence - Used multifunction print and copying machines (MFDs)* * * * - Used electrical and electronic assemblies imported by airlines for aircraft maintenance and remaining either on board or under the custodianship of the respective airlines warehouses located on the airside of the custom bonded areas.
B3	Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials
B3020	<p>Paper, paperboard and paper product wastes * *</p> <p>The following materials, provided they are not mixed with hazardous wastes: Waste and scrap of paper or paperboard of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unbleached paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard - other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass - paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example newspapers, journals and similar printed matter) - other, including but not limited to <ul style="list-style-type: none"> (1) laminated paperboard (2) unsorted scrap
B3140	Aircraft Tyres exported to Original Equipment Manufacturers for re-treading and re-imported after re-treading by airlines for aircraft maintenance and remaining either on board or under the custodianship of the respective airlines warehouses located on the airside of the custom bonded areas

Note:

* This list is based on Annexure IX of the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes and comprises of wastes not characterized as hazardous under Article-I of the Basel Convention.

* * Import permitted in the country to the actual user or to the trader on behalf of the actual users authorised by SPCB on one time basis and subject to verification of documents specified in Schedule VIII of these rules by the Custom Authority.

* * * Import permitted in the country only to the actual users from Original Equipment Manufacturers (OEM) and subject to verification of documents specified in Schedule VIII of these rules by the Custom Authority.

* * * * Import permitted in the country to the actual users or trader on behalf of the actual user in accordance with the documents required and verified by the Custom Authority as specified under Schedule VIII of these rules. The policy for free trade for multifunction print and copying machine to be reviewed once the MFDs are domestically manufactured.

All other wastes listed in Part D of Schedule III having no “Stars” are permitted without any documents from MoEF&CC subject to compliance of the conditions of the Customs Authority, if any.

SCHEDULE IV

[See rules 6 (1) (ii) and 6 (2)]

List of commonly recyclable hazardous wastes

S.No.	Wastes
(1)	(2)
1.	Brass Dross
2.	Copper Dross
3.	Copper Oxide mill scale
4.	Copper reverts, cake and residue
5.	Waste Copper and copper alloys in dispersible form
6.	Slags from copper processing for further processing or refining
7.	Insulated Copper Wire Scrap or copper with PVC sheathing including ISRI-code material namely "Druid"
8.	Jelly filled Copper cables
9.	Spent cleared metal catalyst containing copper
10.	Spent catalyst containing nickel, cadmium, Zinc, copper, arsenic, vanadium and cobalt
11.	Zinc Dross-Hot dip Galvanizers SLAB
12.	Zinc Dross-Bottom Dross
13.	Zinc ash/Skimmings arising from galvanizing and die casting operations
14.	Zinc ash/Skimming/other zinc bearing wastes arising from smelting and refining
15.	Zinc ash and residues including zinc alloy residues in dispersible form
16.	Spent cleared metal catalyst containing zinc
17.	Used Lead acid battery including grid plates and other lead scrap/ashes/residues not covered under Batteries (Management and Handling) Rules, 2001. [Battery scrap, namely: Lead battery plates covered by ISRI, Code word "Rails" Battery lugs covered by ISRI, Code word "Rakes". Scrap drained/dry while intact, lead batteries covered by ISRI, Code word "rains".
18.	Components of waste electrical and electronic assemblies comprising accumulators and other batteries included in Part A of Schedule III, mercury-switches, activated glass cullets from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or any other component contaminated with Schedule II constituents (e.g. cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an extent that they exhibit hazard characteristics indicated in part C of Schedule III.
19.	Paint and ink Sludge/residues
20.	Used oil and waste oil

SCHEDULE V

[See rules 3 (36) and 3 (39)]

PART A

Specifications of Used Oil Suitable for recycling

S.No.	Parameter	Maximum permissible Limits
(1)	(2)	(3)
1.	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	< 2ppm *
2.	Lead	100 ppm
3.	Arsenic	5 ppm
4.	Cadmium+Chromium+Nickel	500 ppm
5.	Polyaromatic hydrocarbons (PAH)	6%

Part B

Specification of fuel derived from waste oil

S.No.	Parameter	Maximum permissible limits
(1)	(2)	(3)
1.	Sediment	0.25%
2.	Lead	100 ppm
3.	Arsenic	5 ppm
4.	Cadmium+Chromium+Nickel	500 ppm

5.	Polyaromatic hydrocarbons (PAH)	6%
6.	Total halogens	4000 ppm
7.	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	<2 ppm *
8.	Sulfur	4.5%
9.	Water Content	1%

*The detection limit is 2 ppm by gas Liquid Chromatography (GLC) using Electron Capture detector (ECD)

SCHEDULE VI

[See rules 12 (6), 12 (7) and 14(1)]

Hazardous and Other wastes prohibited for import

Basel No. (1)	Description of hazardous and other wastes (2)
A1	Metal and Metal bearing wastes
A1010	Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the following but excluding such wastes specifically listed in Part B and Part D of Schedule III - Arsenic - Beryllium - Mercury - Selenium - Thallium
A1020	Wastes having as constituents or contaminants, excluding metal wastes in massive form, any of the following: - Beryllium; beryllium compounds - Selenium; selenium compounds
A1030	Wastes having as constituents or contaminants any of the following: - Arsenic; arsenic compounds - Mercury; mercury compounds - Thallium; thallium compounds
A1040	Waste having hexavalent chromium compounds as constituents
A1140	Waste cupric chloride and copper cyanide catalysts in liquid form (note the related entry in Part A of Schedule III)
A1060	Wastes liquors from the pickling of metals
A1110	Spent electrolytic solutions from copper electrorefining and electrowinning operations
A1130	Spent etching solutions containing dissolved copper
A1180	Waste electrical and electronic assemblies or scrap (does not include scrap assemblies from electric power generation) containing components such as accumulators and other batteries included in Part A of Schedule III, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or contaminated with Schedule II constituents (e.g. cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an extent that they exhibit hazard characteristics indicated in Part C of Schedule III (note the related entry in Part B B1110)
A1190	Waste metal cables coated or insulated with plastics containing or contaminated with coal tar, PCB, lead, cadmium, other organohalogen compounds or other constituents as mentioned in Schedule II to the extent that they exhibit hazard characteristics indicated in Part C of Schedule III
A2	Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials
A2020	Waste inorganic fluorine compounds in the form of liquids or sludges but excluding such wastes specified in Part B
A2040	Waste gypsum arising from chemical industry processes, if it contains any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent that they exhibit hazard characteristics indicated in Part C of Schedule III (note the related entry in Part B B2080)
A2050	Waste asbestos (dusts and fibres)
A2060	Coal-fired power plant fly-ash containing Schedule II constituents in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics

A3	Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials
A3030	Wastes that contain, consist of or are contaminated with leaded anti-knock compounds sludges.
A3040	Waste thermal (heat transfer) fluids
A3060	Waste nitrocellulose
A3070	Waste phenols, phenol compounds including chlorophenol in the form of liquids or sludges
A3080	Waste ethers not including those specified in Part B
A3090	Waste leather dust, ash, sludges and flours when containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry in Part B B3100)
A3100	Waste paring and other waste of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles, containing hexavalent chromium compound and biocides (note the related entry in Part B B3090)
A3110	Fellmongery wastes containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances (note the related entry in Part B B3110)
A3140	Waste non-halogenated organic solvents but excluding such wastes specified in Part B
A3150	Waste halogenated organic solvents
A3160	Waste halogenated or unhalogenated non-aqueous distillation residues arising from organic solvent recovery operations
A3170	Waste arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin)
A3180	Wastes, substances and articles containing, consisting of or contaminated with polychlorinated biphenyl (PCB), polychlorinated terphenyl (PCT), polychlorinated naphthalene (PCN) or polybrominated biphenyl (PBB) or any other polybrominated analogues of these compounds
A3190	Waste tarry residues (excluding asphalt cements) arising from refining, distillation and any pyrolytic treatment of organic materials
A3200	Bituminous material (asphalt waste) from road construction and maintenance, containing tar (note the related entry in Part B, B2130)
A4	Wastes which may contain either inorganic or organic constituents
A4020	Clinical and related wastes; that is wastes arising from medical, nursing, dental, veterinary, or similar practices, and wastes generated in hospitals or other facilities during the investigation or treatment of patients, or research projects.
A4030	Waste from the production, formulation and use of biocide and phyto-pharmaceuticals, including waste pesticides and herbicides which are off-specification, out-dated (unused within the period recommended by the manufacturer), or unfit for their originally intended use,
A4050	Wastes that contain, consist of, or are contaminated with any of the following: <ul style="list-style-type: none"> - Inorganic cyanides, excepting precious-metal-bearing residues in solid form containing traces of inorganic cyanides. - Organic cyanides
A4060	Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions
A4080	Wastes of an explosive nature (but excluding such wastes specified in Part B)
A4090	Waste acidic or basic solutions, other than those specified at B2120 of this Schedule
A4110	Wastes that contain, consist of or are contaminated with any of the following: <ul style="list-style-type: none"> - Any congener of polychlorinated dibenzo-furan. - Any congener of polychlorinated dibenzo-P-dioxin.
A4150	Waste chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and /or are new and whose effects on human health and /or the environment are not known
B1	Metal and Metal bearing wastes
B 1110	Used critical care medical equipment for re-use
B1115	Waste metal cables coated or insulated with plastics, not included in A1190 of this schedule, excluding those destined for operations which do not lead to resource recovery, recycling, reclamation, direct re-use or alternative uses or any other disposal operations involving, at any stage, uncontrolled thermal processes, such as open-burning.
B1250	Waste end-of-life motor vehicles, containing neither liquids nor other hazardous components
B2	Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials
B2050	Coal-fired power plant fly-ash, note the related entry at A2060 of this Schedule
B2110	Bauxite residue (red mud) (pH moderated to less than 11.5)
B2120	Waste acidic or basic solutions with a pH greater than 2 and less than 11.5, which are not corrosive or otherwise hazardous (note the related entry at A4090 of this schedule)
B3	Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic

materials	
B3010	<p>Solid plastic waste</p> <p>The following plastic or mixed plastic waste, prepared to a specification:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scrap plastic of non-halogenated polymers and co-polymers, including but not limited to the following: Ethylene, Styrene, Polypropylene, polyethylene terephthalate, Acrylonitrile, Butadiene, Polyacetals, Polyamides, polybutylene tere-phthalate, Polycarbonates, Polyethers, polyphenylene sulphides, acrylic polymers, alkanes C10-C13 (plasticiser), polyurethane (not containing CFC's), Polysiloxanes, polymethyl methacrylate, polyvinyl alcohol, polyvinyl butyral, Polyvinyl acetate - Cured waste resins or condensation products including the following: urea formaldehyde resins, phenol formaldehyde resins, melamine formaldehyde resins, epoxy resins, alkyd resins, polyamides - The following fluorinated polymer wastes (excluding post-consumer wastes): perfluoroethylene/ propylene, perfluoro alkoxy alkane, tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA), tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA), polyvinylfluoride , polyvinylidene fluoride
B3026	<p>The following waste from the pre-treatment of composite packaging for liquids, not containing constituents mentioned in Schedule II in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non-separable plastic fraction - Non-separable plastic-aluminium fraction -
B3065	Waste edible fats and oils of animal or vegetable origin (e.g. frying oil)
B3140	Waste pneumatic tyres for direct reuse
Y 46	Wastes collected from household/municipal waste
Y 47	Residues arising from the incineration of household wastes

SCHEDULE VII

[See rules 13 (6) and 21]

List of authorities and corresponding duties

S. No.	Authority	Corresponding Duties
(1)	(2)	(3)
1.	Ministry of Environment, Forests and Climate Change under the Environment (Protection) Act, 1986	<ul style="list-style-type: none"> (i) Identification of hazardous and other wastes (ii) Permission to exporters of hazardous and other wastes (iii) Permission to importer of hazardous and other wastes (iv) Permission for transit of hazardous and other wastes through India. (v) Promote environmentally sound management of hazardous and other waste. (vi) Sponsoring of training and awareness programme on Hazardous and Other Waste Management related activities.
2.	Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	<ul style="list-style-type: none"> (i) Co-ordination of activities of State Pollution Control Boards (ii) Conduct training courses for authorities dealing with management of hazardous and other wastes (iii) Recommend standards and specifications for treatment and disposal of wastes and leachates, recommend procedures for characterisation of hazardous wastes.

		<ul style="list-style-type: none"> (iv) Inspection of facilities handling hazardous waste as and when necessary. (v) Sector specific documentation to identify waste for inclusion in these rules. (vi) Prepare and update guidelines to prevent or minimise the generation and handling of hazardous and other wastes. (vii) Prepare and update guidelines/ Standard Operating Procedures (SoPs) for recycling, utilization, pre-processing, co-processing of hazardous and other wastes. (viii) To prepare annual review report on management of hazardous waste. (ix) Any other function assigned by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, from time to time.
3.	State Government/Union Territory Government/Administration	<ul style="list-style-type: none"> (i) Identification of site (s) for common Hazardous and Other Waste Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) (ii) Asses Environment Impact Assessment (EIA) reports and convey the decision of approval of site or otherwise Acquire the site or inform operator of facility or occupier or association of occupiers to acquire the site (iii) Notification of sites. (iv) Publish periodically an inventory of all potential or existing disposal sites in the State or Union Territory
4.	State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	<ul style="list-style-type: none"> (i) Inventorisation of hazardous and other wastes (ii) Grant and renewal of authorisation (iii) Monitoring of compliance of various provisions and conditions of permission including conditions of permission for issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for exports and imports (iv) Examining the applications for imports submitted by the importers and forwarding the same to Ministry of Environment, Forest and Climate Change (v) Implementation of programmes to prevent or reduce or minimise the generation of hazardous and other wastes. (vi) Action against violations of these rules. (vii) Any other function under these Rules assigned by Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time.
5.	Directorate General of Foreign Trade constituted under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992	<ul style="list-style-type: none"> (i) Grant of licence for import of hazardous and other wastes (ii) Refusal of licence for hazardous and other wastes prohibited for imports and export
6.	Port authority under Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and Customs Authority under the Customs Act, 1962 (52 of 1962)	<ul style="list-style-type: none"> (i) Verify the documents (ii) Inform the Ministry of Environment, Forests and Climate Change of any illegal traffic (iii) Analyse wastes permitted for imports and exports, wherever required. (iv) Train officials on the provisions of these rules and in the analysis of hazardous and other wastes (v) Take action against exporter or importer for violations under the Indian Ports Act, 1908 or Customs Act, 1962

SCHEDULE VIII

[See rules 13(2) and 13 (4)]

List of documents for verification by Customs for import of other wastes specified in Part D of Schedule III

S. No.	Basel No.	Description of other wastes	List of Documents
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B1010	Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form: <ul style="list-style-type: none"> - Precious metals (gold, silver, platinum) - Iron and steel scrap - Nickel scrap - Aluminium scrap - Zinc scrap - Tin scrap - Tungsten scrap - Molybdenum scrap - Tantalum scrap - Cobalt scrap - Bismuth scrap - Titanium scrap - Zirconium scrap - Manganese scrap - Germanium scrap - Vanadium scrap - Hafnium scrap - Indium scrap - Niobium scrap - Rhenium scrap - Gallium scrap - Magnesium scrap - Copper scrap - Chromium scrap 	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable; (c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade; (d) The valid consents to operate under the Air and Water Acts and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid one time authorisation from concerned SPCB is required; (e) The chemical analysis report of the waste being imported; (f) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year.
2	B1050	Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, containing metals other than specified in Part B1050 and not containing constituents mentioned in Schedule II in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics* *	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable; (c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade; (d) The valid consents to operate under the Air and Water Acts and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid authorisation from concerned SPCB is required; (e) The chemical analysis report of the waste being imported; (f) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year.
3	B1100	Metal bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals: <ul style="list-style-type: none"> - Hard Zinc spelter - Zinc-containing drosses: <ul style="list-style-type: none"> ~ Galvanizing slab zinc top dross (>90% Zn) ~ Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn) ~ Zinc die casting dross (>85% Zn) ~ Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch) (>92% Zn) 	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable; (c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade; (d) The valid consents to operate under the Air and Water Acts and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid authorisation from concerned SPCB is

		~ Zinc skimmings – Aluminium skimmings (or skins) excluding salt slag	required; (e) The chemical analysis report of the waste being imported; (f) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year.
4	B1110	Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse and not for recycling or final disposal	
(a)		Used electrical and electronic assemblies imported for repair and to be re-exported after repair within one year of import	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) Undertaking for re-export; (c) Details of previous import, if there has been any and confirmation regarding their re-export; (d) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year (e) Certificate from exporting company for accepting the repaired and unrepairable electrical and electronic assemblies and the spares or part or component or consumables being re-exported.
(b)		Used electrical and electronic assemblies imported for rental purpose and re-exported back within one year of import	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) Undertaking for re-export; (c) Details of previous import, if there has been any and confirmation regarding their re-export; (d) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year
(c)		Used electrical and electronic assemblies exported for repair and to be re-imported after repair	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) Proof of export of the defective electrical and electronic assemblies i.e. shipping or airway document authenticated by Customs
(d)		Used electrical and electronic assemblies imported for testing, research and development, project work purposes and to be re-exported back within a period of three years from the date of import	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) Undertaking for re-export; (c) Details of previous import, if there has been any and confirmation regarding their re-export; (d) Chartered Engineer Certificate or certificate from accredited agency of exporting country indicating the functionality, manufacturing date, residual life and serial number; (e) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year; (f) Certificate from exporting company for accepting the second hand functional or non-functional electrical and electronic assemblies and/or the spares or part or component or consumables being re-exported at the end of three years.
(e)		Spares imported for warranty replacements provided equal number of defective / non-functional parts are exported back within one year of the import.	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) if refurbished components being imported as replacement to defective component then undertaking for export of equivalent numbers of defective components; (c) Details of previous import, if there has been any and confirmation regarding their re-export; (d) Certificate from exporting company for accepting the re-export of defective or non-functional spares or part or component or consumables being re-exported; (e) Documents on the declared policy regarding the use of second hand or refurbished spare

			parts for repair of electrical and electronic assemblies during warranty period.
(f)		Used electrical and electronic assemblies imported by Ministry of Defence, Department of Space and Department of Atomic Energy.	---
(g)		Used electrical and electronic assemblies (not in bulk; quantity less than or equal to three) imported by the individuals for their personal uses.	---
(h)		Used Laptop, Personal Computers, Mobile, Tablet up to 03 number each imported by organisations in a year.	---
(i)		Used electrical and electronic assemblies owned by individuals and imported on transfer of residence.	As per existing guidelines of Custom Authority
(j)		Used electrical and electronic assemblies, spares, imported by airlines for aircraft maintenance and remaining either on board or under the custodianship of the respective airlines warehouses located on the airside of the custom bonded areas.	----
(j)		Used multifunction print and copying machines (MFDs)*	<p>(a) The country of Origin Certificate along with bill of lading and packaging;</p> <p>(b) The certificate issued by the inspection agency as certified by the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General Foreign Trade (DGFT) for functionality, having residual life of not less than five years and serial number;</p> <p>(c) Extended Producer Responsibility-Authorisation under e-waste (Management and Handling) Rules, 2011 as amended from time to time as Producer;</p> <p>(d) The MFDs shall be for printing A 3 size and above;</p> <p>(e) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year.</p>
5	B3020	<p>Paper, paperboard and paper product wastes</p> <p>The following materials, provided they are not mixed with hazardous wastes:</p> <p>Waste and scrap of paper or paperboard of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unbleached paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard - other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass - paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example newspapers, journals and similar printed matter) - other, including but not limited to <ol style="list-style-type: none"> (1) laminated paperboard (2) unsorted scrap 	<p>(a) Duly filled up Form 6 – Movement document;</p> <p>(b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable;</p> <p>(c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade;</p> <p>(d) The valid consents to operate under the Air and Water Acts and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid authorisation from concerned SPCB is required;</p> <p>(e) The chemical analysis report of the waste being imported;</p> <p>(f) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year.</p>

6.	B3140	Aircraft Tyres exported to Original Equipment Manufacturers for re-treading and re-imported after re-treading by airlines for aircraft maintenance and remaining either on board or under the custodianship of the respective airlines warehouses located on the airside of the custom bonded areas	As per existing guidelines of Custom Authority
----	-------	---	--

Note: * The policy for free trade for multifunction print and copying machine to be reviewed once the MFDs are domestically manufactured.

FORM 1
[See rule 6 (1)]

Application required for grant/renewal of authorisation for generation or collection or storage or transport or reception or recycling or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilisation or treatment or disposal of hazardous and other waste

Part A: General (to be filled by all)

1. (a) Name and address of the unit and location of facility :
 (b) Name of the occupier of the facility or operator of disposal facility with designation, Tel, Fax and e-mail:
 (c) Authorisation required for (Please tick mark appropriate activity or activities):

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| (i) Generation | <input type="checkbox"/> |
| (ii) Collection | <input type="checkbox"/> |
| (iii) Storage | <input type="checkbox"/> |
| (iv) Transportation | <input type="checkbox"/> |
| (v) Reception | <input type="checkbox"/> |
| (vi) Reuse | <input type="checkbox"/> |
| (vii) Recycling | <input type="checkbox"/> |
| (viii) Recovery | <input type="checkbox"/> |
| (ix) Pre-processing | <input type="checkbox"/> |
| (x) Co-processing | <input type="checkbox"/> |
| (xi) Utilisation | <input type="checkbox"/> |
| (xii) Treatment | <input type="checkbox"/> |
| (xiii) Disposal | <input type="checkbox"/> |
| (xiv) Incineration | <input type="checkbox"/> |

(d) In case of renewal of authorisation previous authorisation numbers and dates and provide copies of annual returns of last three years including the compliance reports with respect to the conditions of Prior Environmental Clearance, wherever applicable:

2. (a) Nature and quantity of waste handled per annum (in metric tonne or kilo litre)
 (b) Nature and quantity of waste stored at any time (in metric tonne or kilo litre)

3. (a) Year of commissioning and commencement of production:
 (b) Whether the industry works:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (i) 01 Shift | <input type="checkbox"/> |
| (ii) 02 Shifts | <input type="checkbox"/> |
| (iii) Round the clock | <input type="checkbox"/> |

4. Provide copy of the Emergency Response Plan (ERP) which should address procedures for dealing with emergency situations (viz. Spillage or release or fire) as specified in the guidelines of Central Pollution Control Board. Such ERP shall comprise the following, but not limited to:

- Containing and controlling incidents so as to minimise the effects and to limit danger to the persons, environment and property;
- Implementing the measures necessary to protect persons and the environment;
- Description of the actions which should be taken to control the conditions at events and to limit their consequences, including a description of the safety equipment and resources available;
- Arrangements for training staff in the duties which they are expected to perform;
- Arrangements for informing concerned authorities and emergency services; and
- Arrangements for providing assistance with off-site mitigatory action.

5. Provide undertaking or declaration to comply with all provisions including the scope of submitting bank guarantee in the event of spillage, leakage or fire while handling the hazardous and other waste.

Part B: To be filled by hazardous waste generators

1. (a) Products and by-products manufactured (names and product wise quantity per annum):

(b) Process description including process flow sheet indicating inputs and outputs (raw materials, chemicals, products, by-products, wastes, emissions, waste water etc.) Please attach separate sheets:

(c) Characteristics (waste-wise) and Quantity of waste generation per annum:

(d) Mode of management of (c) above:

- i. Capacity and mode of secured storage within the plant;
- ii. Utilisation within the plant (provide details);
- iii. If not utilised within the plant, please provide details of what is done with this waste;
- iv. Arrangement for transportation to actual users/ TSDF;

(e) Details of the environmental safeguards and environmental facilities provided for safe handling of all the wastes at point (c) above;

2. Hazardous and other wastes generated as per these rules from storage of hazardous chemicals as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989

Part C: To be filled by Treatment, storage and disposal facility operators

1. Provide details of the facility including:

- (i) Location of site with layout map;
- (ii) Safe storage of the waste and storage capacity;
- (iii) The treatment processes and their capacities;
- (iv) Secured landfills;
- (v) Incineration, if any;
- (vi) Leachate collection and treatment system;
- (vii) Fire fighting systems;
- (viii) Environmental management plan including monitoring; and
- (ix) Arrangement for transportation of waste from generators.

2. Provide details of any other activities undertaken at the Treatment, storage and disposal facility site.

3. Attach a copy of prior Environmental Clearance.

Part D: To be filled by recyclers or pre-processors or co-processors or users of hazardous or other wastes

1. Nature and quantity of different wastes received per annum from domestic sources or imported or both:
2. Installed capacity as per registration issued by the District Industries Centre or any other authorised Government agency. Provide copy:
3. Provide details of secured storage of wastes including the storage capacity:
4. Process description including process flow sheet indicating equipment details, inputs and outputs (input wastes, chemicals, products, by-products, waste generated, emissions, waste water, etc.). Attach separate sheets:
5. Provide details of end users of products or by-products:
6. Provide details of pollution control systems such as Effluent Treatment Plant, scrubbers, etc. including mode of disposal of waste:
7. Provide details of occupational health and safety measures:
8. Has the facility been set up as per Central Pollution Control Board guidelines? If yes, provide a report on the compliance with the guidelines:
9. Arrangements for transportation of waste to the facility:

Signature of the Applicant
Designation

Date.....

Place.....

FORM 2
[See rule 6(2)]

FORM FOR GRANT OR RENEWAL OF AUTHORISATION BY STATE POLLUTION CONTROL BOARD TO THE OCCUPIERS, RECYCLERS, REPROCESSORS, REUSERS, USER AND OPERATORS OF DISPOSAL FACILITIES

1. Number of authorisation and date of issue :
2. Reference of application (No. and date) :
3.ofis hereby granted an authorisation based on the enclosed signed inspection report for generation, collection, reception, storage, transport, reuse, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, treatment, disposal or any other use of hazardous or other wastes or both on the premises situated at.....

Details of Authorisation

Sl. No.	Category of Hazardous Waste as per the Schedules I, II and III of these rules	Authorised mode of disposal or recycling or utilisation or co-processing, etc.	Quantity (ton/annum)

- (1) The authorisation shall be valid for a period of
- (2) The authorisation is subject to the following general and specific conditions (Please specify any conditions that need to be imposed over and above general conditions, if any):

A. General conditions of authorisation:

1. The authorised person shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.

2. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the State Pollution Control Board.
3. The person authorised shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous and other wastes except what is permitted through this authorisation.
4. Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of his authorisation.
5. The person authorised shall implement Emergency Response Procedure (ERP) for which this authorisation is being granted considering all site specific possible scenarios such as spillages, leakages, fire etc. and their possible impacts and also carry out mock drill in this regard at regular interval of time;
6. The person authorised shall comply with the provisions outlined in the Central Pollution Control Board guidelines on "Implementing Liabilities for Environmental Damages due to Handling and Disposal of Hazardous Waste and Penalty"
7. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the State Pollution Control Board to close down the facility.
8. The imported hazardous and other wastes shall be fully insured for transit as well as for any accidental occurrence and its clean-up operation.
9. The record of consumption and fate of the imported hazardous and other wastes shall be maintained.
10. The hazardous and other waste which gets generated during recycling or reuse or recovery or pre-processing or utilisation of imported hazardous or other wastes shall be treated and disposed of as per specific conditions of authorisation.
11. The importer or exporter shall bear the cost of import or export and mitigation of damages if any.
12. An application for the renewal of an authorisation shall be made as laid down under these Rules.
13. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Central Pollution Control Board from time to time.
14. Annual return shall be filed by June 30th for the period ensuring 31st March of the year.

B. Specific conditions:

Date:

**Signature of Issuing Authority
Designation and Seal**

FORM 3

[See rules 6(5), 13(7), 14(6), 16(5) and 20 (1)]

FORMAT FOR MAINTAINING RECORDS OF HAZARDOUS AND OTHER WASTES

1. Name and address of the facility :
2. Date of issuance of authorisation and its reference number :
3. Description of hazardous and other wastes handled (Generated or Received)

Date	Type of waste with category as per Schedules I, II and III of these rules	Total quantity (Metric Tonnes)	Method of Storage	of	Destined to or received from

* Fill up above table separately for indigenous and imported waste.

4. Date wise description of management of hazardous and other wastes including products sent and to whom in case of recyclers or pre-processor or utiliser:
5. Date of environmental monitoring (as per authorisation or guidelines of Central Pollution Control Board):

Signature of occupier

Date.....

Place.....

FORM 4*[See rules 6(5), 13(8), 16(6) and 20 (2)]***FORM FOR FILING ANNUAL RETURNS**[To be submitted to State Pollution Control Board by 30th day of June of every year for the preceding period April to March]

1. Name and address of facility:
2. Authorisation No. and Date of issue:
3. Name of the authorised person and full address with telephone, fax number and e-mail:
4. Production during the year (product wise), wherever applicable

Part A. To be filled by hazardous waste generators

1. Total quantity of waste generated category wise
2. Quantity dispatched
 - (i) to disposal facility
 - (ii) to recycler or co-processors or pre-processor
 - (iii) others
3. Quantity utilised in-house, if any -
4. Quantity in storage at the end of the year –

Part B. To be filled by Treatment, storage and disposal facility operators

1. Total quantity received -
2. Quantity in stock at the beginning of the year -
3. Quantity treated –
4. Quantity disposed in landfills as such and after treatment –
5. Quantity incinerated (if applicable) -
6. Quantity processed other than specified above -
7. Quantity in storage at the end of the year -

Part C. To be filled by recyclers or co-processors or other users

1. Quantity of waste received during the year –
 - (i) domestic sources
 - (ii) imported (if applicable)
2. Quantity in stock at the beginning of the year -
3. Quantity recycled or co-processed or used –

4. Quantity of products dispatched (wherever applicable) –
5. Quantity of waste generated -
6. Quantity of waste disposed -
7. Quantity re-exported (wherever applicable)-
8. Quantity in storage at the end of the year -

**Signature of the Occupier or
Operator of the disposal facility**

Date.....

Place.....

FORM 5
[See rules 13 (1) and 14 (1)]

**APPLICATION FOR IMPORT OR EXPORT OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE FOR REUSE
OR RECYCLING OR RECOVERY OR CO-PROCESSING OR UTILISATION**

TO BE FILLED IN BY APPLICANT

S. No.	Description	Details to be furnished by the importer or exporter
(1)	(2)	(3)
1.	Importer or Exporter (name and address) in India	
	Contact person	
	Tel, fax and e-mail	
	Facility location/address	
	Reason for import or export	
2.	Importer or exporter (name and address) outside of India	
3.	Details of waste to be imported or exported	
	(a) Quantity	
	(b) Basel No.	
	(c) Single/multiple movement	
	(d) Chemical composition of waste (attach details), where applicable	
	(e) Physical characteristics	
	(f) Special handling requirements, if applicable	
4.	For Schedule III A hazardous waste whether Prior Informed Consent has been obtained	
5.	For importer (a) Process details along with environmental safeguard measures (attach separate sheet) (b) Capacity of recycling or co-processing or recovery or utilization Enclose a copy each of valid authorisation and valid consent to operate from SPCB	
6.	Details of import against the Ministry of Environment, Forest and Climate Change permission in the previous three years	
7.	Port of entry	

9. Undertaking : _____

I hereby solemnly undertake that:

- R4** Recycling/reclamation of metals and metal compounds.
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials.
R6 Regeneration of acids or bases.
R7 Recovery of components used for pollution abatement.
R8 Recovery of components from catalysts.
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil.
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10

Date:**Signature:****Place:****Designation:****FORM 7***[See rule 13 (2) (c)]***APPLICATION FORM FOR ONE TIME AUTHORISATION OF TRADERS FOR PART- D OF SCHEDULE III, WASTE***[To be submitted by trader to the State Pollution Control Board]*

1.	Name and address of trader with Telephone, Fax Number and e-mail	:	
2.	TIN/VAT Number/Import/ Export Code	:	
3.	Description and quantity of other waste to be imported	:	
4.	Details of storage, if any	:	
5.	Names and address of authorised actual user (s)	:	

Signature of the authorised person**Date:****Place:****FORM 8***[See rules 17 (1) and 18 (2)]***LABELLING OF CONTAINERS OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE**

Handle with care

Waste category and characteristics as per Part C of Schedules II and III of these rules	Incompatible wastes and substances
Total quantity	Date of storage
Physical State of the waste (Solid/Semi-solid/liquid):	
Sender's name and address	Receiver's name and address
Phone.....	Phone.....
E-mail.....	E-mail.....
Tel. and Fax No.....	Tel. and Fax No.....
Contact person.....	Contact person.....
In case of emergency please Contact	

Note:

1. Background colour of label - *fluorescent yellow*.
2. The word, 'HAZARDOUS WASTES' and 'HANDLE WITH CARE' to be prominent and written in red, in Hindi, English and in vernacular language.
3. The word 'OTHER WASTES' to be written prominently in orange, in Hindi, English and in vernacular language.

FORM 11
[See rule 22]**FORMAT FOR REPORTING ACCIDENT**

[To be submitted by the facility or sender or receiver or transporter to the State Pollution Control Board]

1. The date and time of the accident :
2. Sequence of events leading to accident :
3. Details of hazardous and other wastes involved in accident :
4. The date for assessing the effects of the accident on health or the environment :
5. The emergency measures taken :
6. The steps taken to alleviate the effects of accidents :
7. The steps take to prevent the recurrence of such an accident :

Date:**Signature:****Place:****Designation:****FORM 12**
[See rule 24 (1)]**APPLICATION FOR FILING APPEAL
AGAINST THE ORDER PASSED BY STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

1. Name and address of the person making the appeal :
2. Number, date of order and address of the authority which passed the order, against which appeal is being made : (certified copy of the order be attached)
3. Ground on which the appeal is being made :
4. Relief sought for :
5. List of enclosures other than the order referred in point 2 against which the appeal is being filed. :

Signature.....**Name and address.....****Date:**

-----X-----X-----

[23-16/2009- HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आषाढ़ 15, 1938

No. 465]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 670(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 (जिन्हें आगे उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 12 के उप-नियम (6) के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6क. अनुसूची VI में बेसल संख्या ख3010 के सामने स्तंभ (2) में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों के लिए पश्च उपभोग अपशिष्टों को छोड़कर ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात की अनुज्ञात है।"

3. उक्त नियमों की, अनुसूची III के टिप्पणी में, "**** देश में आयात" शब्दों से प्रारंभ और नीति की समीक्षा की जाएगी" शब्दों से समाप्त होने वाले पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा अर्थात् :-

"**** वास्तविक उपभोक्ता या व्यापारी को देश में अनुज्ञेय आयात इन नियमों की अनुसूची VIII के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के अनुसरण में अपेक्षित होंगे और सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होंगे। एक बार एमएफडी के स्वदेशी रूप से उत्पादन हो जाने पर बहुकार्य प्रिंट तथा कॉपी मशीन के लिए मुक्त व्यापार की नीति की समीक्षा की जाएगी।"

4. उक्त नियमों की, अनुसूची VI में प्रविष्टियों के पश्चात, बेसल संख्या ख3010 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**टिप्पणी** : केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों को आयात अनुज्ञात है।"

[फा. सं. 23-16/2009-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2016

G.S.R. 670(E).—In exercise of powers confirmed by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to the said rules), in rule 12, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“ 6A. The import of solid plastic waste at column (2), against Basel Number B3010 in Schedule VI, excluding post consumer wastes, is permitted to units in Special Economic Zones notified by the Central Government.”.

3. In the said rules, in Schedule III, in the Note, for the portion beginning with the words “ **** Import permitted in the country” and ending with the words “domestically manufactured”, the following shall be substituted, namely:-

“ **** Import permitted in the country to the actual users or trader in accordance with the documents required and verified by the Custom Authority as specified under Schedule VIII of these rules. The policy for free trade for multifunction print and copying machine to be reviewed once the MFDs are domestically manufactured.” .


4. In the said rules, in Schedule VI, after the entries in column (2) against Basel Number B3010, the following Note shall be inserted, namely:-

“**Note.**- Import is permitted to the units in special economic zones notified by the Central Government.”.

[F. No. 23-16/2009-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 395(E), dated the 4th April, 2016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938

No. 144]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 177(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2017 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 में—

(क) नियम 12 में, उप-नियम (6क) में "विशेष आर्थिक जोन" शब्दों के पश्चात "निर्यात उन्मुख इकाइयों" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) अनुसूची III में, भाग ख में, ख3 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ख3010	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट"
--------	---

(ग) अनुसूची VI में, बेसल संख्या ख3010 के समक्ष और कॉलम (2) में इसके तत्स्थानी प्रविष्टियों में,—

(i) "पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) टिप्पणी में, "विशेष आर्थिक जोन" शब्दों के पश्चात, "निर्यात उन्मुख इकाइयों" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 23-16/2009-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.- मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप खंड (i) में सा.का.नि.395 (अ), तारीख 04 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 670 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

G.S.R. 177(E).—In exercise of powers confirmed by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016,—

(a) in rule 12, in sub-rule (6A), after the words “Special Economic Zones”, the words, “and Export Oriented Units”, shall be inserted;

(b) in Schedule III, in Part B, after B3 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:—

“B3010	Solid plastic waste Polymethyl methacrylate”.
--------	--

(c) in Schedule VI, against Basel Number B3010 and its corresponding entries in column (2),-

(i) the words “polymethyl methacrylate” shall be omitted;

(ii) in the Note, after the words “special economic zones”, the words “and export oriented units” shall be inserted.

[F. No. 23-16/2009-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 395 (E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* GSR 670 (E) dated the 6th July, 2016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 2018/ज्येष्ठ 22, 1940

No. 392]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 2018/JYAISTHA 22, 1940

पर्यावरण, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2018

सा.का.नि. 544(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में,-
 - (1) सारणी के भाग घ की अनुसूची 3 में, स्तंभ (2) बेसल संख्या ख 1110 में के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

“

बेसल संख्या	अपशिष्ट का न्यौरा
(1)	(2)
ख 1110	- अनुसंधान और विकास सुविधा में 50 करोड़ रुपए के निवेश से डीएसआइआर अनुमोदित अनुसंधान और विकास इकाइयों या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आफ इंडिया (एसटीपीआइ), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), में इकाइयों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) तथा बायोटेक्नालाजी पार्क (बीटीपी) द्वारा परीक्षण, अनुसंधान और विकास, परियोजना कार्य प्रयोजनों के लिए आयातित प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे ***

- इलेक्ट्रॉनिक उद्योग द्वारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मदों के विनिर्माण के लिए कम से कम 5 वर्षों की अवशिष्ट अवधि वाले प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी***।”
--

(II) क्रम संख्या 4 में बेसल संख्या ख 1110 के सामने में अनुसूची 8 , भाग घ में, मद घ और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

“

क्रम सं.	बेसल संख्या	अन्य अपशिष्टों का वर्णन	दस्तावेजों की सूची
(1)	(2)	(3)	(4)
घ(i)	ख 1110	अनुसंधान और विकास सुविधा में 50 करोड़ रूपए के निवेश से डीएसआइआर अनुमोदित अनुसंधान और विकास इकाइयों या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आफ इंडिया (एसटीपीआइ) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नालॉजी पार्क (ईएचटीपी) में इकाइयों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) तथा वायोटेक्नालाजी पार्क (बीटीपी) द्वारा परीक्षण, अनुसंधान और विकास, परियोजना कार्य प्रयोजनों के लिए आयातित प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे	(क) सम्यक भरा हुआ प्ररूप 6' संचलन दस्तावेज; (ख) पूर्व आयात का ब्यौरा, यदि कोई हो; (ग) निर्यातक देश की मान्य अभिकरण से चाटर्ड इंजीनियर प्रमाण-पत्र या प्रमाण-पत्र जिसमें कार्यात्मकता, विनिर्माण की तारीख, अवशिष्ट अवधि और क्रमांक उपदर्शित किया गया हो। (घ) गत वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फाइल वार्षिक विवरणी की पावती की एक प्रति। (ड.) अनुसंधान और विकास सुविधा में 50 करोड़ रू. या उससे अधिक के विनिधान का एक प्रमाण-पत्र।
घ(ii)		इलेक्ट्रॉनिक उद्योग द्वारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मदों के विनिर्माण के लिए कम से कम 5 वर्षों की शेष अवधि वाले प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	(क) सम्यक भरा हुआ प्ररूप 6' संचलन दस्तावेज; (ख) पूर्व आयात का ब्यौरा, यदि कोई हो; (ग) निर्यातक देश की मान्य अभिकरण से चाटर्ड इंजीनियर प्रमाण-पत्र या प्रमाण-पत्र जिसमें कार्यात्मकता, विनिर्माण तारीख, अवशिष्ट अवधि और क्रमांक उपदर्शित किया गया हो। (घ) गत वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फाइल वार्षिक विवरणी की पावती की एक प्रति।”

[फा.सं. 23/38/2018-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 395 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किये गये सा.का.नि. 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016 और सा.का.नि. 177(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017 द्वारा तत्पश्चात संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2018

G.S.R. 544(E).—In exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, -
(I) in Schedule III in Part D in the Table, against Basel No. B1110 in column (2), after the entries, the following entries shall be inserted, namely -

Basel No.	Description of waste
(1)	(2)
B1110	<p>“</p> <ul style="list-style-type: none"> - Used electrical and electronic assemblies imported for testing, research and development, project work purposes by the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) approved research and development units or units in Software Technology Parks of India (STPI), Electronic Hardware Technology Park (EHTP), Export Oriented Units (EOU) and Biotechnology Parks (BTP) with investment of Rs. 50 Crore in a Research and Development (R&D) facility*** - Used plant and machinery having a residual life of at least 5 years for manufacturing of electrical and electronic items by the electronic industry***”

(II) in Schedule VIII, Part D, against Basel No. B1110 in serial number 4, after item (d) and the entries relating thereto the following entries shall be inserted namely:

S. No.	Basel No.	Description of other wastes	List of Documents
(1)	(2)	(3)	(4)
d(i)	B1110	Used electrical and electronic assemblies imported for testing, research and development, project work purposes by the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) approved research and development units or units in Software Technology Parks of India (STPI), Electronic	<ul style="list-style-type: none"> (a) Duly filled up Form 6 – Movement document; (b) Details of previous import, if any. (c) Chartered Engineer Certificate or certificate from accredited agency of exporting country indicating the functionality, manufacturing date, residual life and serial number; (d) An acknowledged copy of the

		Hardware Technology Park (EHTP), Export Oriented Units (EOU) and Biotechnology Parks (BTP) with investment of Rs. 50 Crore in a Research and Development (R&D) facility.	annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year. (e) A certificate of investment of Rs. 50 crores or above in Research and Development (R&D) facility
d(ii)		Used plant and machinery having a residual life of at least 5 years for manufacturing of electrical and electronic items by the electronic industry.	(a) Duly filled up Form 6 – Movement document; (b) Details of previous import, if any. (c) Chartered Engineer Certificate or certificate from accredited agency of exporting country indicating the functionality, manufacturing date, residual life and serial number; (d) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year”.

[F. No. 23/38/2018-HSMD]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 395 (E), dated the 04th April, 2016 and subsequently amended *vide* GSR 670(E), dated the 6th July, 2016 and GSR 177(E), dated the 28th February, 2017.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2019/फाल्गुन 14, 1940

No. 158]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2019/PHALGUNA 14, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 178(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त करते हुए जन हित में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में -
(i) नियम 3 में, खण्ड 39 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"40 "अपशिष्ट संग्राहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिभोगी से वास्तविक प्रयोक्ता या निपटान सुविधा के प्रचालक की ओर से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट एकत्रित करता हो।"

(ii) नियम 6 में, उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) ऐसा अधिभोगी जिनसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 21) के अंतर्गत स्थापना हेतु सहमति या प्रचालन के लिए सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा न हो, के लिए इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी;

परंतु अधिभोगी द्वारा उत्पन्न परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट को वास्तविक प्रयोक्ताओं, अपशिष्ट संग्राहकों या निपटान सुविधा के प्रचालकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।"

(iii) नियम 12 में, उप-नियम "6क" का लोप किया जाएगा;

(iv) अनुसूची III में, भाग ख में, -

(क) प्रविष्टि

"

ख3010	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट पॉलिमिथाइल मेथाक्राइलेट
-------	--

"

का लोप किया जाएगा।

(ख) बेसल सं. "ख3030" के सामने, "सिल्क अपशिष्ट (रीलिंग के लिए अनुपयुक्त कुसवारी, धागा अपशिष्ट और ताम्बड़ित स्टॉक सहित) शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर शब्दों तथा कोष्ठकों

- धुने या साफ नहीं किए हुए
- अन्य", के लिए निम्नलिखित रखो अर्थात् :-

"सिल्क अपशिष्ट (रीलिंग के लिए अनुपयुक्त कुसवारी, धागा अपशिष्ट और ताम्बड़ित स्टॉक सहित)"

- धुने या साफ नहीं किए हुए
- अन्य

"सिल्क अपशिष्ट के निर्यात को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति की अपेक्षा से छूट प्राप्त है।"

(v) अनुसूची III में, भाग घ में, स्तंभ (2) में बेसल सं. ख1110 के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात् अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"यदि भारत में विनिर्मित और निर्यातित इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक असेम्बली और संघटक त्रुटिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो ये निर्यात की तारीख से बारह माह के भीतर मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) द्वारा वापस आयात किए जा सकते हैं।"

(vi) अनुसूची VI में, बेसल सं. ख3010 के सामने, स्तंभ (2) में,-

(क) टिप्पण.- "टिप्पण,-विशेष आर्थिक ज़ोन वाली इकाइयों और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात अभिमुख इकाइयों को आयात की अनुमति है।" का लोप किया जाएगा।

(ख) "पॉलीसिलोक्सेन्स" शब्द के पश्चात्, "पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(vii) प्ररूप 1 में, भाग घ के उप-शीर्षक के अधीन शीर्षक में निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :-

“भाग घ: परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के पुनर्चक्रणकर्ताओं या पूर्व-प्रसंस्करणकर्ताओं या सह-प्रसंस्करणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्राहकों या प्रयोक्ताओं द्वारा भरा जाए”

[फा.सं. 23/4/2009-एचएसएम]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 395(अ) तारीख 04 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 670(अ) तारीख 6 जुलाई, 2016; सा.का.नि. 177(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017; और सा.का.नि. 544(अ) तारीख 11 जून, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 178(E).—In exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment, Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016: -
 - (i) in rule 3, after clause 39, the following clause shall be inserted, namely: -
“40. “waste collector” means a person who collects hazardous and other wastes on behalf of actual user or operator of disposal facility from the occupier;”;
 - (ii) in rule 6, after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely: -
“(1A) An occupier shall not be required obtain an authorisation under this rule, from the State Pollution Control Board, in case the consent to establish or consent to operate, is not required from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (21 of 1981);
Provided that the hazardous and other wastes generated by the occupier shall be given to the actual user, waste collector or operator of the disposal facility, in accordance with the Central Pollution Control Board guidelines.”;
 - (iii) in rule 12, sub-rule “6A” shall be omitted;

(iv) in Schedule III, in Part B, -

(a) the entry

B3010	Solid plastic waste Polymethyl methacrylate
-------	--

shall be omitted;

(b) against the Basel No. "B3030", for the words and brackets "Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garneted stock)

- Not carded or combed
- Other", the following shall be substituted, namely: -

"Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garneted stock) **

- Not carded or combed
- Other

** Export of silk waste is exempted from requiring permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.;"

(v) in Schedule III, in Part D, against Basel No. B1110, in column (2), after the entries, at the end the following entries shall be inserted, namely: -

"Electrical and electronic assemblies and components manufactured in and exported from India if found defective or non-functional can be imported back by Original Equipment Manufacturers (OEMs) within twelve months from the date of export."

(vi) in Schedule VI, against Basel No. B3010, in column (2), -

(a) the Note "Note. -Import is permitted to the units in Special Economic Zones and Export Oriented Units notified by the Central Government." shall be omitted;

(b) after the word "Polysiloxanes", the words "Polymethyl methacrylate" shall be inserted.

(vii) in Form 1, in the heading under sub-heading Part D the following shall be substituted, namely: -

"Part D: To be filled by recyclers or pre-processors or co-processors or waste collectors or users of hazardous and other wastes"

[F. No. 23/4/2009-HSM]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 395 (E), dated the 4th April 2016 and subsequently amended vide G.S.R. 670(E) dated the 6th July, 2016; G.S.R. 177(E) dated the 28th February, 2017; and G.S.R. 544(E) dated the 11th June 2018.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222527
CG-DL-E-17102020-222527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521]
No. 521]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 641(अ).—प्रारूप नियम अर्थात् परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 03 फरवरी, 2020 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 77(अ), तारीख 31 जनवरी, 2020 द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां 03 फरवरी, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के नियम 5 के उपनियम (2) के खंड (क), खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(क) परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन, एकत्रीकरण, प्राप्ति, शोधन, परिवहन, भंडारण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान में शामिल श्रमिकों की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना;

(ग) परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन, एकत्रीकरण, प्राप्ति, शोधन, परिवहन, भंडारण, पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, पुनःप्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान में शामिल श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास कार्यकलाप आरंभ करना;

(घ) वार्षिक मानीटरी करना और परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन, एकत्रीकरण, प्राप्ति शोधन, परिवहन, भंडारण, पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, पुनःप्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।”

[फा. सं. 23/67/2018-एचएसएम]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 395(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016; सा.का.नि. संख्यांक 177(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017, सा.का.नि. संख्यांक 544(अ), तारीख 11 जून, 2018 तथा सा.का.नि. संख्यांक 178(अ), तारीख 01 मार्च, 2019 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2020

G.S.R. 641(E).—Whereas the draft rules, namely the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2020, were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 77(E), dated the 31st January, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd February, 2020 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on the 3rd day of February, 2020;

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the specified period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, in rule 5, in sub-rule (2), for clauses (a), (c) and (d), the following clauses shall respectively be substituted, namely:-
 - “(a) ensure recognition and registration of workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes;
 - (c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes;
 - (d) undertake annual monitoring and to ensure safety and health of workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes.”.

[F. No. 23/67/2018 - HSM]]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; and number G.S.R. 178 (E), dated the 1st March, 2019.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231156
CG-DL-E-16112021-231156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]
No. 649]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2021/कार्तिक 24, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2021/KARTIKA 24, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 798(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के उप-नियम (1) में, -

(i) खंड (3) में, "परिसंकटमय अपशिष्टों" शब्दों के स्थान पर "परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड 23 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘23. “अन्य अपशिष्ट” से आयात और निर्यात के प्रयोजन के लिए अनुसूची के भाग ख और भाग घ में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसे स्वदेशी रूप से उत्पादित अपशिष्ट भी हैं जो समय समय पर अधिसूचित किए जाएं;”।

3. उक्त नियमों के नियम 9 में, .—

(i) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) उत्पादक के परिसर सहित (यदि यह प्रक्रिया का भाग नहीं है) एक संसाधन के रूप में परिसंकटमय अपशिष्ट का उपयोग या तो सह-प्रसंस्करण या किसी अन्य प्रयोग के लिए पूर्व-संस्करण, केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के मानक प्रचालन के आधार पर अपशिष्ट के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा।”;

(ii) परंतुक के पहले उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) जहां परिसंकटमय अपशिष्ट के विशिष्ट उपयोग के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां उपलब्ध न हों वहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन की बांछा की जाएगी जो परीक्षणों के आधार पर अनुमोदन प्रदान करेगा और इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार किए जाएंगे;”।

4. इन नियमों में नियम 13 के उप नियम (2) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ग” ऐसा आयातक जो एक व्यापारी है, वास्तविक प्रयोक्ताओं की ओर से अपशिष्ट का या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के उपयोग के लिए आयात करता है, प्ररूप 7 में एक बारगी प्राधिकार के लिए आवेदन करेगा और प्ररूप 7क में एक बारगी प्राधिकार अभिप्राप्त करेगा और ऐसे प्राधिकार की एक प्रति प्ररूप 6 के साथ संलग्न की जाएगी।”।

5. उक्त नियमों के नियम 19 में, उप नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(7) इस नियम के उपबंध अन्य अपशिष्ट पर लागू नहीं होंगे जो अनुसूची III के भाग घ में सूचीबद्ध हैं।”।

6. उक्त नियमों की अनुसूची III में,

(क) भाग ख में, -

- (i) मद ख 2 के अधीन बेसल सं. ख2020 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) मद ख 3 के अधीन बेसल सं. ख3020 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“ख3011	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट ■ मिथाइल मेथाक्राइलेट ■ --टेरेफ्थालेट”
--------	--

(ख) भाग घ में, --

- (i) स्तंभ (1) में, मद ख1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

ख2	मुख्यतः अकार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट धातु जिनमें धातु और कार्बनिक तत्व हो सकते हैं
ख2020	गैर-विक्षेपित रूप में कांच अपशिष्ट : कांच क्युलेट और अन्य अपशिष्ट कैथोड रे ट्यूबों और अन्य एक्टिवेटिड कांच के अलावा कांच सक्नेप”

- (ii) स्तंभ (2) में, मद ख3 के अधीन, बेसल सं. ख3020 के सामने प्रथम पंक्ति में, शब्दों और संकेतों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

पेपर, पेपरबोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट **#”;

- (iii) टिप्पणी में, “**देश में आयात की अनुमति” संकेतों और शब्दों से आरंभ होने वाले और “सत्यापन के अध्यक्षीन है” शब्दों से अंत होने वाले खंड के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“*देश में आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता या एक बारगी आधार पर राज्य-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता के उपयोग के लिए व्यापारी को सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची VIII में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यक्षीन है।

**# देश में आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता या एक बारगी आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता की ओर से व्यापारी को सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची VIII में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यक्षीन है।”।

7. उक्त नियमों की अनुसूची में, -

(i) स्तंभ (1) में मद ख3 के अधीन “ख3010” शब्द और अंकों के स्थान पर “ख 3011” शब्द और अंक रखा जाएगा ;

(ii) स्तंभ (2) में “पालिइथिलीन, टैरिफ पैकेट” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

8. उक्त नियमों की अनुसूची VIII में, --

(i) स्तंभ (2) में बेसल सं. ख1010, ख1050 और ख1100 से संबंधित क्र.सं. 1,2 और क्रम सं. 3 के सामने मद (ड.) के स्थान पर क्रमानुसार निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

“(ड.) इंस्टीट्यूट ऑफ स्क्रेप रिसाइक्लिंग कोड या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रचलित समतुल्य कोड में आने वाले अपशिष्टों से भिन्न आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट ;”।

(ii) क्र.सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“7	“ख2020	गैर-विक्षेपित रूप में कांच अपशिष्ट : कांच क्यूलेट और अन्य अपशिष्ट और कथोड रे - ट्यूबों और अन्य एक्टिवेटेड कांच से कांच के सिवाय कांच स्क्रेप”	<p>(क) सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 6 – संचलन दस्तावेज;</p> <p>(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति, जहां कहीं लागू हों;</p> <p>(ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाणपत्र;</p> <p>(घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और जब (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन कार्य करने के लिए और इन नियमों के अधीन प्राधिकार के लिए सहमति पत्र । व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिमान्य प्राधिकार अपेक्षित है।</p> <p>(ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट;</p> <p>(च) पिछले वित्तीय वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरणी की पावति की प्रति।”।</p>

9. उक्त नियमों के प्ररूप 4 में, -

(i) “(उत्पादवार) जहां कहीं प्रयोज्य हो “कोष्ठकों और शब्दों से अंत होने वाले क्र. सं. 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“4क. भाग क. के शीर्षक में “परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता” शब्दों के स्थान पर “परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता या आयातकर्ता” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) भाग क. के शीर्षक में “परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता” शब्दों के स्थान पर “परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता या आयातकर्ता” शब्द रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों के नियम 7 में, --

(i) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. इंस्टीट्यूट ऑफ स्क्रेप रिसाइक्लिंग कोड या किसी अन्य समतुल्य कोड के साथ वर्णन जहां कहीं लागू हो या आयात किए जा रहे अपशिष्ट का और उसकी क्वालिटी का सम्मिश्रण”;

(ii) क्र. सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(5क) प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्त (प्रयोक्ताओं) का (के) नाम और पता : (बैसल सं. ख3020 का आयात के लिए लागू (पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट);

(5ख) भावी वास्तविक प्रयोक्ता का नाम और पता (अन्य अपशिष्टों की आयात के लिए लागू)।”

11. उक्त नियमों में प्ररूप 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 7क

[नियम 13(2)(ग) देखें]

ऐसे व्यापारियों को, जो अनुसूची 3 के भाग घ में उल्लिखित अपशिष्ट का आयात कर रहे हैं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकबारगी प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्ररूप

1. प्राधिकार संख्या:-

2. संदर्भ:- परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग घ के अनुसार अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारियों के प्राधिकार के लिए आवेदन प्ररूप (विशिष्ट आवेदन संख्या) तारीख.....

3. [व्यापारी का नाम और पता], जिसकी -----पर भंडारण अवस्थितियां हैं, को अनुसूची 3 के भाग घ में अंतर्विष्ट अन्य अपशिष्ट के आयात, भंडारण और व्यापार करने के लिए निम्नानुसार प्राधिकार प्रदान किया जाता है:

क्र.सं.	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग घ के अनुसार अन्य अपशिष्ट का नाम और बैसल संख्या	वास्तविक या भावी उपयोगकर्ताओं की सूची और विस्तृत पता*	मात्रा (टन/एनम)

(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें)

*- प्रत्येक अन्य अपशिष्ट के लिए विस्तृत सूची संलग्न की जा सकेगी।

4. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के नियम 13 के उपनियम (2) के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकार प्रदान किया जाता है।

5. यह प्राधिकार निम्नलिखित साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा:-

क. साधारण शर्तें:

(i) प्राधिकृत व्यक्ति, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा।

(ii) यह प्राधिकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) प्राधिकृत व्यक्ति, इस प्राधिकार के माध्यम से अनुज्ञात अपशिष्ट से भिन्न अन्य आयातित अपशिष्टों का आयात, भंडारण और व्यापार नहीं करेगा।

(iv) प्राधिकृत व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भंडारण अवस्थिति में परिवर्तन या भंडारण सुविधा की बंदी के संबंध में सूचित करेगा।

(v) ऐसे अपशिष्ट का, जो अन्य आयातित अपशिष्ट के भंडारण और व्यापार के दौरान जनित होता है, उपचार और निपटान प्रचलित विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(vi) आयातक, आयात के खर्च का वहन करेगा और नुकसानी में, यदि कोई आयात, भंडारण और व्यापार की प्रक्रिया के दौरान कारित हो कमी करेगा,।

(vii) यथास्थिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुपालन के लिए कोई अन्य शर्तें।

(viii) वार्षिक विवरणी प्ररूप 4 के अनुसार किसी वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के लिए 30 जून तक फाइल की जाएगी।

(ix) प्राधिकृत व्यापारी ऐसी अन्य कानूनी अनुज्ञाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा जो अपेक्षित की जाएं।

ख. अन्य अपशिष्ट के भंडारण और हथालन की बाबत विनिर्दिष्ट शर्तें:

(जो जारी कर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए)

तारीख:

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम और मुद्रा”

[फा. सं. 23/49/2021-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 395(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016; सा.का.नि. सं. 177(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017; सा.का.नि. सं. 544(अ), तारीख 11 जून, 2018; सा.का.नि. सं. 178(अ), तारीख 1 मार्च, 2019; सा.का.नि. सं. 641(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2020 और सा.का.नि. सं. 47(अ), तारीख 27 जनवरी, 2021 द्वारा पश्चात्पूर्ति संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2021

G.S.R. 798(E).—In exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub- rule (1),-
 - (i) in clause(3), for the words “hazardous wastes”, the words “hazardous and other wastes” shall be substituted;
 - (ii) for clause(23), the following clause shall be substituted, namely: -

“23. “other wastes” means wastes specified in Part B and Part D of SCHEDULE III for the purpose of import and export and include such indigenously produced wastes as may be notified from time to time;”.

3. In the said rules, in rule 9, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The utilisation of hazardous waste as a resource or after pre-processing either for co-processing or for any other use, including within the premises of the generator (if it is not part of process), shall be carried out only after obtaining authorisation from the State Pollution Control Board in respect of wastes on the basis of standard operating procedures or guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time.”;

(ii) for sub-rule (2), before the proviso, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(2) Where standard operating procedures are not available for specific utilisation of hazardous waste, the approval has to be sought from the Central Pollution Control Board which shall be granting approval on the basis of trial runs and thereafter, standard operating procedures shall be prepared by the Central Pollution Control Board.”.

4. In the said rules, in rule 13, in sub-rule (2), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

“(c) importer who is a trader, importing waste on behalf of actual users or for use of the actual users authorised by State Pollution Control Board, shall apply in Form 7 for one-time authorisation and obtain one-time authorisation in Form 7A and copy of such authorisation shall be appended to Form 6.”.

5. In the said rules, in rule 19, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(7) The provisions of this rule shall not be applicable to other wastes as listed in Part D of SCHEDULE III.”.

6. In the said rules, in SCHEDULE III,

(a) In part B, -

(i) under item B2, the Basel Number B2020 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) under item B3, for Basel Number B3010 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely: -

“B3011	Solid plastic waste - Polymethyl methacrylate - Polyethylene terephthalate”
--------	---

(b) in Part D, -

(i) in column (1) after item B1 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely: -

B2	Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials
“B2020	Glass wastes in non-dispersible form: - Cullet and other waste and scrap of glass except for glass from cathode-ray tubes and other activated glasses”

(ii) In column (2), under item B3, against Basel No. B3020, in the first line, for the words and symbols, the following shall be substituted, namely: -

“Paper, paperboard, and paper product wastes **#”;

(iii) in the Note, for the clause beginning with the symbols and words “** Import permitted in the country” and ending with the words “Custom Authority”, the following clauses shall be substituted, namely: -

“** Import permitted in the country to the actual user or to the trader for use of the actual users authorised by State Pollution Control Board on one-time basis and subject to verification of documents specified in Schedule VIII of these rules by the Custom Authority.

“**# Import permitted in the country to the actual user or to the trader on behalf of the actual user authorised by State Pollution Control Board on one-time basis and subject to verification of documents specified in Schedule VIII of these rules by the Custom Authority.”.

7. In the said rules, in SCHEDULE VI, -

(i) in column (1) under item (B3) for the letter and figures, “B 3010”, the letter and figures “B 3011” shall be substituted;

(ii) in column (2) the words “polyethylene terephthalate” shall be omitted;

8. In the said rules, in SCHEDULE VIII,-

(i) in Column (2) against serial numbers 1, 2 and 3 relating to Basel Nos. B1010, B1050 and B1100 for item (e), the following shall respectively be substituted, namely: -

“(e) The Chemical analysis report of the wastes being imported other than wastes covered under the Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) code or equivalent code prevalent in international trade;”.

(ii) after S. No. 6 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely: -

“7.	“B2020	Glass wastes in non-dispersible form: - Cullet and other waste and scrap of glass except for glass from cathode-ray tubes and other activated glasses”	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable; (c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade; (d) The consent to operate under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (21 of 1981) and the Water (Prevention and Control Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid authorisation from concerned State Pollution Control Board is required; (e) The chemical analysis report of the waste being imported; (f) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year.”.
-----	--------	---	---

9. In the said rules, in Form 4,-

(i) after serial number 4 ending with the brackets and words “(product wise), wherever applicable, the following shall be inserted, namely: -

“4a. Import of wastes during the year (waste-wise), wherever applicable”;

(ii) in Part A, in the heading, for the words “hazardous waste generators”, the words

“hazardous waste generators or importers” shall be substituted.

10. In the said rules, in Form 7,—

(i) for serial number 3, and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely: -

“3. Description along with Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) or any other equivalent code where applicable or composition of the waste being imported and the quantity”;

(ii) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

“(5a). Name and address of authorised actual user (s): [Applicable for import of Basel No. B3020 (Paper, paperboard and paper product wastes);

(5b). Name and address of prospective actual user [Applicable for import of other wastes]”.

11. In the said rules, after Form 7, the following Form shall be inserted, namely: -

“FORM 7A

[See rule 13 (2) (c)]

FORM FOR GRANT OF ONE-TIME AUTHORISATION BY STATE POLLUTION CONTROL BOARD TO THE TRADERS WHO ARE IMPORTING THE WASTE MENTIONED IN PART D OF SCHEDULE III

1. **Number of Authorisation: ----**

2. **Reference:** Application form for authorisation of traders for import of waste as per Part D of SCHEDULE III, of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (**Unique application number**) dated -----

3. [Trader Name and Address], having storage locations at [.....], is hereby granted an authorisation for import, storage and trading of other wastes contained in Part D of SCHEDULE III as follows:

Sr.No.	Name and Basel No. of Other Waste as per the SCHEDULE III, Part D of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016	List and detailed address of actual or prospective users *	Quantity (ton/annum)

(Add additional rows as necessary)

* - Detailed list may be attached for each other waste.

4. This authorisation is granted as per the provisions of clause (c) of sub-rule (2) of rule 13, of Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

5. This authorisation is subject to the following general and specific conditions:-

A. General conditions:

(i) The authorised person shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and the rules made thereunder.

(ii) This authorisation shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the State Pollution Control Board.

(iii) The person authorised shall not import, store and trade in the imported other wastes other than those wastes permitted through this authorisation.

- (iv) Authorised person shall intimate the State Pollution Control Board regarding change in the storage location or closure of storage facility.
- (v) The waste which gets generated during storage and trading of imported other wastes shall be treated and disposed of as per prevailing regulations.
- (vi) The importer shall bear the cost of import and mitigation of damages if any caused during the process of import, storage and trading.
- (vii) Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the Central Pollution Control Board, as the case may be, from time to time.
- (viii) Annual return as per FORM 4 shall be filed by June 30th for the period ensuring 31st March of the year.
- (ix) The Authorised Trader shall be responsible to obtain other statutory permissions as may be required.

B. Specific conditions with respect to storage and handling of Other Waste:

(As may be specified by the Issuing Authority)

Date:

Signature of Issuing Authority

Designation and Seal'

[F. No. 23/49/2021 - HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; number G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019; number G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020 and number G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237454
CG-DL-E-22072022-237454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]
No. 520]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ 30, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 593(अ).—अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रारूप विनियम को अंतर्विष्ट करने वाली प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5497(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 दिसंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अंतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) संशोधन, नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:
“(4) अपशिष्ट टायर का उपयोग और प्रबंधन अनुसूची IX में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।”
3. उक्त नियमों में, अनुसूची VIII के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

‘अनुसूची IX

[नियम 9(4) देखें]

अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)

1. **परिभाषाएं – इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए -**
 - (क) ‘कारबार’ से नए टायरों के उत्पादन या विनिर्माण या विक्रय के कोई क्रियाकलाप, नए या अपशिष्ट आयात, नए टायरों के साथ फिट किए गए यानों का आयात, घरेलू स्तर पर विक्रीत यानों में उपयोग के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा नए टायरों का आयात या अपशिष्ट टायरों के पुनःचक्रीकरण अभिप्रेत है।
 - (ख) ‘संपरिवर्तन कारक’ से पुनर्चक्रण के प्रत्येक अंत्य उत्पाद की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक अपशिष्ट टायर की इकाइयां अभिप्रेत हैं।
 - (ग) ‘अपशिष्ट टायर के पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन’ से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाना अभिप्रेत है कि अपशिष्ट टायर को इस ढंग से प्रबंधित किया जाए कि ऐसे अपशिष्ट टायर से होने वाले किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो सके।
 - (घ) ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व’ से टायर के उत्पादक का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार अपशिष्ट टायर के पर्यावरणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है।
 - (ङ) ‘उत्पादक’ से कोई दृष्टि से व्यक्ति या निकाय अभिप्रेत है जो;
 - (i) घरेलू स्तर पर नए टायरों का विनिर्माण करता है और बेचता है; या
 - (ii) अन्य विनिर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विनिर्मित नए टायर अपने स्वयं के ब्राण्ड के अधीन घरेलू स्तर पर बेचता है; या
 - (iii) आयातित नए टायरों को बेचता है; या
 - (iv) नए टायरों सहित फिट किए गए यानों का आयात करता है; या
 - (v) घरेलू स्तर पर विक्रीत नए वाहनों में उपयोग के लिए नए टायरों का आयात वाला ऑटोमोबाइल विनिर्माता; या
 - (vi) अपशिष्ट टायर का आयात करता है;
 - (च) ‘पुनःचक्रीकरण’ से टायर अपशिष्ट को निम्नलिखित अंत्य उत्पादों में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति से संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया या कार्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रियाओं या मार्गदर्शक सिद्धांत में यथोल्लिखित सुविधाएं रखना अभिप्रेत है, अर्थात् :
 - क) पुनः प्राप्त रबड़
 - ख) अवचूर्ण रबड़
 - ग) अवचूर्ण रबड़ से संशोधित बिटूमेन (सीआरएमबी)

- घ) पुनः प्राप्त कार्बन ब्लैक, जो नए टायर के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने योग्य है
- ङ) पाइरोलिसिस तेल/चार, जो केवल ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है न कि नए टायर के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में।
- (छ) 'पुनर्चक्रक' से पुनःचक्रीकरण की प्रक्रिया में संलग्न किसी व्यक्ति या निकाय से अभिप्रेत है।
- (ज) 'पुनःचक्रीकरण लक्ष्य' से इस अनुसूची के पैरा 6 के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रित किए जाने वाले अपशिष्ट टायर की मात्रा अभिप्रेत है।
- (झ) 'मानक प्रचालन प्रक्रिया' से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनिर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत हैं जो उपकरणों और प्रक्रियाओं की न्यूनतम अपेक्षा को सुसंपादित करने के लिए है।
- (ञ) 'मार्गदर्शक सिद्धांत' से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत हैं जो अपशिष्ट टायरों के पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ ढंग से प्रबंधन, जिसमें अपशिष्ट टायर की संभलाई, एकत्रीकरण, परिवहन और भंडारण तथा पुनः चक्रीकरण सम्मिलित है, की न्यूनतम अपेक्षा को सुसंपादित करने के लिए किया गया है।
- (ट) 'पोर्टल' से पैरा 9 के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन प्रणाली है।
- (ठ) 'रिट्रेडिंग' से एक अच्छी संरचनात्मक गुणवत्ता वाले खराब हो चुके टायर के ऊपरी हिस्से और साइड वॉल रबर के नवीनीकरण की प्रक्रिया अभिप्रेत है।
- (ड) 'अपशिष्ट टायर' से ट्यूब और फ्लैप सहित ऐसा टायर जिसे अब किसी यान में नहीं लगाया जाता है और जिसका उपयोग अब आशयित प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

2. लागू होना - इस अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित इकाइयों पर लागू होंगे, अर्थात्

- (i) उत्पादक
- (ii) अपशिष्ट टायर का पुनर्चक्रक; और
- (iii) रीट्रेडर

3. रजिस्ट्रीकरण - (1) पैरा 2 में निर्दिष्ट इकाइयों को पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।

- (2) कोई इकाई रजिस्ट्रीकरण के बिना कोई भी कारोबार नहीं करेगी।
- (3) उप-पैरा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाई किसी अरजिस्ट्रीकृत उत्पादक/पुनर्चक्रक के साथ कारोबार नहीं करेगी।
- (4) यदि, कोई रजिस्ट्रीकृत इकाई, इस अनुसूची के अधीन उपबंधित या प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण या विवरणी या रिपोर्ट या सूचना प्राप्त करने के लिए मिथ्या जानकारी या जानकारी जानबूझकर छिपाता है या किसी अनियमितता के मामले में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसी इकाई के रजिस्ट्रीकरण को उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिसंहत किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त, पैरा 10 के अनुसार ऐसे मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभार भी लगाए जा सकते हैं।
- (5) यदि कोई इकाई पैरा 3 के अधीन एक से अधिक प्रवर्ग में सम्मिलित होने की स्थिति में है, तो वह इकाई उन प्रवर्गों के लिए पृथक रूप से रजिस्टर करायेगी।
- (6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति के अनुमोदन से समय-समय पर जो विनिर्दिष्ट किए जाए ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस आवेदकों पर प्रभारित कर सकेगा।

4. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था की पद्धतियां – (1) सभी उत्पादकों पर निम्नानुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताएं होंगी, अर्थात्:

(क) नए टायरों के विनिर्माताओं या आयातकों के लिए:

क्र.सं.	वर्ष	वजन में अपशिष्ट टायर पुनःचक्रीकरण लक्ष्य (किलोग्राम या टन)
(1)	(2)	(3)
(i)	वर्ष 2022-23 की ईपीआर बाध्यता (वर्ष जिसमें यह अनुसूची प्रवृत्त है)	वर्ष 2020-21 में विनिर्मित या आयातित नए टायरों की मात्रा का 35%
(ii)	वर्ष 2023-24 की ईपीआर बाध्यता	वर्ष 2021-22 में विनिर्मित या आयातित नये टायरों की मात्रा का 70%
(iii)	वर्ष 2024-25 की ईपीआर बाध्यता	वर्ष 2022-23 में विनिर्मित या आयातित नये टायरों की मात्रा का 100%
(iv)	वर्ष 2024-25 (वर्ष वाई) के पश्चात, वर्ष (वाई-2) में विनिर्मित या आयातित नए टायरों की मात्रा का 100% विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता होगी।	
(v)	तारीख 1 अप्रैल, 2022 के पश्चात् स्थापित इकाइयों के लिए, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता दो वर्ष (वाई) के पश्चात शुरू होंगे और वर्ष (वाई-2) में विनिर्मित या आयातित नए टायरों की मात्रा के 100% होगी।	

(ख) अपशिष्ट टायर आयातक के लिए:

- वर्ष (वाई) में अपशिष्ट टायर के आयातक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता वर्ष (वाई-1) में आयातित टायर का 100% होगी।
- पाइरोलिसिस तेल/चार के उत्पादन के प्रयोजन से अपशिष्ट टायर का आयात प्रतिषिद्ध है।

(2) रिट्रेडिंग:

- अपशिष्ट टायर पर रिट्रेडिंग को अनुमति प्रदान की जाएगी और रिट्रेडर को रिट्रेडिंग प्रमाणपत्र के प्रचालन के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत होना होगा।
- रिट्रेडिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को अपशिष्ट टायर की तत्स्थानी मात्रा के लिए एक वर्ष के लिए आस्थगित किया जाएगा;
परंतु बाध्यता रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से केवल इनके निपटान के पश्चात ही निर्वापित हो जाएगी।

(3) उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्य टायर के टूट-फूट के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकिथत कारक के आधार पर कम किया जाएगा।

- उत्पादक अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को केवल रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रकों से ईपीआर प्रमाण-पत्र की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से पूरा करेगा और तिमाही विवरणी फाइल करके पोर्टल पर इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।
- तिमाही विवरणी उस तिमाही के समाप्त होने के बाद उत्तरवर्ती माह के अंत तक फाइल किया जाएगा।
- उत्पादकों और रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रकों द्वारा प्रदत्त ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर पुनः जांच की जाएगी।
- अंतर होने के मामले में उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की पूर्ति के लिए निम्नतर अंक पर विचार किया जाएगा।

(v) इस पैरा में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा पर्यावरण लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस अनुसूची के उपबंधों के कड़े अनुसरण में मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार करेगा।

5. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र का सृजन - (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के पक्ष में पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र सृजित करेगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र का सृजन करने के लिए पात्र मात्रा की निम्नानुसार सारणी की संगणना की जाएगी, अर्थात् :

सारणी

क्र.सं.	पुनर्चक्रण का अंत्य उत्पाद	अंत्य उत्पाद की मात्रा (QP)	सीपीसीबी द्वारा अवधारित संपरिवर्तन कारक (CF)	अंत्य उत्पाद को आबंटित अधिमान (WP)	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र के सृजन के लिए पात्र मात्रा (QEPR = QP x CF x WP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुधारा हुआ रबर			1.30	
2.	पुनः प्राप्त कार्बन ब्लैक नए टायर के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने योग्य			1.25	
3.	क्रम्व रबर मोडिफाइड बिटुमन (सीआरएमबी)			1.10	
4.	क्रम्व रबर			1.00	
5.	प्रोलाइसिस ऑयल एंड चार (केवल ईंधन के रूप में उपयोग करने योग्य और नए टायर के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं)				
	(i) निरंतर पायरोलिसिस पद्धति से निकाला गया			0.80	
	(ii) बैच पायरोलिसिस पद्धति से निकाला गया			0.50	

(2) निर्देश-निबंधन – उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट सारणी के प्रयोजन के लिए -

(i) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का सृजन करने के लिए पात्र मात्रा की निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणना की जाएगी, अर्थात् :

$$QEPR = QP \times CF \times WP$$

(ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक अंत्य उत्पाद का संपरिवर्तन कारक CF अवधारित किया जाएगा।

- (iii) प्रौद्योगिकीय उन्नतियों, सामग्री की उपलब्धता और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए विषय निर्वाचन समिति द्वारा समय-समय पर अधिमान WP की पुनर्विलोकित की जाएगी।
- (iv) आयातित अपशिष्ट टायरों के लिए अधिभार WP सभी प्रवर्गों के लिए 1 रहेगा और अपशिष्ट टायरों के आयतकों द्वारा खरीदे गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों को उनकी ईपीआर बाध्यता के अनुसार समायोजित किए जाने की स्थिति में अपशिष्ट टायर प्रमाण-पत्र के मान को संबंधित प्रमाण-पत्रों के WP द्वारा विभाजित करके कम किया जाएगा।
- 3 (क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता, वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के लिए होगी जिसमें इसको सृजित किया गया था।
- (ख) अवसित प्रमाण-पत्र, उक्त अवधि के पश्चात स्वतः ही निर्वापित हो जाएगा जब तक कि पैरा 7 के उप पैरा (2) के अनुसार पहले ही निर्वापित न कर दिया हो।
- 4 (क) प्रत्येक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र के लिए सृजन का वर्ष, अंत्य उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रणकर्ता को कोड और एक विशिष्ट कोड से युक्त एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी।
- (ख) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र 100, 200, 500 और 1000 मीट्रिक टन के या पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति के अनुमोदन से जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिश्चय की जाए मूल्य वर्ग के होंगे।
6. **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का संव्यवहार - (1)** कोई उत्पादक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों को वर्तमान वर्ष (वर्ष बाई) की अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता के साथ ही पूर्ववर्ती वर्षों के शेष दायित्व और वर्तमान वर्ष के दायित्व के 10 प्रतिशत हिस्से की सीमा तक खरीद सकता है।
- (2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को उत्पादकों द्वारा तिमाही आधार पर आनुपातिक रूप से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदकर पूरा करना होगा।
- (3) जैसे ही उत्पादक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र की खरीद करता है, वैसे ही यह इसके दायित्व के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाएगा तथा पूर्ववर्ती दायित्व को इस समायोजन में प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रकार समायोजित ईपीआर प्रमाण-पत्र स्वतः निर्वापित और रद्द हो जाएगा।
- (4) प्रत्येक उत्पादक/पुनर्चक्रणकर्ता के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र की उपलब्धता, अपेक्षा और अन्य ब्यौरे पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाएंगे।
- (5) ऐसे सभी संव्यवहार को अभिलिखित किया जाएगा और उत्पादकों या पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा तिमाही विवरणियों को भरते समय ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
7. **उत्पादक के उत्तरदायित्व - (1)** उत्पादक केवल रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्रों की खरीद करके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) उत्पादक इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूपों में उनके पोर्टल पर वार्षिक और तिमाही विवरणियों को, तिमाही, जिससे वह विवरणी संबंधित है, के बाद के महीने के अंत तक या उससे पहले फाइल करे और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत इकाई को तिमाही विवरणी फाइल करनी होगी।
8. **पुनर्चक्रणकर्ता के उत्तरदायित्व-(1)** सभी पुनर्चक्रणकर्ताओं को उपयोग किए गए अपशिष्ट टायरों और तैयार किए गए अंत्य उत्पाद की मात्रा, बेचे गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र से सुसंगत सूचना और ऐसी अन्य संबद्ध सूचना को पोर्टल पर मासिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा।
- (2) सभी पुनर्चक्रणकर्ता, विनिर्दिष्ट प्ररूप में उनके पोर्टल पर वार्षिक और तिमाही विवरणियों को, तिमाही, जिससे वह विवरणी संबंधित है, के बाद के महीने के अंत तक या उससे पहले फाइल करेगा।

9. रजिस्ट्रीकरण, वार्षिक विवरणियों को भरने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और सामग्रियों का पता लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण और साथ-साथ तिमाही विवरणियों भरने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र को सृजित और समायोजित करने तथा पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा मासिक सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने हेतु एक पोर्टल विकसित करेगा।
- (2) यह पोर्टल, अपशिष्ट टायरों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन के लिए इस अनुसूची के उपबंधों के संबंध में एकल बिंदु आंकड़ा संग्रह के रूप में कार्य करेगा और इससे निम्नलिखित सूचना उपलब्ध होगी, अर्थात् :
- उत्पादक के लिए- अलग-अलग वर्षों के नए टायरों का आयात या उत्पादन, अपशिष्ट/नए टायरों की मात्रा, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र की खरीद के संबंध में तिमाही विवरणी, प्रत्येक वर्ष के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता का समायोजन, वर्तमान वर्ष की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता और पूर्ववर्ती वर्षों की अग्रणीत बाध्यता।
 - पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए- पुनर्चक्रित सामग्री और अंत्य उत्पाद संबंधी सूचना और मात्रा प्रस्तुत करने के लिए सुविधा तथा सृजित किए गए और बेचे गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपशिष्ट टायर के आयातक के मामले में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के मान को इसे WP द्वारा विभाजित करके कम किया जाए।
 - इस पोर्टल में विभिन्न उत्पादकों की वर्तमान अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता, पुनर्चक्रणकर्ताओं के पास विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र की मात्रा और उत्पादकों के पास अतिशेष ईपीआर प्रमाण-पत्रों से संबंधित सूचना उपलब्ध होगी।
 - पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति के अनुमोदन से इस अनुसूची के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य सुविधा।
- (3) पोर्टल को विकसित किए जाने तक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्यकलाप ऑफलाइन रीति से किए जाएंगे।
- (4) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए सभी सुसंगत प्ररूपों या विवरणियों का प्रारूप विनिर्दिष्ट करेगा।
- (5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पोर्टल के माध्यम से उत्पादक और पुनर्चक्रणकर्ताओं से पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये ऐसी प्रसंस्करण या रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित करेगा।
10. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अनुसूची में उपवर्णित बाध्यताओं को पूरा न करने और गलत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र के उपयोग के मामले में उत्पादकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने और संग्रहीत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकृत करेगा। उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत इस अनुसूची के अनुसार होंगे तथा पैरा 13 के अधीन गठित विषय निर्वाचन समिति द्वारा अनुमोदित होंगे और कार्यान्वयन से पहले केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।
- (2) गलत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने और गलत जानकारी उपलब्ध कराने पर पुनर्चक्रणकर्ताओं से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी उद्गृहीत की जाएगी।
- (3) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और ऐसी किसी इकाई से भी उद्गृहीत किया जाएगा जो इस अनुसूची के उपबंधों के उल्लंघन में सहायता या दुष्प्रेरण करती है।
- 4(क) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदाय इस अनुसूची में उपवर्णित बाध्यताओं से उत्पादकों को मुक्त नहीं करेगा और किसी विशेष वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता को अगले वर्ष तक और इस प्रकार से 3 वर्ष तक अग्रणीत किया जाएगा।

(ख) यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की कमी को 1 वर्ष के बाद दूर किया जाता है, तो उद्गृहीत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 85% उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा, यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की कमी को दूसरे वर्ष के बाद दूर किया जाता है तो, उद्गृहीत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 60% उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा और यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की कमी को तीसरे वर्ष के बाद दूर किया जाता है, तो उद्गृहीत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 30% उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा, तत्पश्चात् उत्पादकों को कोई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वापस नहीं की जाएगी।

(5) गलत जानकारी के परिणामस्वरूप वास्तविक पुनर्चर्कित अपशिष्ट के 5% से अधिक पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्रों का सृजन अधिक होने के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत का प्रतिसंहरण हो जाएगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण हो जाएगा जो वापिसी योग्य नहीं होगा।

(6) (क) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अधीन एकत्रित निधियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पृथक से निलंब लेखा (एसक्रो अकाउंट) में रखा जाएगा और संग्रहण में उपयोगित किया जाएगा और एकत्र न किए गए ऐसे अपशिष्ट टायर, जिन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की जाती है – जिनका जीवन चक्र समाप्त हो गया है या पुनर्चक्रणीय, के निपटान और ऐसे टायर, जिनका जीवन चक्र समाप्त नहीं हुआ है/गैर-पुनर्चक्रणीय, के निपटान और एकत्रण में संग्रहित की गई निधियों का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा उक्त विषय निर्वाचन समिति अनुच्छेद 13 के अधीन गठित द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

(ख) विषय निर्वाचन समिति द्वारा निधियों के उपयोग के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश की जाएगी और उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो इस संबंध में अनुदेश भी जारी कर सकता है।

11. **अभियोजन** - ऐसे किसी भी व्यक्ति, जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन अपेक्षित जानकारी को गलत उपलब्ध कराता है, किसी भी तरीके से गलत या कूटचित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र का उपयोग करता है या हेतु बनता है, वास्तविक पुनर्चर्कित अपशिष्ट के 5% से अधिक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र सृजित करता है, जान बूझकर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अधीन अभियोजित किया जा सकता है और यह अभियोजन उपरोक्त पैरा 10 के अधीन उद्गृहीत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा।
12. **सत्यापन और लेखा परीक्षा** - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से उत्पादकों या पुनर्चक्रणकर्ताओं के अनुपालन को उचित समझे जाने पर सत्यापित करेगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्य, बाध्यताओं और उत्तरदायित्वों को पूरा न करने और उसके उल्लंघनों पर पैरा 10 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
13. **अपशिष्ट टायर के लिए ईपीआर व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए विषय निर्वाचन समिति** - (1) अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी व्यवस्था के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके नामिती अध्यक्ष की अध्यक्षता में विषय निर्वाचन समिति होगी और अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात्:
 - क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
 - ख) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का एक प्रतिनिधि।
 - ग) ऑटोमोबाइल टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि।
 - घ) रिसाइकलर्स एसोसिएशन (अर्थात् पुनर्निर्मित रबर, क्रम्ब रबर, क्रम्ब रबर मोडिफाइड बिटुमन, पुनःप्राप्त कार्बन ब्लैक और टायर पायरोलिसिस ऑयल मैनुफैक्चर्स) के विनिर्माता का एक प्रतिनिधि।
 - ङ) विषय निर्वाचन समिति के अध्यक्ष द्वारा सथासहयोजित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक प्रतिनिधि।

- च) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित प्रभाग के प्रमुख - सदस्य संयोजक।
- (2) विषय निर्वाचन सीमित कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगी और समय-समय पर उदभूत विवादों को इस संबंध में प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों पर विनिश्चय करेगी।
- (3) विषय निर्वाचन समिति केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रौद्योगिक उन्नति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्चक्रण के तरीकों के लक्ष्य, महत्व और अनुमेयता का पुनर्विलोकन और संशोधन करेगी।
- (4) विषय निर्वाचन समिति इस अनुसूची के उपबंधों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जो वह उचित समझे ऐसे सभी उपाय करेगी।

[फा. सं. 09/6/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 395(अ) तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 177(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017, सा.का.नि. 544(अ), तारीख 11 जून, 2018, सा.का.नि. 178(अ), तारीख 1 मार्च, 2019, सा.का.नि. 641(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2020, सा.का.नि. 47(अ), तारीख 27 जनवरी, 2021 और सा.का.नि. 798(अ), तारीख 12 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

G.S.R. 593(E).—Whereas the draft notification containing the draft Regulations on Extended Producer Responsibility for Waste Tyre were published, by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide notification number S.O. 5497 (E), dated the 31st December, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public on the 31st day of December, 2021;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
“(4) The utilisation and management of waste tyre shall be in accordance to the provisions contained in Schedule IX.”
3. In the said rules, after Schedule VIII, the following Schedule shall be inserted, namely: -

‘SCHEDULE IX**[See rule 9 (4)]****Extended Producer Responsibility (EPR) for Waste Tyre****1. Definitions. – For the purposes of this Schedule, -**

- (a) “business” means any activity of production or manufacturing or sale of new tyre, import of new or waste tyre, import of vehicle fitted with new tyre, import of new tyre by automobile manufacturer for use in vehicle sold domestically and recycling of waste tyre;
- (b) “conversion factor” means units of waste tyre needed to produce one unit of each end product of recycling;
- (c) “environmentally sound management of waste tyre” means taking all steps required to ensure that waste tyre is managed in a manner so as to protect health and environment against any adverse effects which may result from such waste tyre;
- (d) “extended producer responsibility” means responsibility of producer of tyre to ensure environmentally sound management of waste tyre in accordance with the provisions of this Schedule;
- (e) “producer” means any person or entity who, -
 - (i) manufactures and sells new tyre domestically; or
 - (ii) sells domestically under its own brand, new tyre manufactured by other manufacturers or suppliers; or
 - (iii) sells imported new tyre; or
 - (iv) imports vehicles fitted with new tyres; or
 - (v) automobile manufacturers importing new tyre for use in new vehicles sold domestically; or
 - (vi) imports waste tyre;
- (f) “recycling” means any process or action of converting waste tyre into following end products, in an environmentally sound manner and having facilities as elaborated in the standard operating procedure or guidelines as specified by the Central Pollution Control Board, namely; -
 - (i) reclaimed rubber;
 - (ii) crumb rubber;
 - (iii) crumb rubber modified bitumen (CRMB);
 - (iv) recovered carbon black, which is usable as raw material for manufacture of new tyre; and
 - (v) pyrolysis oil or Char, which is used only as a fuel and not as raw material for manufacture of new tyre;
- (g) “recycler” means any person or entity engaged in the process of recycling;
- (h) “recycling target” means quantity of waste tyre to be recycled as per the provisions of paragraph 6 of this Schedule;
- (i) “standard operating procedure” means the document specified by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirement of equipment and processes;
- (j) “guidelines” means the document specified by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirement for achieving environmentally sound management of waste tyres including handling, collection, transportation and storage and recycling of waste tyre;
- (k) “portal” means the online system developed by the Central Pollution Control Board under

paragraph 9;

- (l) “retreading” means process of renewal of tread and side wall rubber of a worn out tyre having a good structural quality; and
- (m) “waste tyre” means any tyre, including tubes and flaps that is no longer mounted on a vehicle and is no longer used for its intended purpose.

2. Application. - The provisions of this Schedule shall be applicable to the following entities, namely: -

- (i) producer;
- (ii) recycler of waste tyre; and
- (iii) retreader.

3. Registration. - (1) The entities referred in paragraph 2 shall register on the portal.

- (2) No entity shall carry out any business without registration.
- (3) The entities registered under sub-paragraph (1) shall not deal with any unregistered producer or recycler.
- (4) In case, any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for getting registration or return or report or information required to be provided or furnished under this Schedule or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to three years after giving an opportunity of being heard and in addition, environmental compensation charges may also be levied in such cases as per paragraph 10.
- (5) In case any entity is covered in more than one category under paragraph 3, then the said entity shall register under those categories separately.
- (6) The Central Pollution Control Board may charge such registration fees from the applicants as may be specified from time to time with the approval of the steering committee constituted under paragraph 13.

4. Modalities of extended producer responsibility regime. - (1) All producers shall have the following extended producer responsibility obligations, namely: -

(a) For manufacturers or importers of new tyres: -

Sl. No.	Year	Waste Tyre Recycling Target in Weight (Kilogram or Tons)
(1)	(2)	(3)
(i)	EPR obligation of the year 2022-2023 (the year in which this Schedule comes into force)	35% of the quantity of new manufactured or tyres imported in year 2020-2021
(ii)	EPR obligation of the year 2023-2024	70% of the quantity of new manufactured or tyres imported in year 2021-2022
(iii)	EPR obligation of the year 2024- 2025	100% of the quantity of new manufactured or tyres imported in year 2022-2023.
(iv)	After the year 2024-2025 (year Y), the extended producer responsibility obligation shall be 100% of the quantity of new tyres manufactured or imported in the year (Y-2).	
(v)	Units established after the 1st April, 2022, the extended producer responsibility obligation shall start after two years (Y) and shall be 100% of the new tyres manufactured or imported in the year (Y-2).	

(b) For waste tyre importer: -

- (i) The extended producer responsibility obligation for waste tyre importer in year (Y) shall be 100% of the tyre imported in year (Y-1)
- (ii) The import of waste tyre for the purpose of producing pyrolysis oil or char is prohibited.

(2) Retreading: -

- (i) The waste tyre shall be allowed for retreading and a retreader shall have to get registered on the portal for issuance of retreading certificates.
- (ii) On production of retreading certificates, the extended producer responsibility obligation shall be deferred by one year for the corresponding quantity of waste tyre:

Provided that the obligation shall be extinguished only after end of life disposal through a registered recycler.

- (3) The extended producer responsibility target of producer shall be reduced by a factor laid down by the Central Pollution Control Board on account of wear and tear of tyres.
- (4)
 - (i) The producer shall fulfill their extended producer responsibility obligation through online purchase of extended producer responsibility certificate from registered recyclers only and submit it online on the portal by filing quarterly return.
 - (ii) The quarterly return shall be filed by the end of the month succeeding the end of the quarter.
 - (iii) The details provided by producers and registered recyclers shall be cross-checked on the portal.
 - (iv) In case of difference, the lower figure shall be considered towards fulfilment of extended producer responsibility obligation of producer.
 - (v) The certificates referred to in this paragraph shall be subject to environmental audit by the agencies authorised by the Central Government in this regard.
- (5) The Central Pollution Control Board shall specify the standard operating procedure strictly in accordance with the provisions of this Schedule.

- 5. Extended producer responsibility certificate generation.** - (1) The Central Pollution Control Board shall generate extended producer responsibility certificate through the portal in favor of a registered recycler and the eligible quantity for generating extended producer responsibility certificates shall be calculated as per the following table, namely: -

TABLE

Sl. No.	End Product of recycling	Quantity of End Product (Q_p)	Conversion factor determined by CPCB (C_F)	Weightage allocated to the end product (W_P)	Quantity eligible for generation of extended producer responsibility certificate ($Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Reclaimed Rubber			1.30	
2.	Recovered Carbon Black usable as raw material for manufacture of new tyre.			1.25	
3.	Crumb rubber Modified Bitumen (CRMB)			1.10	

4.	Crumb rubber			1.00	
5.	Pyrolysis oil and char (usable as fuel only and not as raw material for manufacture of new tyre)				
	(i) extracted from continuous pyrolysis method			0.80	
	(ii) extracted from batch pyrolysis method			0.50	

(2) **Term of Reference. - For the purpose of the Table referred to in sub-paragraph (1), -**

- (i) the quantity eligible for generation of extended producer responsibility certificate shall be calculated as per the following formula, namely: -

$$Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P ;$$

- (ii) conversion factor C_F for each end product shall be determined by the Central Pollution Control Board;
- (iii) the weightage W_P shall be reviewed by the Steering Committee from time to time in view of the technological advancements, availability of material and other factors;
- (iv) the weightage W_P for imported waste tyres shall be 1 for all categories and the value of waste tyre certificate shall be reduced by dividing it by W_P of respective certificates when the extended producer responsibility certificates purchased by waste tyre importer are adjusted against their EPR obligation.
- (3) (a) The validity of the extended producer responsibility certificate shall be two years from the end of the financial year in which it was generated.
(b) The expired certificate automatically extinguished after the period unless extinguished earlier as per sub-paragraph (2) of paragraph 7.
- (4) (a) Each extended producer responsibility certificate shall have a unique number containing year of generation, code of end product, recycler code and a unique code.
(b) The extended producer responsibility certificates shall be in the denominations of 100, 200, 500 and 1000 Metric Tonnes or as may be decided by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee constituted under paragraph 13.

6. Transaction of extended producer responsibility certificates. - (1) A producer can purchase extended producer responsibility certificates limited to its extended producer responsibility liability of current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus 10% of the current year liability.

- (2) The extended producer responsibility obligation shall have to be fulfilled by the producers by proportionately purchasing extended producer responsibility certificate on quarterly basis.
- (3) As soon as the producer purchases extended producer responsibility certificate, it shall be automatically adjusted against its liability, priority in adjustment shall be given to earlier liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.
- (4) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate for every producer or recycler shall be made available on the portal.
- (5) All such transactions shall be recorded and submitted by the producers or recyclers on the portal at the time of filing quarterly returns.

7. **Responsibilities of the producer.** - (1) The producer shall be responsible for fulfillment of extended producer responsibility by purchasing extended producer responsibility certificates from registered recyclers only.
- (2) The producer shall be responsible to file annual and quarterly returns in the forms as specified by the Central Pollution Control Board on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the return relates and each registered entity shall have to file the quarterly return.
8. **Responsibilities of the recycler.** - (1) All the recycler shall submit on monthly basis the information regarding quantity of waste tyres used and end product produced, extended producer responsibility certificate sold and such other relevant information on the portal.
- (2) All the recycler shall file annual and quarterly returns in the Form as specified on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the return relates.
9. **Portal for registration, filing of annual returns, extended producer responsibility certificate and tracing of materials.** - (1) The Central Pollution Control Board shall develop the portal to establish an online system for the registration and filing of quarterly returns, generation and adjustment of extended producer responsibility certificate and submission of monthly information by recyclers.
- (2) The portal shall act as the single point data repository with respect to the provisions of this Schedule for implementation of extended producer responsibility for waste tyre and contain the following information, namely: -
- (i) **For producer.** - import or production of new tyres of different years, quantity of waste or new tyres, quarterly return in respect of extended producer responsibility certificate purchase, adjustment of extended producer responsibility obligation for each year, the current year extended producer responsibility obligation and brought forward obligation of preceding years.
- (ii) **For recyclers.** - facility for submitting information and quantity of recycled material and end product, extended producer responsibility Certificate generated and sold and ensure that value of extended producer responsibility is reduced by diving it by W_p in case of waste tyre importer.
- (iii) The portal shall provide information with respects to current unfulfilled extended producer responsibility obligations of different producers, the quantity of extended producer responsibility certificate with recyclers and surplus extended producer responsibility certificate with producers.
- (iv) Any other facility which is required to streamline the implementation of the provisions of this Schedule with the approval of the Steering Committee constituted under paragraph 13.
- (3) Till the time the portal is developed, all activities related to implementation of extended producer responsibility shall be done in off-line manner.
- (4) The Central Pollution Control Board shall specify the formats of all the relevant forms or returns for the extended producer responsibility in accordance with the provisions of this Schedule.
- (5) The Central Pollution Control Board may charge such processing or registration fee from the producer and recyclers through portal as may be specified from time to time by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee constituted under paragraph 13.
10. **Environmental Compensation.** - (1) The Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on the producers in case of non-fulfilment of obligations set out in this Schedule and use of false extended producer responsibility certificate and the said guidelines shall be in accordance with the provisions of this Schedule and shall require to be approved by the Steering Committee constituted under paragraph 13 and Central Government before implementation.

(2) The environmental compensation shall also be levied on the recyclers for issue of false extended producer responsibility certificate and providing false information.

(3) The environmental compensation shall also be levied on unregistered producers, recyclers and any entity which aids or abets the violation of the provisions of this Schedule.

(4) (a) The payment of environmental compensation shall not absolve the producers from the obligation set out in this Schedule and the unfulfilled extended producer responsibility obligation for a particular year shall be carried forward to the next year and so on and up to three years.

(b) In case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after first year, 85% of the environmental compensation levied shall be returned to the producers, and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after second year, 60% of the environmental compensation levied shall be returned to the producers, and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after third year, 30% of the environmental compensation levied shall be returned to the producers, thereafter no environmental compensation shall be returned to the producer.

(5) Any false information resulting in over generation of extended producer responsibility certificates by recycler above 5% of the actual recycled waste shall result in revocation of registration and imposition of environmental compensation which shall not be returnable.

(6) (a) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate escrow account by the Central Pollution Control Board and shall be utilised in collection and recycling or end of life disposal of uncollected and non-recycled or non-end of life disposal of waste tyres on which the environmental compensation is levied and on such other heads as decided by the said Steering Committee constituted under paragraph 13.

(b) modalities for utilisation of the funds shall be recommended by the Steering Committee and approved by the Central Government, which may also issue instructions in this regard.

- 11. Prosecution.** - Any person, who provides incorrect information for obtaining extended producer responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended producer responsibility certificates in any manner, over generates extended producer responsibility certificates above 5% of the actual waste recycled, willfully violates the directions given under the provisions of this Schedule or fails to co-operate in the verification and audit proceedings, may be prosecuted under section 15 of the Act and this prosecution shall be in addition to the environmental compensation levied under paragraph 10.
- 12. Verification and Audit.** - The Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of producers or recyclers through inspection and periodic audit, as deemed appropriate and the actions against violations and for non-fulfillment of extended producer responsibility target, obligations and responsibilities shall be in accordance with the provisions of paragraph 10.
- 13. Steering Committee for implementation of extended producer responsibility regime for waste tyre.** - (1) There shall be a Steering Committee under the Chairmanship of the Chairman, Central Pollution Control Board or his nominee to oversee the overall implementation of the extended producer responsibility regime for waste tyre and shall comprise of the following other members in addition to the Chairman, namely:
- one representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;
 - one representative of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade;
 - one representatives of the Automobile Tyre Manufacturers Associations;
 - one representatives of the Recycler Associations (viz. manufacturer of reclaimed rubber, crumb rubber, crumb rubber modified bitumen, recovered carbon black and tyre pyrolysis oilmanufacturers);
 - one representatives of the State Pollution Control Board or Pollution Control committee as co-opted by the Chairman of the Steering Committee;
 - Head of the Concerned Division of the Central Pollution Control Board – Member- Convener.

- (2) The Steering Committee shall monitor and supervise implementation of the provisions of this Schedule and shall decide the disputes arisen from time to time on the representations received in this regard.
- (3) The Steering Committee shall review and revise the targets, weightage and permissibility of modes of recycling in view of the technological advancements and other factors with the approval of the Central Government.
- (4) The Steering Committee shall take all such measures as it deems necessary for proper implementation of the provisions of this Schedule.’.

[F. No. 09/6/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016, G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017, G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018, G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019, G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020, G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021 and G.S.R. 798(E), dated 12th November, 2021.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092023-248814
CG-DL-E-18092023-248814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945

No. 535]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2023

सा.का.नि. 677(अ).—प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से अंतर्विष्ट प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 2 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 338(अ) के अधीन प्रकाशित की थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से साठ दिनों की समाप्ति से पूर्व आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां तारीख 02 मई, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक्तः विचार कर लिया गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्तनाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 है।
(2) वे 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे।
2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में संदर्भित), अध्याय VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'अध्याय VII

प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

25. परिभाषाएँ. – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, –

- (क) 'बेस ऑयल' से परिष्कृत स्नेहन (लुब्रिकेशन) तेल के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला तेल अभिप्रेत है;
- (ख) 'थोक उत्पादक' में ऑटोमोबाइल उद्योग या रेलवे या रक्षा प्रतिष्ठानों या परिवहन कंपनियों या औद्योगिक इकाइयों या बिजली पारेषण कंपनियों या होटलों एवं रेस्टोरेंटों आदि जैसी कोई भी इकाई अभिप्रेत है जो प्रति वर्ष 100 मीट्रिक टन से अधिक प्रयुक्त तेल का उत्पादन कर रही है;
- (ग) कारबार से बेस ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल के उत्पादन या निर्माण या बिक्री, बेस ऑयल के आयात, प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण की कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है;
- (घ) 'संग्रह स्थल' से उन क्षेत्रों और वह केंद्र अभिप्रेत है जहां इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया या दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकृत संग्रह अभिकर्ता प्रयुक्त तेल का संग्रह करेगा;
- (ङ.) 'संग्रह अभिकर्ता' से किसी भी व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो प्रयुक्त तेल का संग्रह करता है और पुनर्चक्रक को इसकी आपूर्ति करता है;
- (च) 'ऊर्जा-पुनःप्राप्ति'- से ऐसे प्रयुक्त तेल के ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने जाने वाली प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसका कि इन नियमों के अनुसार पुनश्चक्रण नहीं किया जा सकता है।
- (छ) 'प्रयुक्त तेल का पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन' से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाना अभिप्रेत है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रयुक्त तेल का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को ऐसे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके जो प्रयुक्त तेल के संग्रह, परिवहन और पुनः चक्रीकरण के दौरान हो सकते हैं;
- (ज) 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' से बेस ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल के उत्पादक या प्रयुक्त तेल के आयातक का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है जो कि केवल रजिस्ट्रीकृत पुनश्चक्रक के माध्यम से पुनश्चक्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है जिससे कि प्रयुक्त तेल का पर्यावरण की दृष्टि से कुशल प्रबंधन सुनिश्चित हो सके;
- (झ) 'मार्गदर्शक सिद्धांत' से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार और जारी किया गया किया गया एक दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें प्रयुक्त तेल के हथालन, संग्रह, परिवहन, भंडारण और पुनः चक्रीकरण सहित प्रयुक्त तेल के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए, न्यूनतम अपेक्षाओं का विवरण दिया गया है;

(ज) 'पोर्टल' से इस अध्याय के अनुपालन के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है;

(ट) 'उत्पादक' से प्रयुक्त की गई बिक्री तकनीक जैसे कि डीलर, रिटेलर, ई-रिटेलर आदि के निरपेक्ष किसी व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है जो-

- (i) अपने स्वयं के ब्रांड के अधीन घरेलू स्तर पर बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का निर्माण और बिक्री का प्रस्ताव करता है; या
- (ii) अन्य निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित बेस ऑयल का उपयोग करते हुए, अपने स्वयं के ब्रांड के अधीन घरेलू स्तर पर लुब्रिकेशन तेल बेचने का प्रस्ताव करता है; या
- (iii) आयातित बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल घरेलू स्तर पर बेचने का प्रस्ताव करता है;

(ठ) 'पुनः चक्रण' से इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) या दिशानिर्देशों में दिए अनुसार स्थापित केन्द्रों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल रीति से बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त तेल के पुनर्शोधन की कोई प्रक्रिया या प्रयुक्त तेल से ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(ड) 'पुनः शोधन' से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) या दिशानिर्देशों में दिए अनुसार प्रयुक्त तेल से अवांछित अशुद्धियों को हटाने और अंतिम उत्पाद के रूप में बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल बनाने की किसी प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(ढ) 'पुनः चक्रणकर्ता' से प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया में लगे किसी व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है;

(ण) 'पुनः चक्रण लक्ष्य' से नियम 27 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रित किए जाने वाले प्रयुक्त तेल की मात्रा अभिप्रेत है;

(त) 'मानक प्रचालन प्रक्रिया' से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उपकरण और प्रक्रियाओं की न्यूनतम आवश्यकता को विस्तार से बताने वाले निर्दिष्ट दस्तावेज़ अभिप्रेत है;

(थ) 'प्रयुक्त तेल' का वही अर्थ होगा जो इसके लिए उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (36) में दिया गया हो; और

(द) 'प्रयुक्त तेल के आयातक' से किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो प्रयुक्त तेल का आयात करता है।

26. रजिस्ट्रीकरण. - (1) निम्नलिखित इकाइयां इस पोर्टल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यहाँ अपना रजिस्ट्रीकरण करवा सकती हैं, यथा:-

- (क) उत्पादक
- (ख) संग्रह अभिकर्ता
- (ग) 'पुनः चक्रणकर्ता'
- (घ) प्रयुक्त तेल आयातक

(2) यदि कोई इकाई उप-नियम (1) के अधीन एक से अधिक श्रेणियों में आती है, तो उसे उक्त श्रेणियों के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण अलग-अलग कराना होगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई भी संस्था रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार नहीं कर सकेगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाइयां ऐसी किसी भी इकाई से कारबार नहीं करेगी जो कि उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो।

- (5) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था ऐसा विवरण या रिपोर्ट या जानकारी जिसे इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए या प्रदान करना या प्रस्तुत करना आवश्यक है, के संबंध में गलत सूचना देती है या सूचना जानबूझकर छुपाती है या किसी भी अनियमितता के मामले में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसी इकाई का रजिस्ट्रीकरण सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पांच वर्ष तक की अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त, नियम 39 के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जा सकता है।
- (6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण की मांग करने वाली इकाइयों से रजिस्ट्रीकरण शुल्क और वार्षिक अनुरक्षण शुल्क ले सकता है, जो उनके द्वारा उत्पादित, पुनर्चक्रित या उनके द्वारा संभाले गए प्रयुक्त तेल की मात्रा के आधार पर हो सकता है।

27. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पद्धतियां और इसके लक्ष्य. -

- (1) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में प्रयुक्त तेल के प्रबंधन के लिए प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित तरीके आते हैं :

- (i) पुनः शोधित बेस तेल या लुब्रिकेशन तेल का उत्पादन
(ii) ऊर्जा की पुनःप्राप्ति

- (2) सभी उत्पादक और प्रयुक्त तेल आयतकर्ता को नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों पूरा करेंगे और ऐसा करते हुए वे एकीकृत प्रयुक्त तेल प्रबंधन प्रणालियों, संग्रह केंद्रों, डीलरों जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों की सहायता ले सकते हैं:

परंतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व समग्र रूप से उत्पादक पर ही निहित होंगे।

सारणी

भाग-क

बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल के उत्पादकों के लिए लक्ष्य को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट किया गया है:-

क्र.सं.	वर्ष	प्रयुक्त तेल पुनः चक्रीकरण लक्ष्य
(1)	(2)	(3)
(i)	वर्ष 2024-2025 के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (वह वर्ष जिसमें यह अध्याय प्रवृत्त होती है)	वर्ष 2022-2023 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 5%
(ii)	वर्ष 2025-2026 के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2023-2024 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 10%
(iii)	वर्ष 2026-2027 का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2024-2025 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 20%
(iv)	वर्ष 2027-2028 का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2025-2026 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 20%
(v)	वर्ष 2028-2029 का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2026-2027 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 40%
(vi)	वर्ष 2029-2030 का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2027-2028 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 40%
(vii)	वर्ष 2030-2031 (वर्ष) के पश्चात् के संग्रह और पुनः चक्रीकरण लक्ष्य का विस्तारित उत्पादक	

	उत्तरदायित्व वर्ष (वर्ष-2) में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 50% होगा।
(viii)	1 अप्रैल 2024 के पश्चात् स्थापित ईकाइयों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, वित्तीय वर्ष, जिसमें ईकाई स्थापित की गई थी, के अंत से दो वर्षों की समाप्ति पर शुरू होगा और उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होगा।

भाग-ख

प्रयुक्त तेल आयातकों के लिए

- (i) वर्ष (व) में प्रयुक्त तेल आयातकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता वर्ष (व-1) में आयातित प्रयुक्त तेल का 100 प्रतिशत होगा।
- (ii) केवल पुनः शोधन उद्देश्य के लिए प्रयुक्त तेल के आयात की अनुमति है।
- (3) उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में किसी ऐसे कारक के द्वारा कमी की जा सकेगी जो कि बेस ऑयल के प्रचालन परक घाटे के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- (4) (i) उत्पादक केवल रजिस्ट्रीकृत पुनः चक्रणकर्ता से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पूरा करेंगे;
- (ii) उत्पादकों और रजिस्ट्रीकृत पुनः चक्रणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरणों की पोर्टल पर पुनः जांच की जाएगी; और
- (iii) अंतर होने के मामले में उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की पूर्ति के लिए निम्नतर अंक पर विचार किया जायेगा।
- (iv) प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसियों द्वारा पर्यावरण लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

28. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का सृजन. -

- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकृत पुनश्चक्रणकर्ता के पक्ष में पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र सृजित करेगा, जिसकी संगणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार की जाएगी-

सारणी

क्र.सं.	पुनः चक्रण का अंतिम उत्पाद	अंतिम उत्पाद को आवंटित अधिमान (Wp)
1.	पुनः शोधित बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का उत्पादन करना	1.0
2.	पुनःचक्रण के लिए अनुपयुक्त प्रयुक्त तेल के लिए सह-प्रसंस्करण/उपयोग/ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, अधिकतम अनुमेय प्रतिशत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	0.25

- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सारणी के प्रयोजन के लिए,-

- (i) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन के लिए पात्र मात्रा की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी अर्थात्:

$$Q_{EPR} = Q_p \times C_f \times W_p;$$

Q_{EPR} विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र के सृजन के लिए पात्र मात्रा है, Q_p अंतिम उत्पाद की मात्रा है और C_F रूपांतरण कारक (एक यूनिट आउटपुट के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट की मात्रा) है और W_p विशेष अंतिम उत्पाद के लिए अधिमान है

उदाहरण: यदि एक पुनःचक्रणकर्ता अंततः 100 टन पुनः शोधित (रि-रिफाईंड) तेल का उत्पादन करता है, और रूपांतरण कारक 1.5 है, तो उस वर्ष में उस पुनःचक्रणकर्ता के लिए पात्र ईपीआर (EPR) प्रमाणपत्र निम्नानुसार होगा:

$$Q_{EPR} = 100 \times 1.5 \times 1 \text{ (अधिमान)} = 150.0 \text{ टन}$$

- (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुनःचक्रणकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों और उत्पादित पुनः शोधित बेस ऑयल की गुणवत्ता के आधार पर प्रत्येक अंतिम उत्पाद रूपांतरण कारक C_F निर्धारित किया जाएगा;
- (iii) तकनीकी प्रगति, सामग्री की उपलब्धता का और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिमान W_p की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी;
- (3) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की वैधता उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष होगी जिसमें वह सृजित हुआ था और समाप्ति प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा अन्यथा इन नियमों के अनुसार इसकी अवधि पहले समाप्त न हो जाए।
- (4) प्रत्येक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का अपना एक अद्वितीय क्रमांक होगा जिसमें सृजन का वर्ष, अंतिम उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रणकर्ता का कोड और अद्वितीय कोड दिया हुआ होगा और यह 100, 200, 500, 1000 और 10,000 किलोग्राम के डिनोमिनेशन में होगा या उस डिनोमिनेशन में होगा जो कि नियम 42 के अधीन गठित संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।

29. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का संव्यवहार -

- (1) एक उत्पादक अपनी वर्तमान वर्ष (वर्ष व) की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयता के साथ-साथ पिछले वर्ष की शेष देयता तथा वर्तमान वर्ष की देयता के 10 प्रतिशत की सीमा तक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीद सकता है।
- (2) उत्पादकों और प्रयुक्त तेल आयातकों द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता को तिमाही आधार पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों को उचित अनुपात में खरीद कर पूरा किया जाना होगा।
- (3) जैसे ही उत्पादक और प्रयुक्त तेल के आयातक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदता है, यह स्वतः ही उसकी देयता के विरुद्ध समायोजित हो जाएगा, पूर्व देयता को प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रकार समायोजित किया गया विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र स्वयं समाप्त और रद्द हो जाएगा।
- (4) प्रत्येक उत्पादक या प्रयुक्त तेल के आयातक या पुनर्चक्रणकर्ता के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की उपलब्धता, अपेक्षा और अन्य ब्यौरे पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (5) उत्पादकों या प्रयुक्त तेल के आयातकों या पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इस अनुसूची के अधीन सभी लेने-देने का रिकार्ड रखा जाएगा और इसे पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबद्ध की गई अभिकरण के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की बिक्री या खरीद के लिए एक या एक से अधिक मंच को स्थापित किया जा सकेगा।

30. रजिस्ट्रीकरण, वार्षिक विवरणी फ़ाइल करने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र और सामग्री का पता लगाने के लिए पोर्टल-

- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ तिमाही और वार्षिक रिटर्न को फ़ाइल करने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र और किसी निकाय या व्यक्ति द्वारा उत्पादित या उत्पन्न तेल का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा जो एक ऐसे तंत्र को सुनिश्चित करेगी जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में किसी उत्पादक द्वारा बाजार में लाए गए ल्युब्रिकेशन ऑयल का वास्तविक संतुलन परिलक्षित होता हो;
- (2) यह पोर्टल प्रयुक्त तेल से संबंधित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के प्रबंधन और कार्यान्वयन से संबंधित एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा।
- (3) यह ऑनलाइन पोर्टल परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2023 के लागू होने की तारीख से छह माह के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा चालू कर दिया जाएगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से संबंधित सभी क्रियाकलाप ऑनलाइन रीति से ही किए जाएंगे।
- (4) इन अनुसूची के अधीन प्रयुक्त तेल के परिवहन के लिए मालसूची प्रणाली, उन इकाइयों के लिए लागू होगी जिनके लिए उक्त नियमावली के अधीन अधिप्रमाणन किया जाना अपेक्षित है।

31. उत्पादकों का उत्तरदायित्व. - बेस ऑयल या ल्युब्रिकेशन ऑयल के उत्पादक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे -

- (क) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण।
- (ख) नियम 27 के उप-नियम(2) के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा करना।
- (ग) अपनी वेबसाइट या विज्ञापनों या प्रलेखन के माध्यम से उपभोक्ता (ओं) को संपर्क विवरण जैसे पता, ई-मेल पता, टोल-फ्री टेलीफोन नंबर या हेल्पलाइन नंबर प्रदान करना जिससे प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- (घ) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में फ़ाइल करना।
- (ङ) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी अन्य माध्यम से जागरूकता सृजित करना।

32. प्रयुक्त तेल के आयातक का उत्तरदायित्व – प्रयुक्त तेल के आयातक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे-

- (क) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण।
- (ख) पोर्टल के माध्यम से नियम 27 के उप-नियम (2) के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा करना।
- (ग) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में फ़ाइल करना।

33. संग्रह अभिकर्ता का उत्तरदायित्व. - सभी संग्रह अभिकर्ताओं को -

- (क) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना है।
- (ख) इन नियमों के अनुसार उत्पादकों से प्रयुक्त तेल का संग्रह करके रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता या उत्पादक को आपूर्ति करना एवं पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी है।
- (ग) किसी तिमाही से संबंधित रिटर्न को उसके पश्चात् के महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में फ़ाइल करना है।
- (घ) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में फ़ाइल करना है।

34. पुनचक्रणकर्ता के उत्तरदायित्व – प्रयुक्त तेल के सभी पुनचक्रणकर्ताओं को -

- (क) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना है;
- (ख) यह सुनिश्चित करना है कि सुविधाएं तथा पुनः चक्रीकरण प्रक्रियाएं इन नियमों के अनुसार हैं;
- (ग) यह सुनिश्चित करना है कि प्रयुक्त तेल के भंडारण, परिवहन और पुनः चक्रीकरण के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे;
- (घ) यह सुनिश्चित करना है कि पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट का उक्त नियमावली के अनुसार ही निपटान किया जाता है;
- (ङ) किसी तिमाही से संबंधित रिटर्न को उसके पश्चात् के महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर विहित प्रारूप में फ़ाइल करना है।
- (च) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर विहित प्रपत्र में दर्ज करना है।

35. थोक उत्पादक के उत्तरदायित्व. - थोक उत्पादक-

- (क) संग्रह अभिकर्ता की सुविधा के लिए अपने परिसरों से प्रयुक्त तेल के संग्रहण और परिवहन हेतु संग्रह स्थल स्थापित करेंगे; और
- (ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न प्रयुक्त तेल को केवल पंजीकृत पुनचक्रणकर्ताओं या उत्पादकों या संग्रह अभिकर्ता को ही सौंपा जाए;

36. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व. -(1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे:-

- (क) पोर्टल का संचालन और रखरखाव तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन की निगरानी;
- (ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय;
- (ग) समय-समय पर इस अध्याय के अधीन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन, दायित्व के निर्वहन, रिटर्न हेतु तथा प्रयुक्त तेल के संग्रह, भंडारण, परिवहन, पुनः चक्रीकरण और इन नियमों के सुगम कार्यान्वयन के लिए अन्य मुद्दों के संबंध में भी दिशानिर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करना और जारी करना ;
- (घ) इस अध्याय के कार्यान्वयन के लिए पोर्टल पर आवश्यक प्रारूप या रिटर्न या दिशानिर्देश तैयार करना और जारी करना;
- (ङ) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन का पता लगाने के लिए यादृच्छिक जांच करना और इस प्रयोजन लिए बोर्ड सीमा शुल्क या राज्य सरकार या किसी अन्य अभिकरण (अभिकरणों) की मदद ले सकता है;
- (च) प्रयुक्त तेल संबंधी डेटा का प्रलेखन, संकलन और इस पोर्टल पर अपलोड करना;
- (छ) इस अध्याय के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना;
- (ज) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों सहित क्षमता निर्माण के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- (झ) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना;
- (ञ) सभी हितधारकों को केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली से जोड़ना;
- (ट) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे केंद्रीय सरकार को सौंपना; और
- (ठ) अन्य कोई कार्य जो कि समय-समय पर केंद्रीय सरकार के द्वारा इस अध्याय के अधीन सौंपा जाए।

37. राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों या नगर पालिकाओं या स्थानीय निकायों या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व - (1) राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के उद्योग विभाग या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा इस संबंध में यथास्थिति अधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण, जैसा भी मामला हो -
- (क) पुनः शोधन और पुनः चक्रीकरण में सम्मिलित श्रमिकों की पहचान और रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करेंगे;
 - (ख) प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण में सम्मिलित श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास क्रियाकलापों का संचालन करेंगे;
 - (ग) प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण में सम्मिलित श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक निगरानी करेंगे
- (2) नगरपालिकाएं और स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयुक्त तेल के संग्रह के लिए बड़ी संख्या में संग्रह स्थल स्थापित करने के लिए उत्पादकों और थोक उत्पादक या संग्रह अभिकर्ता को सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार संग्रहीत किए गए प्रयुक्त तेल को अधिकृत पुनर्चक्रकों को नीलाम किया जा सकता है या बेचा जा सकता है।
- (3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां, -
- (i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समन्वय से इस अध्याय का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगी;
 - (ii) संग्रह अभिकर्ता द्वारा संग्रह केंद्र स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेंगी;
 - (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किए अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की निगरानी और अनुपालन करेंगी;
 - (iv) उत्पादकों या संग्रहकर्ता अभिकरणों या पुनर्चक्रणकर्ताओं का औचक निरीक्षण करेंगी;
 - (v) इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य का निष्पादन करेंगी।
38. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के उत्तरदायित्व - भारतीय मानक ब्यूरो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के आरंभ की तारीख से 9 महीने के भीतर ल्यूब्रिकेशन तेल के उत्पादकों के लिए बेस ऑयल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले पुनः शोधित तेल हेतु आवश्यक मानक जारी करेगा।
39. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति. - (1) यदि इस अध्याय में निर्धारित दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है या मिथ्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का संव्यवहार या उपयोग किया जाता है तो उत्पादकों पर या इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर किसी इकाई पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने और उसकी वसूली करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिशा-निर्देश तैयार करेगा।
- (2) मिथ्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करने और मिथ्या जानकारी देने के लिए पुनर्चक्रणकर्ताओं से भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी वसूली जाएगी।
 - (3) यह किसी अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और किसी भी ऐसी संस्था से वसूली जाएगी जो इस अध्याय के उल्लंघन में सहायता करते हैं इसके लिए प्रेरित करते हैं।
 - (4) (i) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान इस अध्याय में विनिर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से उत्पादक को मुक्त नहीं करेगा और किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा और इसी प्रकार इसे तीन वर्ष तक आगे बढ़ाया जाएगा;
 - (ii) यदि एक वर्ष के पश्चात् विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को पूरा किया जाता है, तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का पचासी प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा;
 - (iii) यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को दो वर्षों के पश्चात् पूरा किया जाता है,

तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का साठ प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा, यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को तीन वर्षों के पश्चात् पूरा किया जाता है, तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का तीस प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा, इसके पश्चात् उत्पादक को कोई भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति वापस नहीं की जाएगी।

- (5) ऐसी मिथ्या सूचना, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा वास्तविक रूप से पुनर्चक्रित अपशिष्ट की मात्रा से पाँच प्रतिशत से अधिक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का सृजन होता है, देने के फलस्वरूप रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी और इस अपराध को दोहराने पर इस अनुसूची का तीन बार या उससे अधिक उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभारों को लगाने के अलावा रजिस्ट्रीकरण भी स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
- (6) (i) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधीन एकत्र की गई निधि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग तीसरे व्यक्ति के खाते में रखा जाएगा। एकत्र की गई निधि का उपयोग पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूले गए गैर-एकत्रित प्रयुक्त तेल के संग्रहण और पुनः चक्रीकरण अथवा अंतिम निपटान और गैर-पुनर्चक्रित अथवा अनंतिम निपटान नहीं किए गए प्रयुक्त तेल के अंतिम निपटान हेतु तथा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य शीर्षों पर किया जाएगा।
- (ii) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ संचालन समिति द्वारा निधि के उपयोग और शीर्षों के संबंध में विनिश्चय किया जाएगा।

40. अभियोजन.—कोई भी व्यक्ति, जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के अधीन अपेक्षित मिथ्या जानकारी प्रदान करता है, किसी भी तरीके से झूठे या जाली विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का उपयोग करता है या ऐसे उपयोग का कारण बनता है, जानबूझकर इस अध्याय के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, उस पर इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभियोजित किया जाएगा। यह अभियोजन इस अध्याय के नियम 39 के अधीन वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा।

41. सत्यापन एवं लेखा परीक्षा—(1)केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं अथवा किसी नामोद्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से निरीक्षण तथा आवधिक लेखा परीक्षा, जैसाकि उचित समझा गया है, के माध्यम से उत्पादकों, प्रयुक्त तेल के आयातकों, थोक उत्पादकों, एकत्रण अभिकरणों और पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इस अध्याय के अनुपालन का सत्यापन करेगा जिससे इस अध्याय के नियम 39 के उपबंधों के उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सत्यापन और लेखापरीक्षा के शुल्क संबंधित रजिस्ट्रीकृत इकाई पर प्रभारित किए जाएंगे।

42. संचालन समिति.—(1) इस अध्याय के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन का अधीक्षण करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, यथा:-

- (i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
- (ii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
- (iii) उत्पादकों के अधिकतम दो प्रतिनिधि;
- (iv) ऑटो मोबाइल विनिर्माण संघों के अधिकतम दो प्रतिनिधि.

- (v) पुनर्चक्रणकर्ता संघों के अधिकतम दो प्रतिनिधि;
 - (vi) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक प्रतिनिधि जैसाकि संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किया जाए;
 - (vii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदस्य सचिव; और
 - (viii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित प्रभाग का अध्यक्ष – सदस्य संयोजक
- (2) संचालन समिति आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है।
- (3) संचालन समिति इस अध्याय के समग्र कार्यान्वयन, निगरानी और अधीक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।
- (4) यह इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर समय-समय पर उठने वाले विवादों के संबंध में विनिश्चय भी करेगी उठाए गए किसी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संदर्भित करेगी जो इस अध्याय से संबंधित हों।
- (5) यह संचालन समिति तकनीकी प्रगति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्चक्रण के रीतियों के लक्ष्य, अधिभार और अनुमेयता की समीक्षा और संशोधन करेगी और केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफ़ारिशें देगी।
- (6) संचालन समिति इस अध्याय के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए उसके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सभी उपाय करेगी।

43. इस नियम के अन्य उपबंधों का अनुप्रयोग.- नियमों के अधीन निर्धारित किए गए अनुसार परिसंकटमय और अपशिष्ट से संबंधित प्रावधान इस अध्याय के अधीन आने वाले प्रयुक्त तेल के उपयोग और प्रबंधन पर भी लागू होंगे।'

[फा. सं. 23/75/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 395(अ) तारीख 04 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात् सा.का.नि. संख्या 670(अ) तारीख 06 जुलाई, 2016; सा.का.नि. संख्या 177(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017; सा.का.नि. संख्या 544(अ) तारीख 11 जून, 2018; सा.का.नि. संख्या 178(अ) तारीख 01 मार्च, 2019; सा.का.नि. संख्या 641(अ) तारीख 09 अक्टूबर, 2020; सा.का.नि. संख्या 47(अ) तारीख 27 जनवरी, 2021; सा.का.नि. संख्या 798(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2021; सा.का.नि. संख्या 593(अ) तारीख 21 जुलाई, 2022, सा.का.नि. संख्या 900(अ) तारीख 23 दिसम्बर, 2022 और सा.का.नि. संख्या 500(अ) तारीख 12 जुलाई, 2023 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2023

G.S.R. 677(E).—Whereas the draft notification containing the draft extended producer responsibility for Used Oil were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* notification number G.S.R. 338(E), dated the 2nd May, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 2nd day of May, 2023;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force from the 1st day of April, 2024.
2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), after Chapter VI, the following Chapter shall be inserted, namely: -

‘Chapter VII

Extended Producer Responsibility for Used Oil

25. Definitions. – For the purposes of this Chapter, -

- (a) **“base oil”** means any oil used for production of finished lubrication oil;
- (b) **“bulk generator”** includes any entity like automobile industry or railways or defence establishments or a transport company or industrial units or power transmission company or hotels or restaurants and other such entity which is generating more than 100 metric tonnes of used oil per annum;
- (c) **“business”** means any activity of production or manufacturing or sale of base oil or lubrication oil, import of base oil, recycling used oil;
- (d) **“collection point”** means the facility where the authorised collection agent would collect and store used oil as per the standard operating procedure or guidelines issued by the Central Pollution Control Board for the purposes of this Chapter;
- (e) **“collection agent”** means any person or entity who collects used oil and supplies it to the recycler;
- (f) **“energy recovery”** means any process of utilizing used oil as a fuel, which is not suitable for recycling in accordance with these rules;
- (g) **“environmentally sound management of used oil”** means taking all steps required to ensure that used oil is managed in a manner so as to protect health and environment against any adverse effects which may result during collection, transportation and recycling of used oil;
- (h) **“extended producer responsibility”** means responsibility of producer of base oil or lubrication oil or importer of used oil under this chapter for meeting recycling targets only through registered recyclers to ensure environmentally sound management of used oil;
- (i) **“guidelines”** means any document prepared and issued by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirements for achieving environmentally sound management of used oil including its handling, collection, transportation, storage and recycling;
- (j) **“portal”** means the online system developed by the Central Pollution Control Board for management and implementation of compliance of this Chapter;
- (k) **“producer”** means any person or entity, irrespective of the selling technique used such as dealer, retailer, e-

retailer, who, -

- (i) manufactures and offers to sell base oil or lubrication oil domestically under its own brand; or
 - (ii) offers to sell lubrication oil domestically under its own brand, using the base oil manufactured by other manufacturers or suppliers; or
 - (iii) offers to sell imported base oil or lubrication oil domestically;
- (l) **“recycling”** means any process of re-refining of used oil to produce base oil or lubrication oil or any process of energy recovery from used oil in an environmentally sound manner with facilities as elaborated in the standard operating procedure or guidelines issued by the Central Pollution Control Board for the purposes of this Chapter;
- (m) **“re-refining”** means any process of removing undesirable impurities from used oil and making base oil or lubrication oil as end product in accordance with the standard operating procedure or guidelines issued by the Central Pollution Control Board;
- (n) **“recycler”** means any person or entity engaged in the process of recycling of used oil;
- (o) **“recycling target”** means the quantity of used oil to be recycled as per the provisions of rule (2) of rule 27;
- (p) **“standard operating procedure”** means the document issued by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirement of equipment and processes;
- (q) **“used oil”** shall have the meaning assigned to it in clause (36) of rule 3 the said rules; and
- (r) **“used oil importers”** means any person or entity who imports used oil.

26. Registration. - (1) The following entities shall get them registered by the Central Pollution Control Board on the portal, namely:-

- (a) producers;
- (b) collection agents ;
- (c) recyclers;
- (d) used oil importers.

- (2) In case any entity falls in more than one categories under sub- rule (1), then the said entity shall register themselves under each of those categories separately.
- (3) No entity referred in sub-rule (1) shall carry out business without registration.
- (4) The entities registered under sub-rule (1) shall not deal with any entity not registered under sub- rule (1).
- (5) Where any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for registration or return or report or information required to be provided or furnished under this Chapter or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to five-years after giving an opportunity to be heard and in addition, environmental compensation charges may also be levied as per rule 39.
- (6) The Central Pollution Control Board may charge registration fees and annual maintenance charges from the entities seeking registration under this Chapter based on volume of used oil generated, recycled, or handled by them.

27. Modalities of extended producer responsibility and its target. – (1) The extended producer responsibility covers the following modes for managing the used oil in order of priority, namely: -

- (i) producing re-refined base oil or lubrication oil; and
- (ii) energy recovery.

- (2) All producers and used oil importers shall fulfil their extended producer responsibility obligation specified in Table given below and in doing so they may take help of third party organisations, such as integrated used oil management systems, collection centres or dealers:

Provided that the extended producer responsibility shall lie entirely on the producer only.

TABLE

PART - A

For producers of base oil or lubrication oil, the target prescribed in the following Table, -

Sl. No.	Year.	Used oil Recycling Target.
(1)	(2)	(3)
(i)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2024-2025 (the year in which this Chapter comes into force)	5% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the Year 2022-2023.
(ii)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2025-2026.	10% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2023-2024.
(iii)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2026-2027.	20% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2024-2025.
(iv)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2027-2028.	20% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2025-2026.
(v)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2028-2029.	40% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2026-2027.
(vi)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2029-2030.	40% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2027-2028.
(vii)	Extended Producer Responsibility obligation for the year 2030-2031 (Y) onwards shall be 50% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year (Y-2)	
(viii)	For units established after 1 st April, 2024, the extended producer responsibility obligation will start after two years from the end of the financial year in which the unit was established and will be as per the target prescribed above.	

PART - B

For used oil importers,-

- (i) the extended producer responsibility obligation for used oil importers in year (Y) shall be 100 per cent of the used oil imported in year (Y-1); and
- (ii) the import of used oil is permitted for the purpose of re-refining only.
- (3) The extended producer responsibility target of the producers shall be reduced by a factor laid down by the Central Pollution Control Board on account of operational loss of base oil.
- (4) (i) The producers may fulfil their extended producer responsibility through online purchase of extended producer responsibility certificates from registered recyclers only;
 - (ii) the details provided by producers and registered recyclers shall be cross-checked through the portal;
 - (iii) in case of any difference, the lower figure shall be considered towards fulfillment of the extended producer responsibility obligation of the producer; and
 - (iv) the certificates shall be subject to audit by the Central Pollution Control Board or any other agencies authorised by them in this regard.

28. Extended producer responsibility certificate generation. – (1) The Central Pollution Control Board shall generate extended producer responsibility certificate through the portal in favour of a registered recycler, which shall be calculated as per the Table given here under –

TABLE

S. No.	End Product of recycling.	Weightage allocated to the end product (W _P).
(1)	(2)	(3)
1.	Producing re-refined base oil or lubrication oil	1.0
2.	Co-processing/ utilisation/ energy recovery for used oil not suitable for recycling, maximum permissible percentage to be prescribed by the Central Pollution Control Board.	0.25

(2) For the purpose of the Table referred to in sub-rule (1),-

(i) the quantity eligible for generation of extended producer responsibility certificate shall be calculated as per the following formula, namely: -

$$Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P ;$$

**the Q_{EPR} is the quantity eligible for generation of the extended producer responsibility certificate, Q_P is the quantity of the end product and C_F is the conversion factor (quantity of inputs required for production of one unit of output) and W_P is the weightage for particular end product*

Example: If a recycler finally produces 100 Tonnes of re-refined oil, and conversion factor is 1.5 then, the eligible EPR certificate for that recycler in that year shall be as follows:

$$Q_{EPR} = 100 \times 1.5 \times 1 \text{ (weightage)} = 150.0 \text{ Tonnes};$$

(ii) Conversion factor C_F for each end product shall be determined by the Central Pollution Control Board based on the technologies used by recyclers and quality of re-refined base oil produced;

(iii) The weightage W_P shall be reviewed by the Central Pollution Control Board from time to time in view of the technological advancements, availability of material and other factors;

(3) The validity of the extended producer responsibility certificate shall be two years from the end of the financial year in which it was generated and the expired certificate shall automatically extinguish after the period unless extinguished earlier as per these rules.

(4) Each extended producer responsibility certificate shall have a unique number containing year of generation, code of end product, recycler code and a unique code and shall be in the denominations of 100, 200, 500, 1000 and 10,000 kilograms or as may be laid down by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee constituted under rule 42.

29. Transaction of extended producer responsibility certificate. – (1) A producer may purchase extended producer responsibility certificates limited to its extended producer responsibility liability of current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus 10 per cent of the current year liability.

(2) The extended producer responsibility obligation shall have to be fulfilled by the producers and used oil importers by proportionately purchasing extended producer responsibility certificates on a quarterly basis.

(3) As soon as the producer and used oil importer purchases the extended producer responsibility certificate, it will be automatically adjusted against its liability, priority in adjustment shall be given to earlier liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.

(4) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate for every producer or used oil importer or recycler shall be made available on the portal.

(5) All the transactions under this Chapter shall be recorded and submitted by the producers or used oil importers or recyclers on the portal.

(6) One or more trading platform for sale and purchase of extended producer responsibility certificates may be established through agency accredited by the Central Pollution Control Board in accordance with the guidelines issued by Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.

- 30. Portal for registration, filing of annual returns, Extended Producer Responsibility certificate and tracing of materials.** – (1) The Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration and as for filing of quarterly and annual returns, extended producer responsibility certificate and tracing of oil produced or generated by any entity or person, which shall ensure a mechanism wherein the material balance of the lubrication oil introduced in the market by any producer in a financial year is reflected.
- (2) The portal shall act as the single point data repository with respect to management and implementation of extended producer responsibility for used oil.
- (3) The online portal shall be functional by the Central Pollution Control Board within six months from the date of commencement of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2023 and all activities related to the implementation of the extended producer responsibility shall be done in online manner.
- (4) The manifest system for transport of used oil shall be applicable to those entities under this Chapter who are required to take authorisation under the said rules.
- 31. Responsibility of producers.** - The producers of base oil or lubrication oil shall be responsible for, -
- (a) registration on the portal;
- (b) fulfilling extended producer responsibility targets as per sub- rule (2) of rule 27;
- (c) provide the contact details such as address, email address, toll free telephone numbers or helpline numbers to consumers through their website or through advertisements or documentation so as to facilitate the process;
- (d) filing annual returns in the form provided on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates;
- (e) creating awareness through media, publications, advertisements, posters, or by any other means of communication.
- 32. Responsibility of used oil importer.** - The used oil importers shall be responsible for, -
- (a) registration on the portal;
- (b) fulfilling extended producer responsibility targets as per sub- rule (2) of rule 27 through the portal;
- (c) filing annual returns in the form provided on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.
- 33. Responsibility of collection agent.** - All used oil collection agents shall have to, -
- (a) register on the portal;
- (b) collect used oil from the generators and supply to the registered recycler or producer in accordance with these rules and upload information on the portal;
- (c) filing quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate;
- (d) filing annual returns in the form provided on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.
- 34. Responsibilities of the recycler.** - All used oil recycler shall have to, -
- (a) register on the portal;
- (b) ensure that the facility and recycling processes are in accordance with these rules;
- (c) ensure that no damage is caused to the environment during storage, transportation and recycling of used oil;
- (d) ensure that the residue generated during the recycling process is disposed of in accordance the said rules;
- (e) filing quarterly returns in the prescribed form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate;

- (f) filing annual returns in the prescribed form provided on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.

35. Responsibilities of the bulk generators. - Bulk generators shall,-

- (a) set up collection points to facilitate collection agents for collection and transportation of used oil from their premises; and
- (b) ensure that used oil generated by them be handed over only to the registered recyclers or producer or collection agents.

36. Responsibilities of the Central Pollution Control Board. - (1) The Central Pollution Control Board shall be responsible for-

- (a) operation and maintenance of the portal and monitoring of extended producer responsibility compliance;
- (b) coordination with the State Pollution Control Boards;
- (c) prepare and issue Guidelines and Standard Operating Procedures for registration on the portal, extended producer responsibility certificate generation, fulfillment of obligation, returns, and for collection, storage, transportation, recycling and disposal of used oil under this Chapter and also on any other issue for smooth implementation of these rules from time to time;
- (d) prepare and issue necessary forms or returns on portal for implementation of this Chapter;
- (e) conduct of random checks for ascertaining compliance of the extended producer responsibility and for that purpose the Board may take help of Customs or the State Government or any other agency;
- (f) documentation, compilation of data on used oil and uploading on the portal;
- (g) taking action against violation of this Chapter;
- (h) conducting training programmes to develop capacity building including the State Pollution Control Board and Urban Local Bodies officials of State Governments;
- (i) conducting awareness programmes;
- (j) integration of all stakeholders with the centralised digital system;
- (k) prepare and submit an annual report to the Central Government; and
- (l) any other function delegated by the Central Government under this Chapter from time to time.

37. Responsibilities of the State Governments or Union territories or Municipalities or local bodies or the State Pollution Control Board. - (1) The Department of Industry in the State and Union territory or any other Government agency authorised in this regard by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, shall –

- (a) ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for collection of used oil and for re-refining units in the existing and upcoming industrial parks, estates and industrial clusters;
 - (b) ensure recognition and registration of workers involved in re-refining and recycling;
 - (c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in re-cycling of used oil; and
 - (d) undertake annual monitoring and to ensure safety and health of workers involved in recycling of used oil.
- (1) Municipalities and Local Bodies shall facilitate producers and bulk generators or collection agents to set up large number of collection points for collection of used oils in their jurisdictional areas and the used oils so collected can be auctioned or sold to the authorised recyclers.
- (2) The State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees of Union territories, shall, -
- (i) ensure proper implementation of this Chapter in coordination with the Central Pollution Control Board;

- (ii) facilitate setting up of collection points by the collection agents;
- (iii) monitor the compliance of extended producer responsibility as directed by the Central Pollution Control Board;
- (iv) conduct random inspection of producers or collection agents or recycler or used oil importers; and
- (v) perform any other function as directed by the Central Government under this Chapter.

38. Responsibilities of the Bureau of Indian Standards, - The Bureau of Indian Standards shall issue necessary standards for re-refined oil, which could be used as base oil for producers of lubrication oil within nine months from the date of commencement of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2023.

39. Environmental Compensation. - (1) The Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on the producers in case of non-fulfilment of obligations set out in this Chapter and transaction or use of false extended producer responsibility certificates or on any entity on violation of any provisions of this Chapter and guidelines issued hereunder.

- (2) The environmental compensation shall also be levied on the recyclers for issue of false extended producer responsibility certificates and providing false information.
- (3) It shall also be levied on unregistered producers, recyclers and any entity, which aids or abets the violation of this Chapter.
- (4) (i) payment of environmental compensation shall not absolve the producer from the extended producer responsibility as specified in this Chapter and the unfulfilled extended producer responsibility for a particular year shall be carried forward to the next year and so on and up to three years;
 - (ii) in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after one year, eighty- five per cent. of the environmental compensation levied shall be returned to the producer; and
 - (iii) in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after two year, sixty per cent. of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after three year, thirty per cent. of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, thereafter no environmental compensation will be returned to the producer.
- (5) False information resulting in over generation of extended producer responsibility certificates by recycler above five per cent. of the actual recycled waste shall result in revocation of registration and imposition of environmental compensation which shall not be returnable and subsequent offence, violation of this Chapter for three times or more shall also result in permanent revocation of registration over and above the environmental compensation charges.
- (6) (i) the funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate escrow account by the Central Pollution Control Board and the funds collected shall be utilised in collection and recycling or end of life disposal of uncollected and non-recycled or non-end of life disposal of used oil on which the environmental compensation is levied, and on other heads as decided by the committee; and
 - (ii) modalities and head for utilisation of the funds shall be decided by the Steering Committee with the approval of the Central Government.

40. Prosecution. - Any person, who provides incorrect information required under this Chapter for obtaining extended producer responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended producer responsibility certificates in any manner, wilfully violates any provision of this Chapter or fails to cooperate in the verification and audit proceedings, shall be prosecuted under section 15 of the Act. This prosecution shall be in addition to the environmental compensation levied under rule 39 of this Chapter.

41. Verification and audit. - (1) The Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of this Chapter by the producers, used oil importer, bulk generators, collection agents and recyclers through inspection and periodic audit, as deemed appropriate and take actions against violations under rule 39 of this Chapter .

(2) Any fee for the verification and audit shall be charged by the Central Pollution Control Board from the concerned registered entity.

42. Steering Committee. - (1) There shall be a Steering Committee headed by the Chairperson, Central Pollution Control Board to oversee the implementation of extended producer responsibility under this Chapter, which shall consists of following other members, namely:-

- (i) one representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;
- (ii) one representative of the Ministry of Petroleum and Natural Gas;
- (iii) a maximum of two representative of producers;
- (iv) a maximum of two representative of Automobile Manufacturer Associations.
- (v) a maximum of two representative of recycler associations;
- (vi) one representative of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as co-opted by the Chairman of the Steering Committee;
- (vii) Member Secretary of the Central Pollution Control Board; and
- (viii) Head of the Division concern of the Central Pollution Control Board as Member Convener.

(2) The Steering Committee may co-opt any other member if it considers necessary.

(3) The Steering Committee shall be responsible for overall monitoring and supervision of implementation this Chapter.

(4) Shall also decide upon the disputes arisen from time to time on the representations received in this regard, and shall refer to the Central Government any substantial issue arisen or pertaining to this Chapter.

(5) The Steering Committee shall review and revise the targets, weightage and permissibility of modes of recycling in view of the technological advancements and other factors and make recommendations to the Central Government.

(6) The Steering Committee shall take all such measures, as it deems necessary for proper implementation of the provisions of this Chapter.

43. Application of other provisions of these rules. - The provisions relating to hazardous wastes under these rules shall also apply to utilisation and management of used oil under this Chapter.?


[F. No. 23/75/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note :The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; number G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019; number G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020; number G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021; number G.S.R. 798(E), dated the 12th November, 2021; number G.S.R. 593(E), dated the 21st July, 2022; number G.S.R. 900(E) dated the 23rd December, 2022 and number G.S.R. 500(E) dated the 12th July, 2023.

**Standard Operating Procedure and Checklist of Minimal
Requisite Facilities for utilization of hazardous waste
under Rule 9 of the Hazardous and Other Wastes
(Management and Transboundary Movement) Rules, 2016**

**Utilization of Spent Carbon (Carbon Residue) generated from
Urea Fertilizer Industry**



cpcb

March, 2017

Central Pollution Control Board

(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India)

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,

Shahdara, Delhi – 110032

Pre-2

**Standard Operating Procedure and Checklist of Minimal Requisite Facilities for Utilization of Spent Carbon
(Carbon Residue) generated from Urea fertilizer Industry**

Procedure for grant of authorisation by SPCBs/PCCs for utilization of Hazardous Waste

- (i) While granting authorisation for utilization of hazardous wastes, SPCBs/PCCs shall ensure the following:
- The waste (intended for utilization) belongs to similar source of generation as specified in SoPs.
 - The utilization process is similar to the process of utilization described in SoPs.
 - End-use / product produced from the waste shall be same as specified in SoPs.
 - Authorisation be granted only after verification of utilization process and minimum requisite facilities as given in SoPs.
 - Issuance of passbooks (similar to the passbooks issued for recycling of used oil, waste oil, non-ferrous scrap, etc.) for maintaining records of receipt of hazardous wastes for utilization.
- (ii) After issuance of authorization, SPCB shall verify the utilization process, checklist and SOPs on quarterly basis for initial 2 years; followed by random checks in the subsequent period for atleast once a year.
- In-case of lack of requisite infrastructures with the SPCB/PCC, they may engage 3rd party institutions or laboratories having EPA/NABL/ISO17025 accreditation/recognition for monitoring and analysis of prescribed parameters in SoPs for verification purpose.
- (iii) SPCBs shall provide half yearly updated list of units permitted under Rule 9 of HOWM Rule, 2016 to CPCB and also upload the same on SPCB website, periodically. Such updated list shall be sent to CPCB on a half yearly basis i.e by July and January respectively.
- (iv) Authorisation for utilisation shall not be given to the units located in the State/UT where there is no Common TSDF, unless the unit ensures authorised captive disposal of the hazardous waste (generated during utilisation) or its complete utilisation or arrangement of sharing with any other authorised disposal facility.
- (v) In case utilization proposal is not similar with respect to source of generation or utilization process or end-use as outlined in this SoP, the same may be referred to CPCB for clarification / conducting trial utilization studies and developing SoPs thereof.
- (vi) The source and work zone standards suggested in the SoPs are based on the E(P)A notified and OSHA standards respectively, however, SPCB/PCC may impose more stringent standards based on the location or process specific conditions.

25.0 Utilization of Spent Carbon (Carbon Residue)

Type of HW	Source of generation	Recovery/Product
Spent Carbon (carbon Residue – listed at Sl No. 18.2 of Schedule-I of HOWM Rules, 2016	From Urea Manufacturing plant	Carbon Black

P.R.S

Standard Operating Procedure and Checklist of Minimal Requisite Facilities for Utilization of Spent Carbon
(Carbon Residue) generated from Urea fertilizer Industry

25.4 Standard Operating Procedure for utilization

This SoP is applicable only for utilization of Spent carbon (Carbon Residue) generated from Urea fertiliser manufacturing plant, as a supplementary resource in manufacturing of Carbon Black.

- (1) The Spent Carbon (Carbon Residue) (with 85 % moisture) shall be procured in non-reactive drums/container in accordance with the provisions stipulated in Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- (2) There should be a designated space for storage of Spent Carbon (Carbon Residue) under cool, dry, well ventilated and covered storage shed, as authorized by the concerned SPCB/PCC under the HoWM Rules, 2016 so as to eliminate water intrusion. Such shed shall have impervious lined floor, adequate slope, seepage collection pit. The loading/unloading space for Spent Carbon (Carbon Residue) shall also be under the covered shed.
- (3) The seepage from the collection pit shall be pumped to mixing vessel/ slurry preparation tank (where Spent carbon is mixed with water) to feed the same into the Carbon Black Reactor.
- (4) The Spent Carbon (Carbon Residue), if not in cake form shall be stored in silo. Loading of spent carbon into silo shall be carried out mechanically using pump.
- (5) The spent carbon (Carbon Residue) shall be directly transferred to slurry preparation tank through mechanised system with no manual handling.
- (6) Utilisation of Spent Carbon (dry weight) shall not exceed 5 % to the product i.e Carbon black manufactured.
- (7) The carbon slurry mixed with water from the slurry preparation tank shall be injected as quench liquor through pipeline into the reactor.
- (8) The reactor shall maintain temperature not less than 2000°C.
- (9) Utilization of spent carbon shall not be carried out during unstable/breakdown conditions in the reactor.
- (10) The unit shall ensure that all personnel involved in the plant operation shall wear proper personal protective equipment such as masks, gloves, goggles, shoes etc. for safety, suitable for power plant operation.
- (11) Prior to utilization of Spent Carbon (Carbon Residue), the unit shall obtain authorization for generation, storage and utilisation of Spent Carbon (Carbon Residue) from the concerned State Pollution Control Board, under the Hazardous and Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016,
- (12) The hazardous wastes (viz. contaminated gloves, masks, dusters, liners, etc., as applicable) generated from utilization process shall be collected, and stored temporarily in drums/bags in a dedicated hazardous waste storage area within the

Standard Operating Procedure and Checklist of Minimal Requisite Facilities for Utilization of Spent Carbon (Carbon Residue) generated from Urea fertilizer Industry

unit premises. The same shall be sent to Common hazardous waste treatment, storage and disposal facility (TSDF) or other authorized facility, within 90 days from generation of waste. Such storage area shall be covered and properly ventilated.

- (13) Transportation of the aforesaid waste shall be carried out by the sender or receiver (utilizer) after obtaining authorization from the concerned SPCB under the Hazardous and Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- (14) In case of environmental damages arising due to improper handling of hazardous wastes (viz., accidental spillage during generation, storage, processing, transportation and disposal), the unit shall be liable to implement immediate corrective measures, environmental site assessment and remediation of contaminated soil/groundwater/sediment etc. as per the "Guidelines on Implementing Liabilities for Environmental Damages due to Handling & Disposal of Hazardous Wastes and Penalty" published by CPCB.
- (15) During the process of utilization and handling of hazardous waste, the unit shall comply with the requirements in accordance with the Public Liability Insurance Act, 1991 as amended, wherever applicable.

25.5 Records & Returns

- (1) The unit shall maintain a passbook issued by concerned SPCB/PCC wherein the following details with respect to each procurement of Spent Carbon (Carbon Residue) shall be entered:
 - Address of the sender
 - Date of dispatch
 - Quantity procured
 - Seal and signature of the sender
 - Date of receipt in the premises
- (2) The unit shall submit quarterly and annual information on Spent carbon (Carbon Residue) consumed, quantity utilised, product manufactured, hazardous waste generated, resources conserved (specifying the details like type and quantity of resources conserved) etc., to the concerned SPCB.
- (3) A log book shall be maintained with information on source, quantity, date wise utilization of Spent Carbon (Carbon Residue), product recovered, hazardous waste generated, etc. and record of analysis report of emission monitoring & effluent discharged, as applicable shall be maintained.
- (4) The unit shall maintain record of hazardous waste generated, utilised and disposed as per Form 3 & shall file annual returns in Form 4 as per Rule 20 (1) and (2) of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, to SPCB.

RV.S

**Standard Operating Procedure and Checklist of Minimal Requisite Facilities for Utilization of Spent Carbon
(Carbon Residue) generated from Urea fertilizer Industry**

25.6 Standards

- (i) Source emission standards for Particulate Matter, SO₂, NO_x, heavy metals (Cd, Th + their compounds; Co, Mn, Ni, Cr, Sb, As, Pb, Cu, V + their compounds) shall comply with the standards notified under the Environment (Protection) Act, 1986 vide Notification No. G.S.R. 481(E) dated 26/06/2008 for Common Hazardous Waste Incinerators or as prescribed by the concerned SPCB/PCC, whichever is stringent.
- (ii) Monitoring of the specified source emissions shall be carried out quarterly. The monitoring shall be carried out by NABL/EPA accredited laboratories and the results shall be submitted to the concerned SPCB quarterly.

25.7 Siting of Industry

This SOP is applicable only for utilization of Spent Carbon in the Carbon black manufacturing Industry which is already in operation and cited in accordance with Consent to Establish issued by the concerned SPCB/PCC.

25.8 Size of Plant & Efficiency of utilisation

Utilisation of Spent Carbon (dry weight) shall not exceed 5 % to the product i.e Carbon black manufactured. Hence, requisite facilities of adequate size shall be installed accordingly as mentioned under para 25.10 below.

25.9 On-line detectors / Alarms / Analysers

Online emission analysers for PM, SO₂ and NO_x in the stack shall be installed and the online data be connected to the server of the concerned SPCB/PCC and CPCB.

25.10 Checklist of Minimal Requisite Facilities:

S.No	Requisite Facilities
1.	Designated space for storage of Spent Carbon (Carbon Residue) under cool, dry, well ventilated and covered storage shed, so as to eliminate water intrusion.
2.	Storage shed with impervious lined floor, adequate slope, seepage collection pit
3	The loading/unloading space for Spent Carbon (Carbon Residue) under covered shed.
4.	Mechanised systems for handling & transfer of Spent carbon from storage shed to mixing vessel.
5.	Mixing vessel/slurry preparation tank with appropriate mechanised system for mixing of Spent carbon with water.

Standard Operating Procedure and Checklist of Minimal Requisite Facilities for Utilization of Spent Carbon
(Carbon Residue) generated from Urea fertilizer Industry

6.	Pumping system for transfer of collected seepage from seepage pit into mixing vessel/ slurry preparation tank
7.	Piping arrangement for injecting the mixed slurry into carbon black reactor.
8.	Carbon Black Reactor(s)
9.	Air Preheater
10.	Oil Preheater
11.	Waste Heat Recovery Boiler
12.	Air Pollution Control Systems
13.	Stack of height as prescribed by SPCB with easy access to port hole, for conducting stack monitoring
14.	Online analyzers for monitoring Particulate Matter, SO ₂ and NO _x emission in stack and the online data be connected to the server of the concerned SPCB/PCC and CPCB.

PLS

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Legal Monitoring Cell

Date: 05/02/2024

Subject: Engagement of Panel Counsel

Ref.: Request from division on mail dated 05/02/2024

Respected Ma'am,

Ms. Nidhi Jaswal (9990343004 & nid.jaswal@gmail.com)

You are engaged to appear and conduct the case mentioned below for all purposes on behalf of this Ministry till the disposal of the case or expiry of your term of engagement or until further orders, whichever is earlier.

2. Details of the case are as follows:-

Court: NGT (PB), New Delhi

Case No.: OA No. 620/2022

Title of the Case: Kaushal Kishore Vishwakarma Vs. State of Punjab & Ors.

Concerned Division of the Ministry: HSMD

Name and contact of the Divisional Head: AS (NPG) & 011-20819247

Email ID: asnpg.mefcc@gov.in

Name and contact of the dealing Associate (Legal): Mr. Aman Kohli & Ms. Neha Patankar

Ph. No. 9953813739 & 7057448548

Email ID: amankohli185@gmail.com & nehapatankarenv@gmail.com

Next Date of hearing: 22/02/2024

3. **This engagement is subject to the following conditions:-**

- i. The engagement is governed by O.M. No. 17(21)/2020-PL/NGT Dated 22.08.2022, 02.03.2023 and O.M. No. 17(21)/2017-PL/NGT on dated 01.12.2017, 07/02/2019 and 04/05/2020, Policy and Law Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi read with relevant circulars/instructions issued by this Ministry from time to time.
- ii. In case you are unable to attend the case for some reason, sufficient advance intimation should be given to the concerned Division.
- iii. To return the brief on expiry of your term/disposal of the case to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, or till further orders.
- iv. To intimate the Ministry the progress of the case regularly including obtaining and forwarding certified copy of the Order/Judgement to the concerned Division whenever necessary.
- v. To appear on behalf of this Ministry in person, and **not through a junior counsel** in the matters marked to you.
- vi. The engagement is acknowledged.

Nidhi Jaswal

**NIDHI JAISWAL
ADVOCATE**

Smita
(Legal Monitoring Cell)
MoEF&CC, New Delhi

स्मिता सालवे/Smita H. Salve
दरिष्ठ परामर्शी (विधिक)
Senior Consultant Legal
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
M/o Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi



Ajay Chowdhary <ajayc525@gmail.com>

Advance Service of Reply in the matter of Kaushal Kishore Vishkarma Vs State of Punjab & Ors

1 message

Ajay Chowdhary <ajayc525@gmail.com>

Mon, Feb 19, 2024 at 9:59 PM

To: parulshahi.cpcb@supportgov.in, zeus@zeus.com.in, naginder.benipal@gmail.com, rkhuranalegal@gmail.com

Respected Sir(s),

Kindly find attached herewith the Advance Service of Reply in the matter of Kaushal Kishore Vishkarma Vs State of Punjab & Ors.

Thanks & Regards
C/o. Nidhi Jaswal, ADvocate

 **Affidavit Kaushal Kishore.pdf**
11423K